लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Third Session

Preservation Parliament Library 18-9-92

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105 (2)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II. contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 11, बुधवार, 30 नवम्बर, 1977/9 अग्रहायण, 1899 (शक)

No. 11, *Wednesday, November* 30, 1977/*Agrahayana* 9, 1899 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	1–16
तारांकित प्रश्न संख्या 203 से 207	Starred Questions Nos. 203 to 207.	
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	Written Answers to Questions—	16–137
तारांकित प्रश्न संख्या 208 से 223	Starred Questions Nos. 208 to 223.	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1933 से 1944, 1946 से 1991, 1993 से 2051, 2053 से 2070 और 2072 से 2132	Unstarred Questions Nos. 1933 to 1944, 1946 to 1991, 1993 to 2051, 2053 to 2070 and 2072 to 2132.	
6 अप्रैल, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व राज्य मंत्री द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों के उपयोग के बारे में	Correcting statement to USQ. 80 dated 6-4-1977 re. use of IAF Planes by Former Minister of State in the Ministry of Defence.	137–139
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	139–140
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	141–144
महत्वपूर्ण संस्थानों में की गई तोड़-फोड़	Sabotage of vital installations	
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
8 वां प्रतिवेदन	Eighth Report.	144
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	145
8 वां प्रतिवेदन	Eighth Report.	

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1— 350 L.S.S.(ND)/77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under rule 377—	145–147
(एक) उत्तरी बिहार में सूखे एवं भूखमरी की स्थिति	(i) Drought and starvation conditions in North Bihar.	145
(दो) पाकिस्तान में खान अब्दुल गफार खां की गिरफ्तारी के बारे में समाचार	(ii) Reported arrest of Khan Abdul Ghaffar Khan in Pakistan.	145–146
(तीन) 8.33 प्रतिशत बोनस की मांग को लेकर रेलवे, रक्षा उपक्रमों आदि के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	(iii) Demonstration by workers of Railways, Defence undertakings, etc. for 8.33 per cent. bonus.	146
(चार) ग्रामीण क्षेत्रों में सरसों के तेल और तोरिया के तेल जैसे खाद्य तेलों में भारी कमी, मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दूकानों पर नियन्त्रित कपड़े का उपलब्ध न होना	(iv) Acute shortage of edible oils like mustard and rape-seed oils, rise in kerosene oil price and non-availability of controlled cloth in fair price shops in rural areas.	146–147
'समाचार' के बारे में सूचना तथा प्रसारण मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—	Motion *re.* statement on 'Samachar' by the Minister of Information and Broadcasting—	147–160
श्री समर गुह	Shri Samar Guha.	147–149
श्री सी॰ एम॰ स्टीफन	Shri C. M. Stephen.	150–151
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta.	151–152
श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman.	152–154
श्री के॰ लकप्पा	Shri K. Lakkappa.	154
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee.	155–156
श्री युवराज	Shri Yuvraj.	156
श्री वृजभूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari.	156–157
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi.	157–158
श्री के॰ मायातेवर	Shri K. Mayathevar.	158–159
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi.	159–160
प्रो॰ पी॰ जी॰ मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar.	160
दिल्ली की आवास समस्या के बारे में चर्चा—	Discussion re. Housing Problem in Delhi—	161–166
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta.	161–162
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi.	162–163
श्री एस॰ जगन्नाथन्	Shri S. Jagannathan.	163–164
श्री विजयकुमार एन॰ पाटिल	Shri Vijaykumar N. Patil.	164
श्री राममूर्ति	Shri Ram Murti.	164–165
ी सिकन्दर बख्त	Shri Sikandar Bakht.	165–166

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 30 नवम्बर, 1977/9 अग्रहायण, 1899 (शक)

Wednesday, November 30, 1977/Agrahayana 9, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair*.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पहाड़ी क्षेत्रों में पन-बिजली उत्पादन को राष्ट्रीय बिजली नीति में सम्मिलित करना

*203. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय बिजली नीति तैयार कर रही है ;

(ख) क्या पहाड़ी क्षेत्रों में पन-बिजली उत्पादन को राष्ट्रीय बिजली नीति में सम्मिलित करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पन-बिजली के उत्पादन करने के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। सरकार इस समय 1978-79 से 1982-83 तक की अवधि के लिए विद्युत् कार्यक्रम तैयार करने और उसको क्रियान्वित करने के लिए योजना बनाने के कार्य में लगी हुई है। लक्ष्य यह है कि समूचे देश की बिजली की पूरी आवश्यकताओं को आगामी 5-7 वर्ष की अवधि के अन्त तक पूरा कर दिया जाए।

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में जल-विद्युत् उत्पादन के लिए जहां भी लाभप्रद स्थल उपलब्ध हैं और उनकी व्यवहार्यता सुनिश्चित हो गई है वहां इन्हें जल विद्युत् उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।

(ग) 1978-83 के दौरान विद्युत् कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाली विद्युत् उत्पादन स्कीमों का अन्तरिम तौर पर पता लगा लिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) चालू जल-विद्युत् स्कीमें जिनसे 1978-83 के दौरान लाभ प्राप्त होने की संभावना है	3750 मेगावाट
(2) हाल ही में स्वीकृत की गई जल-विद्युत् स्कीमें जिनसे 1978-83 के दौरान लाभ प्राप्त होंगे	1200 मेगावाट
(3) नई स्कीमें जिन्हें अभी स्वीकृति दी जानी शेष है और जिनसे 1978-83 के दौरान लाभ प्राप्त होंगे . . .	300 मेगावाट
जोड़ . .	5250 मेगावाट

अधिकांश स्कीमें नदियों की पहुंचों में उन स्थानों पर स्थित हैं जहां वे पहाड़ियों में से गुजरती है।

(घ) और (ङ) : भूतपूर्व केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के विद्युत् स्कंध द्वारा छटे दशक में किए गए सम्पूर्ण देश के सर्वेक्षण के दौरान उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश की जल-विद्युत् क्षमता का सर्वेक्षण किया गया था। इस समय हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की जल-विद्युत् क्षमता 60% भार अनुपात पर 2914 मेगावाट आंकी गई थी और उस समय उपलब्ध आं कड़ों के आधार पर जो बृहत् साधन तकनीकी और आर्थिक विकास की दृष्टि से उपयुक्त माने गए थे उन्हीं को इसमें शामिल किया गया था और लघु जल-विद्युत् विकास की संभाव्यताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के प्रधिकारियों ने जो आगे अन्वेषण तथा अध्ययन कर रहे हैं, सूचित किया है कि चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना बेसिनों से राज्य की पुनः निर्धारित जल-विद्युत् क्षमता 8529 मेगावाट है। इसमें, राज्य में नदी बेसिनों की अपर पहुंचों के ऐसे स्थानों की क्षमता भी शामिल है जिसके लिए पहले स्थलाकृति संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं थी और जिसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का उस समय निर्णय नहीं हो सका था जब कि छटे दशक में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने जल विद्युत् सर्वेक्षण किया था। देश की जल-विद्युत् क्षमता का सर्वेक्षण नए सिरे से शीघ्र शुरू किया जाना है।

Shri Durga Chand: The Honourable Minister has stated in part (b) of the Statement laid on the Table of the House as under :—

> "Hydel generation in Hilly Areas is being included in the power programmes wherever attractive sites are available and their feasibility has been established."

I would like to know from the Honourable Minister as to how many survey reports and Project reports of hilly areas have so far been submitted to the Honourable Minister or the Ministry and how many project reports of Himachal Pradesh have been submitted to him? According to my information,

the minor hydel project report for Himachal Pradesh which has been submitted to him is for 500 megawatts and major project is for 4000 mega watts. Similarly, Project reports of about 2,000 mega watts for the basin of Ravi and Chenab have also been submitted to you. I would like to know as to how many of the Project reports have been approved, how many of them are under consideration and how many of them are being approved.

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, सर्व प्रथम सर्वेक्षण छटे दशक में हुआ था और उस सर्वेक्षण में लगभग 2914 मेगावाट का पता लगाया गया था। बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन दिया है, जिसमें 8500 मेगावाट की योजनाओं का पता लगाया गया है, उनमें से कुछ योजनायें मंजूर किये जाने की प्रक्रिया में हैं और जिन योजनाओं पर विचार हो रहा है, वे 2914 मेगावाट के लिए हैं। निश्चित प्रस्ताव करना तो राज्य सरकार का कार्य है। अगर वे किसी विशेष प्रस्ताव को मंजूर करवाना चाहते हैं, तो उन्हें विस्मृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। वस्तुत: हम उन सभी प्रतिवेदनों की जांच कर रहे हैं, जो हमें भेजे गये हैं और जैसे ही राज्य सरकार वित्तीय कार्यक्रम दे देंगी, उन्हें मंजूरी दे दी जायगी।

Shri Durga Chand : I would like to know from the Honourable Minister as to how much power shortage is there in the country and how much power shortage would be met by hydro power generation in Fifth and Sixth Five Year Plans and are you going to form national grid? Are you going to form National Hydro Power Generation Corporation on the lines of National Thermal Power Corporation so that money could be arranged for Hydro Power Generation and their projects could be implemented at the earliest so that power shortage could be met?

श्री पी० रामचन्द्रन : देश में पहले ही 'नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन' स्थापित है और वे देश में विभिन्न पनबिजली योजनाओं के प्रभारी हैं। वर्ष 1976-77 के अन्त में देश में बिजली की स्थिति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास 23,664 मेगावाट बिजली की अधिष्ठापित क्षमता थी और वर्ष 1977-78 के लिए हमारा प्रस्ताव 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने का है। लेकिन हम अगले पांच वर्षों के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान क्षमता में 22,000 मेगावाट वृद्धि करने का हमारा विचार है और 1984-85 तक देश में कुल अधिष्ठापित क्षमता 58,000 होगी और हमें उम्मीद है कि उस अवधि तक कमी नहीं रहेगी और यही वक्तव्य पहले भी दे चुका हूँ।

Shri Durga Chand : Mr. Speaker Sir, I have not got reply to my question whether they are going to form the National Grid?

श्री पी० रामचन्द्रन : जी, हां, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रीड के बारे में पहले से ही काम चल रहा है। देश भर में 400 के० वी० लाइनों को जोड़ा जायगा। पहली कार्यवाही के रूप में क्षेत्रों के अन्तर्गत अन्तराज्यीय लाइनों को जोड़ा जायगा और फिर अन्य क्षेत्रों को जोड़ा जायगा और फिर राष्ट्रीय ग्रिड अस्तित्व में आ जायेगा।

Shri O. P. Tyagi : Whether the Honourable Minister is aware of the fact that there are very good chances for the generation of Hydro electricity in the Sikkim State? The Sikkim Government has also made a request to you in this connection, but your Department is asking for a report of water flow for

the last 15 years. There was no provision of keeping such record in the Sikkim Government. I would like to know whether Sikkim would be exempted from this rule? If not, why?

श्री पी० रामचन्द्रन : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है। वस्तुत: पनबिजली क्षेत्र में नई योजनाओं का पता लगाने के लिए सी० ई० ए० में हमने एक नया सैल बनाया है और देश भर में विभिन्न पनबिजली योजनाओं का पता लगाने के लिए हमने पहले ही 30 लाख रुपये की धनराशि नियत कर दी है।

Shri O. P. Tyagi: Mr. Speaker, Sir. I have asked specially about Sikkim. The Chief Secretary and the Chief Minister both have made the complaint in this regard. There was no provision of keeping the record for the past 15 years and they are being asked to submit the record for that period. I would like to know whether they would be exempted from this condition?

श्री पी० रामचन्द्रन : मेरे पास ब्यौरा नहीं है। अगर माननीय मन्त्री महोदय पृथक प्रश्न की सूचना देते हैं तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

Shri Mohmmad Shafi Qureshi (Anantnag): How Many schemes for the generation of power in J. & K. are under consideration of the Central Government at present and how long would it take to complete them? How long would it take to complete the Thein Dam and Salal Projects? Whether Central Government has formulated any plan for the generation of power in the backward area of Ladakh?

श्री पी० रामचन्द्रन : जम्मू तथा कश्मीर में सतलज परियोजना पर पहले ही केन्द्रीय क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा, डिजाइन के मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग दुलहस्ती परियोजना को नया रूप दे रहा है। जैसे ही यह तैयार हो जाता है, हम इसे मंजूरी देने का प्रयास करेंगे। इसके पूरे होने में अभी आठ वर्ष का समय और लगेगा। जहां तक थीन बांध का सम्बन्ध है, इसे मंजूरी दी जा चुकी है और काम शुरू हो गया है। इसके पूरे होने में 7 या 8 वर्ष का समय लगेगा।

श्री वी० अरुणाचलम : क्या राष्ट्रीय विद्युत नीति के एक अंग के रूप में, केन्द्रीय सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य को बेची जाने वाली पनबिजली के लिए एक-समान दरें निर्धारित करेगी?

श्री पी० रामचन्द्रन : वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत, यह कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मेरे विचार में इसके लिए राज्य सरकार से बातचीत करनी होगी।

श्री अनन्त दवे : अपने वक्तव्य में मन्त्री महोदय ने उन नई योजनाओं का उल्लेख किया जिन्हें अभी मंजूर किया जाना है और जिनसे वर्ष 1978–83 के दौरान लाभ प्राप्त होगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितनी नई परियोजनाओं को अभी भी मंजरो दी जानी है और क्या गुजरात राज्य के लिए कोई परियोजना है?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहाँ तक गुजरात का सम्बन्ध है, सभी योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है अर्थात् जिनके सभी ब्यौरे प्राप्त हो चुके थे और अगर ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है, तो मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि वह पृथक प्रश्न का नोटिस दें।

श्री के० राममूर्ति : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्नाटक-तमिलनाडु संयुक्त परियोजना कार्यक्रम अर्थात् होगेनकाल के निकट बिल्लीगुण्डा पनबिजली परियोजना पर योजना आयोग तथा मन्त्रालय ने विचार किया है ? इस परियोजना पर कब कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री पी० रामचन्द्रन : यह एक अन्तर्राज्यीय योजना है। सर्व प्रथम अर्थात् हम उस परियोजना को अपने हाथ में लेते हैं, उससे पहले तमिलनाडु और कर्नाटक की राज्य सरकारों के बीच बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद, अंतर योजना हमारे पास आती है, तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। यह अभी तक केवल समाचार पत्रों में चर्चा के विषय तक ही है। सरकार को कोई व्यापक परियोजना प्राप्त नहीं हुई है ।

स्वाधीनता सेनानियों को पेन्शन

204. **श्री के० ए० राजन :**
श्री वयालार रवि :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वाधीनता सेनानियों को केन्द्रीय पेंशन देने के उद्देश्य से पुन्नप्रावयालार संघर्ष को स्वाधीनता आंदोलन के अंग के रूप में मान्यता देने की केरल सरकार की मांग लम्बे समय से चली आ रही है ;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने हाल ही में सितम्बर मास में केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मन्डल) : (क), (ख) तथा (ग) केन्द्रीय स्वाधीनता सेनानी को पेंशन देने के उद्देश्य से पुन्नप्रावयालार संघर्ष को राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के अंग के रूप में मान्यता न देने का निर्णय किया गया है।

श्री के० ए० राजन : मैं यह कहना चाहूंगा कि पुन्नप्रावयालार संघर्ष अक्तूबर, 1946 में हुआ था। यह स्वाधीनता से पहले का संघर्ष था। वस्तुतः हजारों श्रमिक और खेतिहर मजदूर त्रावनकोर के भूतपूर्व दीवान स्व० सी० पी० रामास्वामी अय्यर के अत्याचार के विरुद्ध आजादी के नारे लगाते हुए लड़े और संघर्ष में मारे गये। यह ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष था और स्वाधीनता संघर्ष का एक अंग था। जब उस संघर्ष में घायल और अपंग सैकड़ों व्यक्ति अभी भी जिन्दा है, तो उन्हें पेंशन देने के प्रश्न पर क्यों विचार नहीं किया जा रहा है ? इसका क्या मानदण्ड है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मानदण्ड यही है कि क्या आन्दोलन देश को विदेशी शासन से मुक्त करने के उद्देश्य से चालू किया गया था। अन्य सभी आन्दोलन, जो इस मानदण्ड की पूर्ति नहीं करते, उन्हें स्वाधीनता संग्राम नहीं माना गया है ।

श्री के० ए० राजन : मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह पूर्णतः एक गलत व्याख्या है। वह संघर्ष स्वाधीनता संग्राम का एक अंग था। श्री सी० पी० रामास्वामी अय्यर ब्रिटीश शाही ढांचे का समर्थन कर रहे थे। वे लोग स्वाधीनता का नारा लगाते हुए लड़े और मरे। इसलिए मैं इस विभेदकारी व्याख्या

को सुनकर आश्चर्य चकित हूं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह कहना देशभक्ति पूर्ण नहीं है कि वे स्वाधीनता सेनानी नहीं हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि केरल के सभी लोगों ने, बिना पार्टी और सरकार की निष्ठा को ध्यान में रखे इसे स्वाधीनता संग्राम के रुप में स्वीकार किया है और केन्द्रीय सरकार से इसे स्वाधीनता संग्राम के रुप में मान्यता देने के लिए कहा है। मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री चरण सिंह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को खेद होने की कोई बात नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि केवल उन्हीं आन्दोलनों को स्वाधीनता आन्दोलन माना गया है—मैं दुहराना चाहूंगा—कि वे ही आन्दोलन स्वाधीनता आन्दोलन हैं जो देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए किये गये थे। यह संघर्ष, विशेष रूप से किसान संघर्ष था की जो जमींदारों के विरूद्ध किया गया था।

श्री के० ए० राजन : जी, नहीं। **(व्यवधान)**

श्री चरण सिंह : इसका क्या मतलब है ? सम्भव है मैं गलत होऊं लेकिन मुझे अपनी बात कहने का तो अधिकार है। मेरा निवेदन यह है कि यह किसान संघर्ष था जो जमींदारों के विरूद्ध किया गया था। राज्य के तत्कालीन दीवान सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने भूमिपतियों का पक्ष लिया। इसलिए यह अंशतः दीवान के विरूद्ध भी था। दो तथ्यों से यह साबित हो जाता है कि यह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था। पहला उस समय राज्य की कांग्रेस ने अपने आपको इस आंदोलन से अलग रखा। दूसरा, स्वाधीनता मिलने पर इन लोगों को छोडकर अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मुक्त कर दिया गया था। उनको 1954-55 में मुक्त किया गया।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय के उत्तर से मुझे निराशा हुई है क्योंकि यह घटना मेरे बचपन के दिनों में मेरे घर के सामने हुई। इसको याद मुझे अभी भी है। उस समय "दीवान का शासन समाप्त करो" और "अमरिकी माडल से अरब सागर में फेंक दो" के नारे लगाये जाते थे। सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने तत्कालीन त्रावनकोर क्षेत्र में अमेरीकी पध्दति की सरकार स्थापित की थी। इसलिए मेरा पृथक प्रश्न है कि आप रियासतों में महाराजा और दीवान, जो उन दिनों अंग्रेजों के नियंत्रणाधीन थे, के विरूद्ध जनता के विरोध के मामलों में भेदभाव क्यों बरत रहे हैं। यह सच है कि दीवान के विरूद्ध जनता के विरोध का यह एक अंग है परन्तु राज्य में अंग्रेजों का शासन नहीं था, केवल ब्रिटिश रेजीडेंट वहां था। यह राज्यों में जनता द्वारा स्वाधीनता के लिए लड़ा जाने वाला संघर्ष था। मेरे पिता के अनुमान के अनुसार पुन्नप्रावयालार में 300 लोग मारे गए। इसके अलावा यदि आप अपना मापदंड अपनाते हैं तो तत्कालीन ब्रिटिश मालाबार में 1921 में मोपल विद्रोह के नाम से एक बड़ा विद्रोह हुआ था और कांग्रेस कार्य समिति ने 1921 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें इस विद्रोह का समर्थन किया गया था। महात्मा गांधी ने कहा था, "यह अंग्रेजों के अत्याचार के विरूद्ध धार्मिक युद्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि आप रियासतों के विरूद्ध लडने वाले और अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ने वाले व्यक्तियों के बीच ऐसा भेदभाव क्यों बरत रहे हैं और दूसरा, आप मोपला विद्रोह को अंग्रेजों के विरूद्ध स्वाधीनता संग्राम क्यों नहीं मान रहे हैं ?

श्री चरण सिंह : जो मैं पहले कह चुका हूं उसे मैं दोहरा सकता हूं। यदि यह स्वाधीनता संग्राम आंदोलन होता तो उस समय की राज्य की कांग्रेस इसमें भाग लेती क्योंकि यह देश में और राज्यों में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था जो अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई लड़ रहा था। इसने आंदोलन में भाग नहीं लिया। यह कम्युनिस्टों द्वारा संचालित आंदोलन था न कि कांग्रेसियों द्वारा।

दूसरा, जब देश अंग्रजों की दासता से मुक्त हुआ था, तब जेलों में बंद सभी स्वतंत्रता सेनानियों को शीघ्र ही रिहा कर दिया गया था। परन्तु इन लोगों को नहीं छोड़ा गया क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना गया था। राज्य सरकार ने उन्हें 1954–55 में छोड़ा था ताकि अविश्वास प्रस्ताव से बचा जा सके। सारी बात यही है, विपक्ष में बैठे मेरे मित्र जो इन बातों को उठा रहे हैं, उनको उन्होंने उस समय नहीं उठाया था। यदि इन बातों को उठाया जाता तो भी इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि 1946 की घटनाएं हमारे नेताओं के मस्तिस्क में ताजी थी।

श्री वयालर रवि : पट्टम थानु पिल्ले के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने का मुख्य कारण उस समय राजनीतिक बंदियों को रिहा करने से इनकार किया जाना था। न केवल पुन्नप्रावयालार के कैदियों, अपितु कांग्रेसियों को भी नहीं छोडा गया।

Shri Nathu Singh: I want to know the number of such persons among those persons who have been recognised as freedom fighters by the Congress Government in the whole country and are getting pensions till now, but who had not taken part in freedom struggle but were apprehended on charges of some crimes against them and who admitted in the Congress later on? Have you investigated about the number of such persons who are getting pensions from the Congress Government? Have you looked into such cases and found out how many are genuine freedom fighters and how many are not and joined Congress and are getting pension? If not, whether such cases will be looked into and action will be taken against those who have charges of cheating against them and their pension is stopped?

Shri Charan Singh: My friend is right that some such persons have been recognised as freedom fighters who actually did not go to jail. We have received complaints against such persons and whenever it has been established after investigation that the person is not genuine, we stopped the pensions. If my friend brings such case, we will get it investigated.

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्यत: केरल के बारे में है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं उस समय राज्य की कांग्रेस की कार्य समिति का एक सदस्य था जब मुझ पर पुन्नप्रावयालार विद्रोह का आरोप लगाया गया था। यह संघर्ष कांग्रेसजनों ने किया था और यह वस्तुत: पुलिस के विरूद्ध था क्योंकि आप जानते है कि अपने राज्य में पुलिस किसी को भी परेशान कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : यह वास्तव में एक राष्ट्रीय संघर्ष था और स्वतंत्रता मिलने के पश्चात उसके आधार पर मामला वापिस ले लिया गया था और मुझे रिहा किया गया। उस समय तक मैं हिरासत में था। मुझे फिर कालीकट से लाया गया। मैंने भुख हड़ताल शुरू की। इसलिए यह वस्तुत: स्वाधीनता के लिए एक संग्राम था।

अध्यक्ष महोदय : आपने जानकारी दी है। क्या आप कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। मैं कोई पेंशन नहीं चाहता परन्तु ऐसे हजारों लोग हैं जिनको पुलिस ने बुरी तरह पीटा है और कुछ मर भी हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : आपने उन्हें प्रश्न पुछने की अनुमति दी है। इसका उत्तर भी मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं था। उन्होंने केवल कुछ जानकारी दी है।

देश में रंगीन टेलीविजन-व्यवस्था आरंभ करना

*205. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या देश में रंगीन टेलीविजन व्यवस्था आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) टेलीविजन मे "मल्टी चैनल" प्रणाली कब से लागू की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) दूरदर्शन में बहु-चैनल पध्दति चालू कराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं जान सकता हूं कि क्या रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने का प्रश्न पिछली सरकार के शासन में विचाराधीन था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री लालकृष्ण आडवाणी : इस समस्या, कि क्या देश में रंगीन टेलीविजन आरम्भ किया जा सकता है, की जांच करने के लिए एक कर्मकार दलकी नियुक्ति की गई थी और इसने 1976 में यह सिफारिशें की थी कि दिल्ली में प्रयोग के तौर पर रंगीन टेलीविजन आरम्भ किया जा सकता है, जिसमें प्रति एक घंटे हल्के कार्यक्रम और बाद में फिल्म दिखाई जा सकती है और देश में सर्वाधिक उपयुक्त विदेशी पद्धति को अपनाया जा सकता है और देश में उपकरण बनाने के लिए विकास कार्य आरम्भ किया जा सकता है और रंगीन टेलीविजन के रिसीवरों का विकास करने के लिए अपेक्षित उपकरणों का आयात किया जा सकता है। कर्मकार दल ने यह सिफारिशें की थी। टेलीविजन का विस्तार करने के संबंध में व्यापक परिदृश्य में सरकार का विचार है कि टेलीविजन का उपयोग आवश्यक तौर पर विकास तथा जन शिक्षा के रूप में किया जाना चाहिए और रंगीन टेलीविजन में भारी धन व्यय करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं जान सकता हूं कि क्या मल्टि चैनल सिस्टिम टेलीविजन के लिए लाभदायक रहेगा या नहीं ?

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मल्टि चैनल सिस्टम का तात्पर्य है कि एक स्थानपर दो या तीन ट्रान्समीटर होते हैं ताकि दर्शक और श्रोता रेडिओ की भांती विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देख सकता है। इसमें अधिक व्यय आयेगा। मुझे विश्वास है कि इस समय मल्टी चैनल सिस्टम आरम्भ करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : छोटे देशों में भी जो अफ्रीका में पिछड़े देश माने जाने हैं, जन शिक्षा के लिए टेलीविजन चैनल हैं जबकि हमारा देश इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। गुजरात में एक बहुत ही छोटा टेलीविजन केन्द्र है। क्या मंत्री महोदय गुजरात में टेलीविजन केन्द्र का विस्तार करेंगे ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें ?

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैंने पहले ही बताया है कि जहां तक टेलीविजन केन्द्र के विस्तार का संबंध है, यह सुनिश्चित करना सरकार की नीति है, कि इस माध्यम का उपयोग विकास और जन शिक्षा के लिए अधिक से अधिक है । इस संबंध में हम प्रयास जारी रखेंगे । यहां प्रश्न रंगीन टेलीविजन के बारे में है । 2 स्टुडिओ वाले एक केन्द्र के लिए रंगीन टेलीविजन की लागत 9 करोड रुपये से अधिक होगी । रंगीन टेलीविजन रिसीवर की तुलनात्मक लागत श्वेत तथा श्याम टेलीविजन से लगभग तीन से चार गुना अधिक है ।

Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Hon. Minister state what is the policy of the Government regarding setting up, expansion of All India Radio and Television Centre? Why not the All India Radio has been given full status in cities like Varanasi and Mathura which have been the centre of culture and civilisation since time immemorial and what is the intention of the Government regarding setting up Television Centre there?

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है । यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहे तो वह दे सकते है ।

Shri Chandra Sekhar Singh : He has stated the Government's policy regarding expansion of the All India Radio and Television. This question arise out of this.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल रंगीत टेलीविजन के बारे में है। उन्हें इस के लिए सूचना की आवश्यकता होगी । क्या उनके पास सूचना है ? उनके पास कोई सूचना नहीं है ।

Shri Mani Ram Bagri : No time is taken to get information.

Shri L. K. Advani : If I reply in respect of one station then it will be assumed that reply of all stations can be given. It will be not proper to admit this station.

श्री के० लकप्पा : केवल मंत्री महोदय लालकृष्ण अडवाणी रंगीन हैं। हम कैसे आशा कर सकते है कि यह बहुरंगीन सरकार हमें रंगीन टेलीविजन दे सकेगी ? मैं एक सुसंगत प्रश्न पूछ रहा हूं । रंगीन टेलीविजन की बात छोडिये सम्पूर्ण देश में श्वेत तथा श्याम टेलीविजन का विस्तार करने के लिए क्या किया गया है? वह पिछले आठ महीनों से सम्पूर्ण देश में श्वेत तथा श्याम टेलीविजन के विस्तार की बात कर रहे हैं परन्तु अनेक राज्यों को टेलीविजन के अन्तर्गत नही लाया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि सभी राज्यों में श्वेत तथा श्याम टेलीविजन कब तक आ जायेगा ।

श्री लालकृष्ण अडवाणी : मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सम्पूर्ण देश में श्वेत तथा श्याम टेलीविजन की व्यवस्था की जाये और जहां तक धन उपलब्ध होता है वहां तक इसका विस्तार किया जायेगा मैं निश्चय ही जहां तक हो सकता है, इसका विस्तार करूंगा ।

Shri Birendra Prasad : What the Hon. Minister propose to make arrangement for television to the capitals of States of the country. What action is being taken for its development?

Shri L. K. Advani : I have already mentioned many times plan for its development. Much work is going on in Sambalpur and Muzaffarpur. The television centres will be commissioned in the beginning of the next year. The rest work will be taken under the expansion programme.

Shri Raghubir Singh Machhand : The horse has different colours like white, black and golden but the donkey has only one colour. What colour he is asking.

Regarding television I want to say that the usage of Satellite television is increasing which cost less.

Shrimati Chandravati : I want to know whether the television serve any purpose for the common man? If not, then why crores of rupees are spent on television. I want assurance from the hon. Minister.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बेरंग है ।

Shrimati Chandravati : Crores of rupees of the public exchaquer are spent on it. We want to know why the television is meant for the privileged class only?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न अच्छा है परन्तु मैं नहीं सोचता कि मंत्री महोदय को इसके बारे में कुछ कहना है ।

श्रीमती चन्द्रावती : कृपया मंत्री महोदय उत्तर दें । इस पर इतना ध्यान क्यों व्यय किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कुछ कहना है ?

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मुझे कुछ नहीं कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 206

प्रो० पी० जी० मावलंकर : प्रश्न पूछने से पहले मैं आपका ध्यान इस प्रश्न से संबंधित एक गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ । मैं एक गंभीर मामले के बारे में शिकायत कर रहा हूँ । जिस प्रश्न की सूचना मैंने की थी वह मेरे नाम पर पूछे गए प्रश्न से नितांत भिन्न है । मैं नवबम्र 1977 से भेजे गए अपने प्रश्न की सूचना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । मैंने प्रश्न पूछा था :

"क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में काम कर रहे अस्थायी कलाकारों में वेतन तथा सेवा स्थितियों के कारण रोष है और क्या कुछ कलाकारों ने वस्तुत: दिल्ली तथा अन्य स्थानों में प्रदर्शन तथा आंदोलन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है" ।

मेरे नाम पर छपा प्रश्न नितांत भिन्न है । मैंने सभी और आपके सूचनार्थ अपने प्रश्न की सूचना पढ़कर सुना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां दो प्रश्न थे, एक श्री लास्कर ने पहिले भेजा था और बादमें आपने प्रश्न की सूचना भेजी थी जो मोटे तौर पर उसी विषय के समान था । हम दो प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकते हैं क्यों की उनका विषय एक ही है। इस लिए आपके प्रश्न और श्री लास्कर के प्रश्न को मिला दिया गया था अन्यथा आपका प्रश्न बिलकुल भी नहीं आता ।

प्रो० पी०जी० मावलंकर : जब मोटे तौर पर मेरा प्रश्न उसी विषय पर था और इसको श्री लास्कर के प्रश्न के साथ मिला दिया गया था तो मेरे प्रश्न के उन भागों को, जो उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न में नहीं आते हैं, (क), (ङ) आदि में शामिल कर दिया जाता। सभा में ऐसा पिछले 25 वर्षों से होता आ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को देखूंगा ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : तब आज आपको मुझे तीन प्रश्न पूछने की अनुमति देनी पड़ेगी ।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी व्यवस्था देनी होगी। माननीय सदस्य ने प्रश्न सूची में पूछे गये प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है । उसका प्रश्न नितांत भिन्न था । उसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने इसे अस्वीकार नहीं किया है, उन्होंने इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है ।

श्री लालकृष्ण अडवाणी : यह आपके विवेक पर है, कि आप कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति दें । वे इस समय जो भी प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के अस्थायी कलाकारों को नियमित करना

+

*206 **प्रो० पी० जी० मावलंकर** :

श्री निहार लास्कर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन में कितने अस्थायी कलाकार कार्य कर रहे हैं

(ख) उनकी सेवा की अवधि कितनी हो गई है; और

(ग) उनकी सेवाओं को नियमित न करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : [1](क) और (ख) : आकाशवाणी और दूरदर्शन को कार्यक्रम सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं के लिए कलाकारों को नैमित्तिक आधार पर लगाना पड़ता है । नैमित्तिक कलाकारों को बारी बारी आधार पर अल्पकालिक अनुबन्ध पर लगाया जाता है जो केन्द्र के कार्यक्रमों पर निर्भर करता है । आकाशवाणी और दूरदर्शन में इनकी सेवा की कोई अवधि नहीं है ।

(ग) नैमित्तिक कलाकारों को नियमित करने का प्रश्न सामान्यतया नहीं उठता । तथापि, ऐसे कलाकारों को, जो लम्बे अरसे से नैमित्तिक कलाकारों के रूप में कार्य कर रहे हैं, नियमित आधार पर लगाने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मुझे आशा है माननीय मंत्री मेरे मूल नोटिस में उल्लिखित कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। उन्होंने इस समय छपे हुए प्रश्न के भाग (क) और (ख) का भी पूरा उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि :

(क) आकाशवाणी में कितने नैमित्तिक कलाकार नियुक्त हैं ?

(ख) अल्पकालिक अनुबन्ध की अवधि एक दिन से कितनी अवधि तक है ?

(ग) माननीय मंत्री ने बताया है कि इन नैमित्तिक कलाकारों को अल्पकालिक अनुबन्ध के आधार पर चक्रक्रम में नियुक्त किया जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस चक्रक्रम आधार का धार्मिक, नियमित और पूरी तरह अनुकरण किया जा रहा है अथवा कभी कभी और कुछ मामलों में अनेक बार उक्त आधार में परिवर्तन किया गया है; और

(घ) दीर्घकालिक और अल्पकालिक अवधि कितनी है ? कृपया उन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने कुल पांच प्रश्न पूछे हैं। सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि नैमित्तिक कलाकार शब्द बहुत व्यापक शब्द है। उसके अन्तर्गत आकाशवाणी पर वार्ता के लिये उपस्थित होने वाले श्री मावलंकर जैसे व्यक्ति भी शामिल हैं। इस शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत वह भी नैमित्तिक कलाकार हैं। इस प्रकार के नैमित्तिक कलाकारों को नियमित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अतः व्यक्तियों की विशिष्ट संख्या नहीं दी जा रही है।

श्री के० लकप्पा : संसद सदस्य नैमित्तिक कलाकार न होकर नियमित कलाकार है।

Shri Ugrasen : Mr. Speaker, Sir (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी इस बात पर आपत्ति नहीं कर सकता कि श्री लकप्पा नियमित कलाकार हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं मामले को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा क्योंकि यह मामला अनेक बार उठाया गया है। मैं इस मामले में स्थिति उचित रूप से स्पष्ट करूंगा। एक श्रेणी नियमित कलाकारों की है। एक अन्य श्रेणी नैमित्तिक कलाकारों की है। उक्त शब्द बहुत व्यापक है और इसमें वे व्यक्ती शामिल हैं जो यदाकदा वार्ता, गोष्ठी, चर्चा, नाटक आदि में भाग लेते हैं। वें सब नैमित्तिक कलाकार हैं। वे विशिष्ट प्रयोजन के लिये विशिष्ट अवधि हेतु, विशिष्ट अनुबन्ध में संलग्न हैं। अतः नैमित्तिक कलाकारों को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता। जब कभी कुछ स्थान रिक्त होते हैं तब ही उक्त रिक्त स्थान नैमित्तिक कलाकारों द्वारा निश्चित अवधि के लिये भरे जाते ह और उक्त अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता है और ऐसा लगभग दो वर्ष, तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष तक होता है। ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्हें प्रोडक्शन एसिस्टेंट के रूप में काम करते हुए पांच वर्ष हो गये हैं और वे नैमित्तिक कलाकार हैं। इस सरकार ने सत्ता सम्भालने के तुरन्त बाद इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान दिया है। मैंने मंत्रालय को ऐसा फार्मूला तैयार करने को कहा है जिसके आधार पर दीर्घकालीक नैमित्तिक कलाकारों को नियमित किया जा सके। मंत्रालय में तथा सरकार में अभी तक यह प्रक्रिया है कि यदि किसी नैमित्तिक कर्मचारी अथवा नैमित्तिक श्रमिक ने एक वर्ष में 240 दिन लगातार दो वर्ष तक काम किया है तो वह नियमित होने के योग्य हो जाता है। मेरे विचार मे आकाशवाणी और दूरदर्शन के नैमित्तिक कलाकारों के मामले में उदार रुख अपनाने

को आवश्यकता है । अतः मंत्रालय द्वारा एक फार्मूला तैयार किया गया है जो इस समय जांचाधीन है जिसके अनुसार नैमित्तिक कलाकारों को और अधिक उदारता के आधार पर नियमित किया जा सकता है । अभी जब जांच चल रही है, उन्होंने यह आन्दोलन आरम्भ कर दिया है कि उनकी सेवावधि को ध्यान में न रख कर उन्हें अवश्य नियमित किया जाना चाहिये और ऐसे व्यक्तियों को भी नियमित किया जाना चाहिए जिनकी सेवा केवल 90 दिन की हुई है । इसका परिणाम यह होगा कि उन पदों पर पहले जब केवल सात व्यक्ति बारी बारी से नियुक्त होते थे अब 14 व्यक्ति बारी बारी से नियुक्त होंगे । मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस बारे में सरकार की नीति सहानुभूति पूर्ण है । सरकार की नीति यह है कि दीर्घकालिक नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने के लिये एक विशिष्ट फार्मूला तैयार किया जाये ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न बहुत छोटा होगा । क्या मंत्री महोदय विस्तार से यह बतायेंगे कि दीर्घकालिक नैमित्तिक कलाकारों को नियमित करने के बारे में नियमित प्रक्रिया क्या है । मैं ऐसा इसलिये कहता हूं क्योंकि मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने आश्वासन दिया है—यह भावना है कि सरकार द्वारा कलाकारों का शोषण किया जा रहा है ; उन्हें नियमित अवकाश और अन्य लाभ देने से इन्कार किया जाता है । मैं नहीं चाहता कि जनता सरकार को सांस्कृतिक लोगों—इस देश के कलाकारों का शोषण करने का दोषी ठहराया जाये । इसीलिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं सदन को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि कलाकारों का शोषण करने का कोई प्रश्न नहीं है । वास्तव में मैंने और अधिक उदार रुख अपनाने पर जोर दिया है क्योंकि वे कलाकार विशेष क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं । विशेष दर्जे के कलाकार हैं । अतः एक विशेष फार्मूला का सुझाव दिया गया है । यह सम्भव है हो सकता है कि फार्मूला सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप न हो क्योंकि सरकार की यह वर्तमान नीति नहीं है । अन्य मंत्रालयों की तुलना में उनकी अपनी नीति है । मैं पहले ही यह बता चुका हूँ । मेरा और अधिक उदार नीति अपनाने का प्रस्ताव है । मैं कहूँगा कि मामला कार्मिक विभाग के विचाराधीन है । अतः इस मामले में मेरे लिये और अधिक कहना उचित नहीं होगा ।

Shri Ugrasen : Mr. Speaker, Sir, there are two categories of casual artistes in A.I.R. and Doordarshan. Some casual artistes are those who have been regularly working in Delhi Centre for the last 10-12 years and they are still treated as casual artistes, Shri Lakappa has been an important regular artiste since the last Government. Other casual artistes are those who have been working as casual artistes in Jaipur, Bangalore, Lucknow etc. centres for the last three or four years. I want to know whether the hon. Minister will appoint a committee to remove the exploitation committed during the thirty years reign of the Congress. Selection Committee at every centre should be formed and the casual artistes of that centre should go before it. It should not happen that the casual artistes of Delhi may go to Lucknow, that of Lucknow may go to Patna and that of Calcutta may go to Bombay and that of Bombay to Calcutta. They will not yet justice unless they are selected on the basis of selection committees formed on regional basis. I want to know whether the hon. Minister will accept my suggestion and appoint selection committee to wash the sins committed by the Congress rule during the last thirty years?

Shri L. K. Advani : The Selection Committees are formed on regional basis. The persons who will be regularised have to remain there and not elsewhere.

उत्पादन प्रगति-दर में गिरावट

†
*207. श्री ओ० वी० अलगेशन :
श्री समर मुखर्जी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में नयी सरकार आने के बाद औद्योगिक उत्पादन की प्रगति-दर में भारी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उत्पादन में कमी होने के मुख्य कारण देश में बिजली की कमी और औद्योगिक अशान्ति है ;

(ग) क्या श्रमिक असन्तोष के कारण कुछ उद्योगपतियों ने अपने उद्योग भी बन्द कर दिये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में औद्योगिक प्रगति-दर बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल-अगस्त, 1977 के अवधि की औद्योगिक विकास की दर 4.7% थी जबकि इसकी तुलना में क्रमशः 13.1%, 2.7%, 2.8% और 1.2% थी।

बिजली की अपर्याप्त उपलब्धता का औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक औद्योगिक अशान्ति का सवाल है, यद्यपि अनेक एककों में श्रमिक विवाद होने की रिपोर्ट मिली है किन्तु समग्र देश के लिए उपलब्ध सूचना से उनको पहले वर्षों से अधिक होने की पुष्टि नहीं होती।

सरकार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। इन उपायों में और अतिरिक्त विद्युत जनित्रण क्षमता पैदा करना, सूक्ष्म क्षेत्रों में विद्यमान औद्योगिक क्षमता का अच्छी प्रकार उपयोग करना, देश में अच्छा औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करना शामिल है।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ।

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मुझे पता नहीं क्यों ? माननीय सदस्य जाने-माने विद्वान हैं। मुझे उनसे इस प्रकार के काम चलाऊ उत्तर की आशा नहीं थी। प्रत्यक्षतः उन्होंने प्रश्न उत्तर को नहीं देखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रस्तुत किये गये उत्तर पर मात्र हस्ताक्षर कर दिये हैं।

प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है। आपको विदित होगा कि अप्रैल से अगस्त, 1977 की अवधि में औद्योगिक प्रगति मुश्किल से 4.7% थी जबकि इससे पूर्व के इसी वर्ष की अवधि में यह 13.1% थी। यह याद रखना उचित होगा कि भूतपूर्व सरकार आंकड़ों का हेरफार करने में

दक्ष थी। मंत्री महोदय के स्वयं के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1974 और 1975 में उत्पादन कम हुआ था। मैं इस बात के लिये अभारी हूं कि उन्होंने अपनी तुलना ब्रिटिश काल में किये गये कार्य से नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विद्युत चालीत क्षेत्र के असन्तोषजनक कार्य का उल्लेख किया है। विद्युत का सूचकांक जनवरी से मार्च, 1977 तक लगातार बढ़ रहा है और यह 145.3 से बढ़कर 153.7 हो गया है। लेकीन जुलाई, 1977 में स्थिति यह है कि यह मार्च, 1977 में 153.7 से घटकर 135.6 रह गया है। विद्युत की और इस प्रकार ध्यान दिया जा रहा है। फिर उन्होंने औद्योगिक अशान्ति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री ओ०वी० अलगेशन : वह औद्योगिक उत्पादन से सम्बन्धित है। उन्होंने अनेक बातें छिपाने की कोशिश की है। मुझे उन बातों की ओर ध्यान दिलाना है। उन्हे अपने कार्य की तुलना उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य से करनी चाहिये। मैं यह जानना चाहूँगा कि वर्तमान वर्ष में उनका लक्ष्य क्या है जिससे वह अपने कार्य की तुलना कर रहे हैं। मेरे विचार से यह 8 प्रतिशत कृषि उत्पादन में और 15 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन में है। इस बारे में मंत्री महोदय को क्या कहना है ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस: माननीय सदस्य ने प्रश्न के भाग (ग) का उल्लेख किया है और कहा है कि मैंने भाग (ग) का विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है। उद्योगों के बन्द होने की संख्या के बारे में श्रम मंत्रालय उपयुक्त उत्तर दे सकता है उद्योग मंत्रालय नहीं। जब प्रश्न प्रस्तुत होता है तो मैं अपने मंत्रालय से सम्बन्ध प्रश्न का ही उत्तर दूंगा। यह सम्भव नहीं है कि प्रश्न के उस छोटे से भाग को निकाल दिया जाये जिसका श्रम मंत्रालय द्वारा उत्तर दिया जाना है। जहां तक साधारण उत्तर दिये जाने का सम्बन्ध था, मैंने उत्तर दे दिया है और बताया है कि—

> "जहां तक अशान्ति का सवाल है यद्यपि अनेक एककों में श्रमिक विवाद होने की रिपोर्ट मिली है किन्तु समग्र देश के लिये उपलब्ध सूचना से उनकी पहले वर्षों से अधिक होने की पुष्टि नहीं होती"।

मुझे आशा है कि एक कुशल और अनुभवी संसद सदस्य होने के नाते श्री अलगेशन यह मानेंगे कि उद्योग मंत्रालय के लिये यह सम्भव नहीं होगा कि वह श्रम विभाग से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दे।

वह यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने अपने सामने उत्पादन दर के क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इस सम्बन्धमें मैं वही काम नहीं दोहराना चाहूंगा जो गत अनेक महीनों में दिये जा चुके हैं और वह ये कि हम ऐसी अर्थ व्यवस्था चला रहे हैं जो हमे विरासत में मिली है। सीमेंट, विद्युत और इस्पात जैसे क्षेत्रों में कुछ कमी है। उक्त कमी मुख्यतया अपर्याप्त क्षमता के कारण पैदा हो रही है। मेरे विचार से माननीय सदस्य यह बात समझते हैं। मेरे विचार से कांग्रेस सदस्य विशेषरुप से यह बात समझते हैं। अनेक वर्षों से क्षमता अपर्याप्त रही है। हमारी सीमेंट की 210 लाख टन की उत्पादन क्षमता है। देश इस समय क्षमता से 30 लाख टन कम सीमेन्ट का उत्पादन कर रही है। इसकी सामान्य कारण यह है कि जहां तक सीमेन्ट का सम्बन्ध है, गत तीन वर्षों में इसकी क्षमता नहीं बनाई गई है।

में इस मामले से चिन्तित हूँ। सरकार इस मामले से चिन्तित है। ये लोग नारे लगाते रहते हैं और क्षमता का कभी भी निर्माण नहीं करते। कागज उद्योग में इस्पात उद्योग में, कहां क्षमता है? देश में 3000 मेगावाट पावर की कमी है। क्षमता कहां है? इस प्रकार की चर्चा का कोई लाभ नहीं और मैं वही कारण नहीं देना चाहता (अन्तर्बाधाएं) मैं माननीय सदस्य, विशेषकर कांग्रेसी सदस्यों से अपील करूंगा कि वे स्थिति पर विचार करें। रातों-रात क्षमता पैदा करना सम्भव नहीं .... (अन्तर्बाधाएं)।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या वह सार्वजनिक भाषण दे रहे हैं? यह क्या तमाशा है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Setting up of Subsidiary Industrial Centres of Hindustan Machine Tools

*208. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up subsidiary industrial centres of Hindustan Machine Tools in various parts of the country on the occasion of its Silver Jubilee year;

(b) the names of the places where these centres would be set up; and

(c) the criteria for selection of these places?

The Minister of Industry (Shri George Fernandise) : (a) to (c) H.M.T. will be completing 25 years of its inception on 7th February, 1978. To mark the occasion, it has been decided, in keeping with the priorities accorded by the Government for development of small-scale and rural industries, that H.M.T. should contribute Rs. 25 lakhs towards setting up rural industrial extension centres in backward districts of the country. H.M.T. will also provide consultancy services and technical guidance for establishment of these centres. The selection of the places for location of these centres would be decided in consultation with the State Governments according to criteria based on the feasibility and viability of the projects in meeting priority needs and requirements.

नौवहन उद्योग द्वारा जहाजों का अधिग्रहण

*209. **श्री वसन्त साठे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौवहन उद्योग द्वारा जहाजों के अधिग्रहण किये जाने पर रोक लगाने के लिए अनेक उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित कार्यवाही के प्रति नौवहन उद्योग की प्रतिक्रिया क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

छपाई के सफेद कागज के नियंत्रित मूल्यों का पुनरीक्षण

210. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपाई के सफेद कागज के नियंत्रित मूल्यों का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : कागज उद्योग ने उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण तथा 2750 रु० प्रति टन के हिसाब से छपाई के सफेद कागज की सप्लाई करने पर उद्योग को हानि होने के कारण छपाई के सफेद कागज की बिक्री मूल्य बढ़ाने के लिए एक अभ्यावेदन दिया है। इस अभ्यावेदन के औचित्य को जांच करने के लिए उत्पादन लागत बढ़ जाने के बारे में ब्यौरेवार जानकारी अभी उद्योग द्वारा सरकार को दी जानी है ।

बैलगाड़ियां

*211. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की परिवहन प्रणालीमें बैलगाड़ियों का कितना योगदान है ;

(ख) बैलगाड़ियों के डिजाइन तथा कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए इंडियन इंस्टीच्यूट आफ मनेजमेंट, बंगलौर सहित विभिन्न संगठनों द्वारा किये गये अध्ययन की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या इन सुझावों को जांच की गई है तथा इन्हें स्वीकार किया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में अनुसंधान और विकास का समन्वय करने के लिए कोई केन्द्रीय एजेंसी है; और

(ङ) बैलगाड़ी परिवहन के गहन विकास के रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि होने तथा ग्रामों में क्या क्रांति आने का अनुमान है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) देश के कुल परिवहन पद्धति में बैलगाड़ी के सही भाग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) बैलगाड़ी के डिजाईन में सुधार के मुख्य क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :—

(i) पहिये और धुरी का डिजाईन

(ii) प्लेटफार्म का डिजाईन

(iii) योक और हारनेस का डिजाईन

(iv) ब्रेकिंग पद्धति का डिजाईन ।

पहला बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन 1945-50 के बीच श्री बी०वी० वाग द्वारा किया गया जिसने एक्सेल एसैम्बली के साथ 3½ इंच चौड़े स्टोल स्ट्रिपड पहिए रखने का सुझाव दिया जिसमें खराद-नमा एक्सेल, कास्ट आयरन वोयरिंग, रबड़ स्लोवज और पैंड हो। एक्सेल एसैम्बली में सुधार के लिए तथा न्यूमैटिक टायर वाले पहियों के साथ साथ रुढ़ोगत पहिए के तुलनात्मक कार्यों में सुधार के लिए 1957-58 में कुछ कार्य केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने भी किया।

मौजूदा छकड़ों के डिजाईनों में सुधार के लिए केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कुछ अन्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला परिषद् के सहयोग से इस समय अनुसंधान कार्य कर रहा है।

कई कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, टायर कम्पनियां, कुछ व्यक्तियों, उपस्कर बनाने वाले छोटे छोटे विनिर्माताओं तथा तकनोको संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और खड़गपुर पी०सी०जी० इंस्टोच्यूट आफ टैक्नालोजो, कोयम्बटूर, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर ने भी बैलगाड़ी के डिजाईन पुनः तैयार करने के प्रयास किए हैं।

भारतोय प्रबंध सस्थान बंगलौर प्रौद्योगिको संस्थान, कोयम्बटूर और आई०आई०टी० मद्रास के सहयोग से बैलगाड़ी की बढ़ियां किस्म तैयार करने पर कार्य कर रहा है।

(ग) परिष्कृत डिजाईन की स्वीकृति मुख्यतः किसानों की पसन्द बैलगाड़ी के सुधार की लागत, नई बैलगाड़ी के बदले जाने का आर्थिक लाभ योजक सड़कों की प्रकार तथा मरम्मत उपलब्ध सुविधाओं इत्यादी पर निर्भर करेगी। सरकार ने संबद्र्धन के लिए किसी विशेष डिजाईन को स्वीकार नहीं किया है।

(घ) संचालन दल में नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, कृषि तथा सिंचाई, विज्ञान तथा प्रोद्धयोगिको, योजना आयोग, ग्रामोण सुधार विभाग, विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ङ) योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययनों से विदित हुआ है कि बैलगाड़ियों का प्रयोग बहुउद्देशोय कार्यों के लिए किया गया है जिनमें से कृषि प्रमुख है तथा इसके मालिकों को यह आय का साधन है। बैलगाड़ियों के गहन विकास से होने वाले रोजगार की वृद्धि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

हरिजन महिलाओं के साथ दुराचार तथा उनकी हत्या

***212. श्री पी० के० कोडियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1977 से अब तक देश के विभिन्न भागों में हरिजन महिलाओं के साथ दुराचार तथा उनकी हत्या करने के कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) इन मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) उन में से कितने मामलों में चालान किया गया है; और

(घ) चालान किये गये मामलों में से कितने मामलो में दण्ड दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) अपराध : जिनके सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है "लोक व्यवस्था" के अन्तर्गत आते हैं जोकि राज्य का विषय है। ऐसे सभी मामलों में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करनी होती है। सूचना, जैसी राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकारों से उपलब्ध हुई है संलग्न अनुलग्नक में दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मामलों की संख्या	अवधि
1	आन्ध्र प्रदेश	2	जुलाई, 77 तक
2	असम	उपलब्ध नहीं	
3	बिहार	24	अक्टूबर, 77 तक
4	गुजरात	18	सितम्बर, 77 तक
5	हरियाणा	4	सितम्बर, 77 तक
6	हिमाचल प्रदेश	शून्य	
7	जम्मू व कश्मीर	उपलब्ध नहीं	
8	कर्नाटक	6	सितम्बर, 77 तक
9	केरल	2	जुलाई; 77 तक
10	मध्य प्रदेश	33	सितम्बर, 77 तक
11	महाराष्ट्र	13	सितम्बर, 77 तक
12	मणिपुर	शून्य	
13	मेघालय	शून्य	
14	नागालैण्ड	शून्य	
15	उड़ीसा	शून्य	
16	पंजाब	8	जून, 77 तक
17	राजस्थान	उपलब्ध नहीं	
18	सिक्किम	शून्य	
19	तमिलनाडू	2	जून, 77 तक
20	त्रिपुरा	शून्य	
21	उत्तर प्रदेश	102	अक्तूबर, 77 तक
22	पश्चिम बंगाल	शून्य	
संघ शासित क्षेत्र प्रशासन			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	
2	चंडीगढ़	शून्य	
3	दादरा और नगर हवेली	1	सितम्बर, 77 तक
4	दिल्ली	शून्य	
5	गोवा, दमन और दीव	शून्य	
6	लक्षद्वीप, मिनी कोय और अमनदीवी द्वीप समूह।	शून्य	
7	पांडिचेरी	शून्य	
8	मिजोरम	शून्य	
9	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	
	जोड़	215	

विवरण—II

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मामलों की संख्या	अवधि
1	आंध्र प्रदेश . . .	3	जुलाई, 77 तक
2	आसाम . . .	उपलब्ध नहीं	
3	बिहार . . .	45	अक्टूबर, 77 तक
4	गुजरात . . .	4	सितम्बर, 77 तक
5	हरियाणा . . .	3	सितम्बर, 77 तक
6	हिमाचल प्रदेश . .	3	अगस्त, 77 तक
7	जम्मू और कश्मीर . .	शून्य	
8	कर्नाटक . . .	2	सितम्बर, 77 तक
9	केरल . . .	2	जुलाई, 77 तक
10	मध्य प्रदेश . . .	32	सितम्बर, 77 तक
11	महाराष्ट्र . . .	9	सितम्बर, 77 तक
12	मणिपुर . . .	शून्य	सितम्बर, 77 तक
13	मेघालय . . .	शून्य	सितम्बर, 77 तक
14	नागालैंड . . .	शून्य	सितम्बर, 77 तक
15	उड़ीसा . . .	शून्य	सितम्बर, 77 तक
16	पंजाब . . .	1	जून, 77 तक
17	राजस्थान . . .	उपलब्ध नहीं	सितम्बर, 77 तक
18	सिक्किम . . .	शून्य	सितम्बर, 77 तक
19	तमिल नाडू . . .	उपलब्ध नहीं	सितम्बर, 77 तक
20	त्रिपुरा . . .	शून्य	सितम्बर, 77 तक
21	उत्तर प्रदेश . . .	61	अक्टूबर, 77 तक
22	पश्चिम बंगाल . . .	शून्य	जून, 77 तक

संघ शासित क्षेत्र प्रशासन

1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	
2	चंडीगढ़ . . .	शून्य	
3	दादरा और नगर हवेली	1	सितम्बर, 77 तक
4	दिल्ली .	शून्य	
5	गोवा, दमन और दीव . .	शून्य	
6	लक्ष द्वीप मिनीकोय और अमन दीवी द्वीप समूह ।	शून्य	
7	पांडिचेरी . .	शून्य	
8	मिजोरम . . .	शून्य	
9	अरुणाचल प्रदेश .	शून्य	
	जोड़	166	

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त विवरणों में दिये गये आंकड़े 1 मार्च, 1977 से आरम्भ होने वाली अवधि के संबंध में हैं । 15 मार्च से आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

2. चालान किये गये और दोषसिद्ध मामलों की संख्या के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Rising Prices of Newsprint

*213. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether the price of newsprint has gone up two-fold during the past five years; and

(b) if so, the steps taken by the Government to stabilize or to bring down the price of newsprint?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) The price of indigenous newsprint has increased from Rs. 1362/- per tonne in 1972-73 to Rs. 2700/- per tonne. The price of imported newsprint has gone up from a range of Rs. 1250 to 1350 per tonne in 1972-73 to a range of Rs. 3500 to Rs. 4000 C.I.F.

(b) The price of indigenous newsprint is fixed taking into account the cost of production and providing for a reasonable return on capital employed. So far as imported newsprint is concerned, long term contracts covering the requirements for the next few years, have been entered into, to take advantage of favourable market conditions. The facility of high sea sales has been given to large and medium newspapers, under which they obtain newsprint at lower cost. Arrangements are being made to extend this facility to small newspapers also.

Restructure of Central Power Research Institute

*214. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri Daya Ram Shakya :

Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the Central Power Research Institute Review Committee had recommended to Government to restructure the Central Power Research Institute as an autonomous organisation; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Yes, Sir.

(b) The Central Power Research Institute, Bangalore has already been registered as an autonomous Society under the Registration of Society's Act.

बिजली की पारेषण हानि

*215. **श्री रोबिन सेन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बिजली की पारेषण हानि बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, बिजली की पारेषण हानि कितनी हुई; और

(ग) पारेषण में हानि रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : भारत में प्रणाली हानियां, जिनमें पारेषण, ट्रांसफार्मेशन तथा वितरण हानियां शामिल हैं, विकसित देशों की तुलना में उपेक्षतया अधिक हैं। गत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण प्रणाली में हानियां निम्नप्रकार रहीं :--

क्रम सं०	वर्ष	प्रणाली हानियां
1	1974-75	20.48%
2	1975-76	19.42%
3	1976-77	19.92% (अनंतिम)

(ग) पारेषण और वितरण हानियो को कम करने के लिए किए गए अथवा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :--

I. पारेषण हानियों के लिए

(1) अधिक हानियों वाली लाइनों का पता लगाने के लिए मापन उपस्कर प्रतिष्ठापित करना और हानियों को कम करने के लिए उपाय शुरू करना;

(2) अधिक भार वाली लाइनों का भार कम करने के लिए नई पारेषण लाइनों व उपकेंद्रों का निर्माण करना;

(3) वर्तमान लाईनों के कंडक्टरों को बदलना ;

(4) उपकेन्द्रों का स्थान पुनः निर्धारित करना ;

(5) वोल्टता स्थितियों में सुधार लाने, पारेषण लाइनों का भार कम करने और इसके द्वारा हानियों को कम करने के लिए विभिन्न ग्रिड उपकेन्द्र पर उच्च वोल्टता संधारित्तों (कैपेसिटर्ज) को प्रतिष्ठापित करना;

(6) हानियों को कम करने के लिए स्कीमें तैयार करने तथा हानियों को न्यूनतम करने हेतु निर्माण कार्यों को विभिन्न मदों को समय पर सुनिश्चित करने और बिजली की उपलब्ध क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों में विशेष यूनिटें स्थापित करना;

(7) प्रणाली में सुधार लाने के लिए वर्ष 1977-78 के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे हानियों को कम किया जाएगा।

II. वितरण हानियों के लिए

(1) बोर्डों को सप्लाई संबंधी शर्तों में संशोधन जिसमें इन्जक्टिव मोटिव विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि बिजली के नए कनेक्शन दिए जाने से पूर्व वे अपने-अपने टर्मिनलों पर शंट केपैसिटर्ज लगवाएं।

(2) ऊर्जा की चोरी रोकने के लिए अचानक निरीक्षण करने के लिए सतर्कता दस्तो की स्थापना।

(3) ऊर्जा की चोरी के लिए अधिक कड़ा दंड देने की व्यवस्था किए जाने के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 में संशोधन का प्रस्ताव है।

(4) मोटरों से छेड़छाड़ रोकने के लिए उपभोक्ताओं के अहातों में दुहरे कम्पार्टमेंट वाले मोटर बक्से लगाना।

(5) सीधी ही बिजली ले लेने की चोरी रोकने के लिए मीटरों के पीछे कट आउट लगाना।

(6) बिजली को सीधी चोरी का स्पष्टतया पता चल जाए, इस प्रयोजन से सर्विस मेन के रूप में सिंगल कोर तारों के स्थान पर पी० वी० सी० मल्टी कोर कैबलों का प्रयोग।

(7) मीटर से छेड़छाड़ रोकने के लिए, टर्मिनल कवर के नीचे के बजाए मीटर के ढांचे के भीतर ही पोटेन्शियल लिंकों की व्यवस्था करना।

(8) विभिन्न स्तरों पर बोर्डों के इन्जीनियरों द्वारा रीडिंगों की नियमित रूप से जांच की जाना और जांच की रिपोर्टों को बिल बनाने वाली यूनिटों को भिजवाना जिससे क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा भेजी गई रीडिंगों के साथ उनका सत्यापन किया जा सके

(9) चोरी रोकने के लिए, मोटरों के ढांचे पर, टर्मिनल कवरों पर तथा कट आउटों की सील करने के लिए टेढ़ी-मेंढ़ी तथा संख्यांकित सीलों का उपयोग करना, सीलों का हिसाब रखना और जाली सीलों का पता लगाना।

Police Firings in States

*216. **Dr. Ramji Singh:**

Shri Mani Ram Bagri:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of times firing has been opened in each State after assumption of office by Janata Government;

(b) the total number of persons killed and injured as a result thereof;

(c) whether judicial enquiry was conducted in each case; if not, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to formulate any stringent rules for prosecuting the police on murder charges in case they open fire in violation of these rules?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) to (d): Information is being collected from various State Governments/Union Territories and would be laid on the Table of the House as soon as received.

भारत आप्टीकल ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर द्वारा लैंक्क लैन्सों का उत्पादन

217. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का उपक्रम, भारत ऑप्टोकल ग्लास लि०, दुर्गापुर चश्मों के लिए ब्लैन्क लन्सों (बिना नम्बर के शोशे) का उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तोन वर्षों के दौरान कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या ब्लैन्क लैन्सों (बिना नम्बर के शोशे) का अभो भारत में आयात किया जा रहा है और यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी कोमत के ब्लैन्क लैन्सों (बिना नम्बर के शीशे) का आयात किया गया; और

(घ) स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशो मुद्रा बचाने की दृष्टि से आयात को निरुत्साहित करने के लिए अन्य कारखानों और उत्पादकों को लैन्सों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस देने के क्या प्रयास किये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : मे० भारत आप्थेल्मिक ग्लास लि० (बो०ओ०जो०एल०) जो केन्द्रोय सरकार का एक उपक्रम है, आप्थेल्मिक ब्लैंक लैन्स (बिना नम्बर के शीशे) बना रहा है। कंपनो का विगत तीन वर्षों का उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

1974-75	48.97 मीट्रिक टन
1975-76 . . .	112.94 मीट्रिक टन
1976-77 . . .	112.77 मीट्रिक टन

(ग) आप्थेल्मिक ब्लैंकों के आयात का प्रणालोकरण बी०ओ०जी०एल० के माध्यम से किया जाता है। कंपनी द्वारा विगत तीन वर्षों में किये गये आयात नोचे दिये गये हैं :—

	(रुपए लाखों में)
1974-75	31.94
1975-76	66.88
1976-77	30.22

(घ) मैसर्स भारत आप्थेल्मिक ग्लास लि० को 1976 में उनकी वार्षिक क्षमता 300 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 600 मीट्रिक टन तक कर देने की अनुमति दी गयी थी। कंपनी नवीनतम प्रौद्योगिकी का आयात करने अथवा वैकल्पिक रूप से सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये देश में ही प्रौद्योगिकी का विकास करने का प्रयास कर रही है। निरंतर चलने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने के बाद आशा की जाती है कि भारत आप्थेल्मिक ग्लास लि० देश की आप्थेल्मिक ब्लैन्कों (बिना नम्बर के शीशे) की प्रत्याशित मांग को पूरा करने में समर्थ हो जायेगी। तब तक मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता रहेगा।

विगत तीन वर्षों की अवधि में देश में आप्थेल्मिक ब्लैन्क बनाने के लिये एक विदेशी पूंजी बहुल कंपनी से 1975 में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। चूंकि बनाई जाने वाली वस्तु 1973 की लाइसेंसिंग नीति के परिशिष्ट-1 में शामिल नहीं थी और न ही वह विदेशी कंपनियों को दी जा सकती है अतः कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गयी थी।

राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार के उत्सव पर अव्यवस्था

*218. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :**
श्री मोहम्मद हयात अली :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 6 नवम्बर, 1977 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो पुरस्कार विजेताओं का ब्यौरा और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें उत्सव का उचित ढंग से आयोजन करने में सरकार की अकार्यकुशलता की ओर प्रकाश डाला गया है;

(घ) क्या यह सच है कि फिल्म आलोचकों सहित बहुत से अतिविशिष्ट व्यक्ति तथा यहां तक कि पुरस्कार विजेता भी दरवाजों पर भारी भीड़ के कारण 'आडिटोरियम' में नहीं जा सके;

(ङ) क्या सरकार ने उत्सव का अच्छे ढंग से आयोजन करने की विभाग की असफलता के कारणों की कोई जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें पुरस्कारों को श्रेणियां, पुरस्कार पाने वालों के नाम और दिए गए पुरस्कारों का ब्यौरा दिया हुआ है। **[सभा-पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1205/77]**

(ग) से (च) तक इस आशय को कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थी कि भारी भोड़ होने के कारण पत्रकारों, जूरी के सदस्यों आदि सहित बहुत से आमंत्रित व्यक्तियों को हाल में प्रवेश नहीं मिल सका। तथ्यों का पता लगाने के लिए और यह सुनिश्चित करने हेतु कि भविष्य में इस प्रकार को शिकायतों का कोई उचित कारण न रहे, मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

आकाशवाणी पर रूस में प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने का समाचार

*219. **श्री के० मालन्ना : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 अक्तूबर, 1977 को आकाशवाणी के अंग्रेजी समाचार बुलेटीन में शाह आयोग जांच कार्यवाही तथा जगमोहन रेड्डी आयोग जैसे कम महत्व के समाचारों की तुलना में रूस में प्रधान मंत्री द्वारा संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने का अत्यधिक महत्वपूर्ण समाचार नगण्य रूप में दिया गया था;

(ख) शाह आयोग की कार्यवाहियां विस्तार से प्रसारित करने तथा प्रधानमंत्री द्वारा ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के समाचार को पृष्ठभूमि में रखने के लिए आकाशवाणी को किसने हिदायत दी थी; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रख कर उनकी प्राथमिकता के अनुसार समाचारों को क्रमबद्ध करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) क्योंकि भारत सोवियत संयुक्त विज्ञप्ति के पाठ का प्रसारण या प्रकाशन 26 अक्तूबर, 1977 के रात के 10.30 बजे (भारतीय मानक समय) से पहले करने पर रोक थी, इसलिए उसको उस दिन के आकाशवाणी के रात के 9 बजे के समाचार बुलेटीन में स्थान नहीं दिया जा सकता। इसलिए रात के 9 बजे के समाचार बुलेटिन में केवल यही कहा गया कि घोषणा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। पाठ के जारी होने के बाद, उस रात को जो प्रथम बुलेटिन उपलब्ध था वह रात के 11 बजे का बुलेटिन था। अतः इसको रात के 11 बजे के बुलेटिन में विस्तार से प्रसारित किया गया। अगले दिन के मुख्य प्रातःकालीन बुलेटिनों, जिनमें प्रातः 8 बजे का हिन्दी का और प्रातः 8.10 बजे का अंग्रेजी का बुलेटिन भी शामिल है, में भी पाठ प्रसारित किया गया था।

(ख) शाह आयोग की कार्यवाहियों को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में समाचारिक महत्व और श्रोताओं की रुचि के आधार पर स्थान दिया जा रहा है। प्रधान मंत्री द्वारा ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के समाचार को पृष्ठ भूमि में नहीं रखा गया है। इसकी अपेक्षा इसको

आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों तथा स्पाटलाइट जैसे अन्य कार्यक्रमों और न्यूजरीलों में विस्तार से कवर किया गया है और प्रधान मंत्री के भाषणों के पाठ को दो अवसरों पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा रुई की एकाधिकार वसूली योजना में परिवर्तन किया जाना

*220. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा रुई की एकाधिकार वसूली योजना में किये गये परिवर्तन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने देश में रुई के उत्पादन और वसूली पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) : महाराष्ट्र की कपास खरीदने की एकाधिकार किस्म की योजना 17 अगस्त, 1977 से समाप्त कर दी गई थी । चूंकि चालू वर्ष के लिए कपास बोने का काम अब तक समाप्त हो चुका होगा अतः इस परिवर्तन के प्रभाव का आंकलन आगामी कपास वर्ष (1978-79) में ही किया जा सकेगा ।

जोरहाट के समीप दुर्घटना ग्रस्त वायुसेना विभान के कर्मचारियों का स्मारक

*221. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु सेना के विशिष्ठ व्यक्ति स्क्वैड्रन के उस विमान के पांच कर्मचारियों का स्थाई स्मारक बनाने के प्रश्न पर विचार किया है जो प्रधान मंत्री को ले जाते हुए हाल ही में जोरहाट के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनकी स्मृति बनाये रखने के लिए कोई अन्य कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारतीय वायुसेना के उस विशिष्ठ व्यक्ति विमान के पांच कर्मचारियों का स्थाई स्मारक बनाने के प्रश्न पर इस समय कोई विचार नहीं किया जा रहा है जो प्रधान मंत्री को ले जाते हुए जोरहाट के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उनकी स्मृति बनाये रखने के लिए कोई अन्य उपाय भी विचाराधीन नहीं हैं ।

पश्चिम बंगाल में परिवहन समस्या को हल करने की योजना

*222. **श्री चित्त बसु :** क्या योजना मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार से वहां को परिवहन समस्या को सुलझाने के लिये एक पूर्ण योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसो योजना प्रस्तुत कर दो है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जो, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन

*223. **डा० सुशीला नायर :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया गया;

(ख) तापीय और जल-विद्युत जनन की तुलना में प्रति यूनिट कितनी लागत आई; और

(ग) देश के विभिन्न परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों के अवशिष्टों के निपटान की क्या व्यवस्था की गई ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हमारे देश में जो दो परमाणु बिजलोघर इस समय काम कर रहेहैं उनके द्वारा वर्ष 1976-77 में उत्पादित बिजली का विवरण नोचे दिया जा रहा है।

	क्षमता	वर्ष 1976-77 में उत्पादन
(i) तारापुर परमाणु बिजलीघर	420 मैगावाट	21570 लाख किलोवाट घंटे
(ii) राजस्थान परमाणु बिजलोघर	220 मैगावाट	10950 लाख किलोवाट घंटे

(ख) सामान्यत: परमाणु बिजलो या ताप बिजलो की अपेक्षा पनबिजलो काफी सस्ती होती है। यद्यपि, पनबिजलीघरों पर प्रारंभिक पुंजीगत लागत, अधिक आती है, तथापि उनके लिए आवश्यक ईंधन को कीमत नगण्य होतो है, जिसके परिणामस्वरूप ताप बिजलो अथवा परमाणु बिजलो की तुलना में पन बिजलो की प्रति यूनिट लागत काफो कम बैठती है। उस स्थान की परिस्थिति के आधार पर, जहां कोई बिजलोघर लगा हुआ है प्रति यूनिट लागत में अन्तर हो सकता है। परमाणु बिजली की प्रति यूनिट लागत को तुलना ताप बिजलो की प्रति यूनिट लागत के साथ करना अपेक्षाकृत उचित है। उन क्षेत्रों से, जहां कोयला मिलता है, 600 से 800 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्थानों पर परमाणु बिजलो ताप बिजलो से सस्तो पड़ सकतो है। तारापुर परमाणु बिजलोघर से प्राप्त होने वाली परमाणु बिजलो को प्रति यूनिट लागत केवल 13 पैसे है जबकि उस क्षेत्र में लगे लगभग उसी क्षमता के ताप बिजलोघरों से प्राप्त बिजलो की प्रति यूनिट लागत 14–15 पैसे बैठती है।

(ग) देश के विभिन्न परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों से बाहर निकलने वाले बेकार पदार्थ निम्नलिखित दो प्रकार के होते है :—

(i) रेडियोधर्मिता रहित ऐसे पदार्थ जो उद्योग-धंधों से सामान्यतः बाहर निकलते हैं; और

(ii) रेडियोधर्मी अपशिष्ट।

बिजलोघरों से निकलने वाले रेडियोधर्मिता रहित पदार्थों को मात्रा और उनका जहरीलापन जोवाश्म ईंधनों से चलने वाले अन्य बिजलीघरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनके जहरीलेपन की अपेक्षा नगण्य होते हैं। बिजलीघरों तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों की विषाक्तता अहानिप्रद स्तर तक रहने के लिए, जहां आवश्यक होता है वहां, उन्हें संसाधित करने के बाद बाहर फेंका जाता है। देश के परमाणु बिजलीघरों तथा अन्य परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गैसीय तथा तरल रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों की रेडियोसक्रियता का मापन ओर उनका संसाधन ध्यान से किया जाता है तथा उन्हें पर्यावरण में जाने देने से पहले उनकी रेडियोसक्रियता के स्तर को घटा कर उसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर नियत स्तर तक ला दिया जाता है। तारापुर परमाणु बिजलोघर से बाहर निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों की रेडियोसक्रियता का स्तर नियतस्तर के लगभग दसवें भाग के बराबर रहा है।

एसोसिएशन आफ इंडियन माइन्स सर्वेयर धनबाद द्वारा मांगपत्र

1933. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन आफ इंडियन माइन्स सर्वेयर धनबाद ने अपनी सेवा शर्तों तथा दर्जों के बारे में कोई मांगपत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनको मांगें क्या हैं; और

(ग) मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) मांगों में ये बातें शामिल हैं—संघ को मान्यता, सर्वेक्षकों को कार्यकारी अधिकारियों का दर्जा, पदोन्नति नीति, सर्वेक्षकों तथा सर्वेक्षण स्टाफ को विभिन्न उपयुक्त ग्रेडों में रखना तथा सर्वेक्षकों की समस्याओं पर चर्चा के लिए प्रबंध तथा सर्वेक्षकों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति का गठन जो किसी अन्य एजेंसी के अधीन या उससे संबद्ध न हो।

(ग) ईस्टर्न कोलफोल्ड्स लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० ने सर्वेक्षण कार्मिकों की सभी शिकायतो को जांच के लिए दो मास के भीतर एक संयुक्त समिति गठित करने का निश्चय किया है।

Development of Missiles by China

1934. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether China has developed such missiles which have brought the various parts of India within its range; and

(b) if so, reaction of the Government of India thereto?

The Minister of Defence (Shri Jag Jivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) Though the Government of India are aware of developments in missile capability in China, Government do not visualise a missile threat at present.

गुजरात में दमण गंगा पुल का निर्माण

1935. **श्री अमृत कासर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दमण गंगा पुल का निर्माण करने का कार्य वर्ष 1974 में गुजरात सरकार को सौंपा था;

(ख) क्या उक्त कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं तो उक्त पुल प्रयोग हेतु कब तक तैयार हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) : संभवतया माननीय सदस्य दमन संघ राज्य क्षेत्र में मोती दमन और नानी दमन को जोड़ने वाली दमन गंगा के अपर पुल का उल्लेख कर रहे हैं, यह कार्य 1964 न कि 1974 में निष्पादन के लिये गुजरात सरकार को सौंपा गया। कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि जुलाई, 1976 की असाधारण बाढ़ से आंशिक रूप से बने पुल को बुरी तरह क्षति हुई है। पूरे होने की तारीख को सूचित करना संभव नहीं है क्योंकि पुल का पूरा करने के लिये विभिन्न विकल्पों की जांच की जानी है और निश्चय किया जाना है जिसमें विस्तार से कार्य करना शामिल है।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूणे में एक वैज्ञानिक की मृत्यु

1936. **श्री आर० के० महालगी** : क्या योजना मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1977 में पुणे (महाराष्ट्र) को राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशालाओं में हुई एक दुर्घटना में प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री जयन्त साठे की ड्यूटी करते हुए मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना किस प्रकार की थी और किस कारण हुई;

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या उक्त मृतक के उत्तराधिकारियों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तथा किसे और कितना ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे के वरिष्ट वैज्ञानिक सहायक डा० जे० वी० साठे दिनांक 8 फरवरी, 1977 को परीक्षण करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। फरवरी 12, 1977 को उनका देहांत हुआ।

(ख) यह दुर्घटना उस समय हुई जब, वह एक खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया पर परीक्षण कार्य कर रहे थे, जिसमें फासफोरस ट्राइक्लोराईड नाम का रसायन मिला हुआ था।

(ग) प्रयोगशाला में निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपाय कार्यरत हैं :—

(एक) प्राथमिक उपचार के डिब्बे (फर्स्ट एड बाक्सेस) प्रत्येक विभाग में पहिले से रखे हुए हैं और उन्हें रखने के स्थानों को विशेष सूचना पट्ट लगाकर इंगित किया गया है।

(दो) आग बुझाने वाले पानी के फुव्वारे पहिले ही रखे हुए हैं। इनकी समय समय पर जांच की जाती है जिससे उनके सुचारू रूप से चलने का भरोसा हो सके। प्रत्येक शौचालय/स्नानगृह के दरवाजों पर पानी के फुव्वारों को विशेष सूचना साइन बोर्डों पर लिखकर लगा दी गई है।

(तीन) वैज्ञानिकों को कार्य के समय उनके प्रयोग के लिये सेफ्टी किट्स, गैस मास्क्स, और आंखों के चश्मे तथा अन्य सुरक्षात्मक वस्तुएं दी गई हैं।

(घ) और (ङ) : स्वर्गीय डा० साठे के परिवार को नियमों के अंतर्गत स्वीकृत समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है। अनुग्रह निधि में से आगे भुगतान करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मृत्यदंड के लिए बिजली की जंजीर की व्यवस्था शुरू करना

1937. **श्री बापूसाहेब परुलेकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि यदि सरकार मृत्युदंड को समाप्त नहीं करना चाहती तो, क्या उसका फांसी लगाने के वर्तमान तरीके के स्थान पर बिजली की जंजीर की व्यवस्था शुरू करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है।

डुमरी घाट पर कोसी नदी पर पुल का निर्माण

1938. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डुमरी घाट पर कोसी नदी पर पुल का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : जी, नहीं। यह पुल बनने पर राज्य सड़क पर पड़ेगा और अतः राज्य के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु शक्ति से बिजली का उत्पादन

1939. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से तथा कितने एकक परमाणु शक्ति से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और प्रत्येक एकक द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) ऐसा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं हैं;

(ग) कलपक्कम परियोजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) मूल लक्ष्य के मुकाबले में परियोजना को कब तक पूरा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तीन यूनिट बिजली पैदा कर रहे है, जिनके नाम हैं :— तारापुर परमाणु बिजलीघर के यूनिट-I तथा यूनिट-II तथा राजस्थान परमाणु बिजलीघर का यूनिट-I।

3—350 L.S.S. (N.D.)/77

वर्ष 1976-77 में उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता तथा उनमें पैदा हुई बिजली की मात्रा निम्नलिखित प्रकार से रहीं :—

यूनिट का नाम	क्षमता	वर्ष 1976-77 में पैदा हुई बिजली की मात्रा
तारापुर परमाणु बिजलीघर का यूनिट-I .	210 मैगावाट	10170 लाख किलोवाट घंटे
तारापुर परमाणु बिजलीघर का यूनिट-II	210 मैगावाट	11400 लाख किलोवाट घंटे
राजस्थान परमाणु बिजलोघर का यूनिट-I	220 मैगावाट	10950 लाख किलोवाट घंटे

(ख) 1160 मैगावाट को प्रतिष्ठापित क्षमता वाले पांच और यूनिट निर्माणाधीन ह । नीचे दिए गये विवरण के अनुसार इन पांचों यूनिटों का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने पर, दिसम्बर, 1983 तक परमाणु बिजली के उत्पादन को प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़कर 1800 मैगावाट हो जायेगी ।

यूनिट का नाम	क्षमता	चालू होने को संभावित तारीख
(1) राजस्थान परमाणु बिजलोघर का यूनिट-II	220 मैगावाट	भारी पानी उपलब्ध होने की अवस्था में सन् 1978 के मध्य तक ।
(2) मद्रास परमाणु बिजलीघर का यूनिट-I	235 मैगावाट	दिसम्बर, 1979
(3) मद्रास परमाणु बिजलीघर का यूनिट-II	235 मेगावाट	जुलाई, 1981
(4) नरोरा परमाणु बिजलीघर का यूनिट-I	235 मैगावाट	दिसम्बर, 1982
(5) नरोरा परमाणु बिजलीघर का यूनिट-II	235 मैगावाट	दिसम्बर, 1983

(ग) कलपक्कम में बनाये जा रहे यूनिट-I के निर्माण-कार्य का काफी भाग पूरा हो चुका है । सभी बड़े उपस्कर लगा दिये गये हैं और आशा है कि यूनिट दिसम्बर, 1979 तक क्रांतिकता प्राप्त कर लेगा । जहां तक यूनिट-II का संबंध है, उसका कैलेंड्रिया तैयार हो गया है और एंड शील्डों को बनाने का काम लगभग पूरा होने वाला है । जनरेटर के मुख्य संघटक परियोजना-स्थल पर पहुंच चुके है और प्लांट से संबंधित सिविल निर्माण-कार्य पूरे किए जा चुके हैं । इस यूनिट के निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय जुलाई, 1981 है । आरम्भिक लक्ष्य के अनुसार ये दोनों यूनिट क्रमशः दिसम्बर, 1973 और दिसम्बर, 1976 तक तैयार होने थे ।

तिरुनेलवेली आकाशवाणी केन्द्र को एक पूर्ण केन्द्र में बदलना

1940. श्री एम० अरुणाचलम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को पता है कि तिरुनेलवेलो (तमिलनाडु) के 14 वर्ष पुराने, मीडियावेव आकाशवाणी केन्द्र में कार्यक्रमों आदि के रिकार्डिंग के लिए उल्लेख योग्य सुविधायें विद्यमान नहीं है; और

(ख) क्या तिरुनेलवेलो आकाशवाणी केन्द्र को एक पूर्ण स्वतंत्र केन्द्र में बदलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) यह सही है कि तिरुनेलवेली में एक सहायक केन्द्र है ।

(ख) तिरुनेलवेली के सहायक केन्द्र को मूलरुप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले पूर्ण रूपेण केन्द्र में परिवर्तित करने की योजना को पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल किया गया था, परन्तु धनराशी की कमी के कारण उसको योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया । इसको अनवरत योजना 1978-83 के मसौदे में शामिल किया गया है, परन्तु इसका कार्यान्वियन योजना आयोग की स्वीकृति पर निर्भर करेगा । इस योजना को वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के राजस्व से बनाई गई अव्यपगमनीय निधि से वित्त पोषित करने की संभावना का भी पता किया जा रहा है ।

पांचवी योजना में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिये परिव्यय

1941. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के पांचवे वर्ष में कृषि तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों के लिये परिव्यय दुगना कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में राज्यों से विधिवत् परामर्श किया गया है; और

(ग) क्या सम्बन्धित राज्यों के योगदान के मुकाबले में वित्तीय बाधाओं का भी कोई मूल्यांकन किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना इस वर्ष समाप्त हो जाएगी और नई योजना अप्रैल, 1978 से आरंभ को जाएगी । 1978-79 को वार्षिक योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर परिव्यय के संबंध में इस समय विचार हो रहा है ।

(ख) और (ग) : 1978-79 को योजना के लिए राज्यों के संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों के साथ विचार विमर्श चल रहा है । क्षेत्रीय परिव्ययों और हरेक राज्य की योजना के आकार का निर्धारण करने के लिए उनके साथ और परामर्श दिसम्बर, 1977 तथा जनवरी, 1978 में किया जाएगा ।

तालचेर क्षेत्र में कोयला खानों में कोयले का जलना

1942. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पहले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और वर्तमान सी० सी०एल० के कोयले के जो ढेर तालचेर क्षेत्र में डुलबेरा कोयला खान, नन्दिरा कोयला खान और जगन्नाथ कोयला खान में पड़े हैं, उनमें गत कई वर्षो से आग लगी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कोयला कब से जलता जा रहा है, कितने मूल्य का कितना कोयला जल चुका है, आग बुझाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं और क्या कोयला अब तक लगातार जल रहा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं । तालचेर क्षेत्र में देउलबेरा और नन्दिरा कोलियरोज के कोयले के स्टाक में आग नहीं लगी हुई है । किन्तु जगन्नाथ कोलियरी के कोयले के स्टाक के एक भाग में अपने आप आंच पैदा हो गई है ।

(ख) आग से अप्रभावित कोयले को बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे है । जले कोयले ी मा ा और आग बुझाने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी एकत्र को जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भूतपूर्व मंत्रियों से सम्बद्ध कर्मचारी

1943. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या गृह मंत्री दिनांक 3-8-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6021 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्र करली गई; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1206/77]

मंत्रालयों में हिन्दी का प्रयोग

1944. **श्री मोहनलाल पिपिल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 अगस्त, 1976 के समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि वित्त मंत्रालय के केवल आठ अनुभागों में सरकारी कार्य के लिए हिन्दी का प्रयोग आरम्भ किया गया है और यदि हां, तो इसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) भारत के और किस-किस मंत्रालय में सरकारी कार्य के लिए केवल हिन्दो में ही कार्य करना आरम्भ किया गया है तथा कब से; और

(ग) क्या उन मंत्रालयों को, जिन्होंने केवल हिन्दी में ही कार्य करना आरम्भ किया है, राज भाषा विभाग द्वारा कोई प्रोत्साहन दिये जाते हैं और यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, पिछले वर्ष वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अपने 8 अनुभागों में (जिन्हें अब 6 अनुभागों में पुनर्गठित कर दिया गया है) प्रशासनिक कार्य हिन्दो में करने का निर्णय किया था, जोकि स्तुत्य है।

(ख) भारत सरकार की वर्तमान नोति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को इस बात का विकल्प है कि वे अपना सरकारी कामकाज हिन्दो या अंग्रेजी किसी भो भाषा में करें; लेकिन हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को अपना अधिकाधिक काम हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) ऊपर (ख) भाग के उत्तर के अनुसार मन्त्रालयों में केवल हिन्दी में हो काम किए जाने का प्रश्न नहीं उठता; लेकिन तय किया गया है कि जिस मंत्रालय में हिन्दी में सबसे अधिक काम होगा उसे राज भाषा विभाग की ओर से एक शील्ड दी जायेगी ।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि

1946. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता सेनानियों ने सरकार से अपनी पेंशन के वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों के बारे में ब्यौरा क्या है और उनपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्। समय समय पर स्वतंत्रता सेनानी 200 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन में सामान्य वृद्धि करने के लिये अनुरोध करते रहें हैं।

(ख) 200 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन में एक सामान्य वृद्धि मौजूदा कठिन आर्थिक स्थिति में व्यवहार्य नहीं है।

Prime Minister's National Relief Fund

1947. **Shri Natwarlal B. Parmar:** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the sources of income of the Prime Minister's National Relief Fund; and

(b) the amount of relief provided out of P.M.'s National Relief Fund in each case during the past six months and the criteria adopted therefor?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) The sources of income of the Prime Minister's National Relief Fund are voluntary public contributions and interest earned on Bank Deposits.

(b) Grants disbursed from the Fund from 1st June, 1977 to date are :

1.	Govt. of West Bengal for flood relief	2,00,000.00
2.	Govt. of Gujarat for flood relief	2,00,000.00
3.	Govt. of Andhra Pradesh for cyclone relief	42,00,000.00
4.	Govt. of Tripura for flood relief	1,00,000.00
5.	Delhi Administration for flood relief	2,00,000.00
6.	Govt. of Haryana for flood relief	1,50,000.00
7.	Govt. of Orissa for flood relief	1,00,000.00
8.	Govt. of U. P. for flood relief	1,00,000.00
9.	Govt. of Assam for flood relief	2,00,000.00
10.	Govt. of Tamil Nadu for flood relief	1,00,000.00
11.	Govt. of Tamil Nadu for cyclone relief	11,00,000.00
12.	Govt. of Rajasthan for flood relief	1,00,000.00
13.	Govt. of Punjab for flood relief	50,000.00
14.	Govt. of Karnataka for flood relief	50,000.00
15.	Govt. of Kerala for flood relief	50,000.00
16.	Families of the five air-crew of the I.A.F. plane which crashed near Jorhat (Rs. 10,000.00 each)	50,000.00

17.	Family of Shri K. K. Chadda, Stenographer who jumped to death from the 17th storey of D.D.A. building	5,000.00
18.	Shri Tatyasaheb Deshpande, Nasik, for Medical treatment .	1,000.00
19.	Family of the late Shri Randhir Singh who died in a fire accident in Kirti Nagar, New Delhi	1,000.00
20.	Govt. of Kerala for cyclone relief	1,00,000.00
	TOTAL .	70,57,000.00

Disbursements to the State Governments were on the basis of magnitude of the natural calamities, the extent of loss/damage of life and property and human distress caused. The other grants were made to alleviate extreme hardship caused to families by the untimely death of bread winners in accidents and for medical assistance in a case of acute illness of a person in penury.

ऊर्जा के साधनों का उपयोग करने के लिए प्रयोग

1948. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खनिज ईंधन निक्षेप अनेक वर्षों तक नहीं चल सकेंगे देश के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पवन चक्की, पन चक्की जल प्रपात जैसे परम्परागत विद्युत प्रजनन साधनों के अतिरिक्त ऊर्जा के अन्य साधनों, जैसे सौर ऊर्जा, समुद्र के ज्वार भाटे, तूफान, आदि का उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोग किए जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अन्य देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए विशेषकर घरों को ठण्डा या गर्म रखने के लिए, पानी उबालने या ठण्डा करने के लिए प्रणोदो (प्रोपेलिंग) उपकरणों आदि के लिए किए गए या किए जा रहे प्रयोगों का भारत ने कहां तक लाभ उठाया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) विभिन्न प्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य अनेक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में शुरू किए गए हैं। इनमें ये संस्थान सम्मिलित हैं :—

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर;

बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी;

राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली;

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना;

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर;

सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटड, साहिबाबाद;

अमूल अनुसंधान और विकास संघ, आणन्द

अरोविल्ले सेन्टर, पाण्डिचेरो;

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड;

अन्नामलय विश्वविद्यालय, चिदाम्बरम्;

राष्ट्रोय औद्योगिक विकास निगम, नई दिल्लो;

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून;

केन्द्रोय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर;

केन्द्रोय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर;

इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, हैदराबाद।

अनुसंधान गतिविधियां निम्नलिखित कार्यों के लिए सौर-ऊर्जा का उपयोग किए जाने के बारे में की जा रही है—

जल का पम्पिग के लिए जिसका उपयोग देहाती क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए किया जाएगा;

अनाज और अन्य कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए;

जल और स्थान को गरम करना;

स्थान का शीतलन, रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन;

यांत्रिक विद्युत के विकास के माध्यम से तथा सौर सेलों के उपयोग द्वारा सोधा परिवर्तन करके विद्युत उत्पादन;

जल को लवण रहित करना और खारे जल को पेय जल में बदलना।

अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के लिए सौर शुष्कक, लकड़ी सुखाने के लिए सौर भट्टे तथा घरेलू सौर जल-हीटरों का विकास कर लिया गया है। सौर पम्पो के प्रयोगशाला माडल भी विकसित किए गए हैं।

जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उत्तर-पश्चिमी हिमालय में तथा पश्चिमी तट के पास भू-तापीय क्षमता सुनिश्चित करने और उसका उपयोग करने को संभावनाओं के बारे में अन्वेषण कार्य प्रगति पर है। भू-तापोय ऊर्जा का उपयोग करने वाले एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने संबंधी परियोजना का काम भारतोय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्लो और भारतोय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में शुरू किया गया है।

ज्वारोय विद्युत् क्षमता सुनिश्चित करने और उसका उपयोग करने की संभावनाओं के बारे में भो कुछ प्रारंभिक अध्ययन कार्य हाथ में लिए गए हैं।

केन्द्रोय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में पवन चक्को शिल्पविज्ञान को विकसित करने के लिए कुछ अनुसंधान और विकास गतिविधियां प्रगति पर हैं।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में 10 किलोवाट का एक प्रायोगिक सौर संयंत्र स्थापित करने के बारे में फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के साथ एक संयुक्त परियोजना शुरू की गयी है। भारतीय इंजीनियर तथा वैज्ञानिक भी, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा गोष्ठियों में भाग लेकर और सूचना के आदान-प्रदान आदि के द्वारा विश्व के अन्य भागों में नए ऊर्जा साधनों के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

Kendriya Hindi Samiti

1949. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of non-official members in 'Kendriya Hindi Samiti' (Central Hindi Committee) and the criteria for their appointment; and

(b) whether Members of Parliament have been included therein?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) The following non-official members have been nominated to the Kendriya Hindi Samiti :—

1. Shri Sudhakar Pandey.
2. Dr. Malik Mohammad.
3. Shri Ganga Sharan Singh.
4. Dr. Raghuvir Sharan Mitra.
5. Shri P. V. Narsinghrao.

Such non-official members as are literary figures of All India level or social workers or are attached to Hindi serving institutions of All India level or who, in the opinion of Government, can contribute to the increased use of Hindi in official work, its progress and propagation, are nominated as members of the Kendriya Hindi Samiti.

(b) Yes, Sir, Shri P. V. Narsinghrao is a member of Lok Sabha.

Share Capital of 'Samachar Bharati'

1950. **Shri Chandradeo Prasad Verma :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the share-capital of "Samachar Bharati" was many times larger than Press Trust and United News; and

(b) whether it had lost its entire capital before the proclamation of emergency and had itself written to Government that it might be nationalised or taken over?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Lal Krishan Advani) : (a) Yes, Sir.

(b) According to Balance Sheet of Samachar Bharati for the year ending 31st December 1975 total losses were Rs. 26,38,253 and for 31st December 1974 Rs. 25,34,398.

This Ministry is not aware of any reference having been made by the news agency for nationalisation or its taking over by Government.

Employees of Official Languages Department removed from service during Emergency

1951. **Shri Roop Nath Singh Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of gazetted and non-gazetted employees working in the Official Languages Department of the Ministry who were removed from service during the emergency;

(b) the number of employees, out of them, who belonged to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes; and

(c) the number of employees out of them, who have not been reinstated so far?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) One non-gazetted employee was removed from service under sub-clause (c) of the proviso to clause (2) of article 311 of the Constitution during the emergency.

One Gazetted Officer was retired prematurely under F. R. 56(j).

(b) The Gazetted Officer belonged to the Scheduled Castes.

(c) The non-Gazetted employee was reinstated on 28th May 1977.

The Gazetted Officer has not been re-instated so far.

कम मूल्यों की जनता घड़ियों का उत्पादन

1952. **श्री विजयकुमार नवल पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० ने हाल ही में घड़ियों की कीमतें बढ़ाई हैं;

(ख) क्या एच० एम० टी० ने कम मूल्य की जनता घड़ियों का उत्पादन घटा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। वस्तुतः जनता घड़ियों का उत्पादन बढ़ा दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Production of Atomic Weapons

1953. **Shri Yadvendra Dutt :** Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether, in view of the fact that Pakistan is engaged in equipping its armed forces with nuclear weapons and is perhaps going in for carrying out atomic explosion in December and that China has already conducted such a test, Government will modify their policy relating to production of atomic weapons; and

(b) whether keeping in view the existing conditions, Government propose to change their policy in regard to research and production in the field of atomic power for creative purposes?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) Government have no information that Pakistan is engaged in equipping its armed forces with nuclear weapons or that it is going to have an atomic explosion in December.

(b) The policy of the Government in regard to nuclear armaments has been reiterated in this House on earlier occasions, Government still adheres to the policy that atomic energy should be utilized only for peaceful purposes.

रक्षा विमान

1954. डा० बापू कालदाते :
श्री जी० एस० रेड्डी :
श्री पी० एस० रामलिंगम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा विमानों की गुणवत्ता और उपयोगिता में सुधार करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस विशिष्ट दृष्टि से वर्तमान लड़ाकू और अन्य रक्षा विमानों में कमियां हैं; और

(घ) क्या उत्पादक देशों को कोई क्रयादेश दिये गये हैं; जिससे रक्षा सेनाओं को तुरंत कार्यवाही के लिए तैयार किया जा सके ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) रक्षा सेवाओं के विमानों की किस्म और उपयोगिता में सुधार करने की सरकार को क्रमिक योजना है।

(ख) सेना के विमानों में सुधार लाने की प्रणाली लागू करने से बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी भूमिका, क्षमता और प्रभावकारिता में सुधार आता है। युद्ध के सम्भावित भावी प्रतिरूप को ध्यान में रखते हुए वायु सेना को सज्जित करने के लिए पुराने विमानों के स्थान पर नवीनतम और आधुनिकतम विमान रखे जाते हैं।

(ग) वायु सेना के पहले के विमानों को उस समय की प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। वायु रक्षा के क्षेत्र में हुए विमान मार्ग-निर्देशन साधनों में और शस्त्रों के उपयोग की प्रणाली में हुए सुधार को ध्यान में रखते हुए ये विमान आधुनिक लड़ाकू विमानों की कोटि में नहीं आते हैं। वायुसेना को पुनः सज्जित करने के कार्यक्रम भावी अपेक्षाओं को समुचित रूप से पूरा करने की दृष्टि से बनाए जाते हैं।

(घ) कुछ किस्मों के विमानों को देश में ही निर्मित किया जा रहा है। विमान सप्लाई करने के लिए किसी अन्य देश को अभी आर्डर नहीं दिये गए हैं।

Scheme for the Development of Handloom Industry

1955. **Shri Rameshwar Patidar:**
Dr. Laxminarayan Pandeya:

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration schemes for the development of handloom industry;

(b) whether Government have explored the possibility of launching intensive export oriented handloom programme; and

(c) whether the above scheme have been sent to States for development of industries on the basis of matching grants?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Yes, Sir.

(b) The Central Government has formulated in consultation with State Governments, Schemes with regard to Intensive Development Projects and Export Oriented Projects in various States/Union Territories in the country. These schemes are being implemented through the State Governments concerned.

(c) Funds are given in a certain approved ratio by the Central Government to the State Governments/Union Territories for implementing various Handloom Development Schemes, including Intensive Development Projects. In the case of Export Production Projects, they are fully financed by Central Government. Specially, there is an approved provision for providing matching contribution for 3 schemes on the cooperative side of the programme by the State Governments concerned. These 3 schemes are for providing financial assistance to Primaries, Apex Societies and State Handloom Development Corporations to enable them to raise additional funds for working capital from institutional finance.

बन्द पड़ी कपड़ा मिलों की संख्या

1956. **श्री शिव सम्पति राम:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी कपड़ा मिलें अभी बन्द पड़ी हैं; उनके नाम क्या हैं और वे कहां-कहां हैं; और

(ख) उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए और उन्हें दुबारा खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस): (क) निम्नलिखित 33 सूती कपड़ा मिले बन्द पड़ी हैं:—

1. श्री रामचन्द्र स्पीनिंग मिल्स पाण्डालपाक (आन्ध्र प्रदेश)
2. दि फाइन निटिंग कं० लि०, अहमदाबाद (गुजरात)
3. श्री भगवति स्पीनिंग और वीवींग वर्कस, कम्बोलिया (गुजरात)
4. श्री माण्डवी स्पीनिंग मिल्स लि०, कुछ-माण्डवी (गुजरात)
5. श्री सुबालक्ष्मी मिल्स लि०, काम्बे (गुजरात)

6. दिमानक चौक और अहमदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, अहमदाबाद (गुजरात)
7. नवज्योति मिल्स लि०, कादी (गुजरात)
8. अहमदाबाद लक्ष्मी, काटन मिल्स लि०, अहमदाबाद (गुजरात)
9. श्री शंकरा टैक्स्टाइस्स मिल्स, देवनागरी (कर्नाटक)
10. सूजाता टैक्स्टाइल्स, नानजनगुड (कर्नाटक)
11. प्रभुराम मिल्स लि०, छेंगननुर (केरल)
12. कोट्यम टैक्स्टाइल्स लि०, कोट्यम (केरल)
13. मालाबार स्पीनिंग और वीवींग मिल्स, कालीकट (केरल)
14. चाकोलस स्पीनिंग और वीवींग मिल्स, अलवाई (केरल)
15. वैस्टर्न इण्डिया काटन लि०, पापीनिससेरी (केरल)
16. राहुरी तालुका शेतकारी सहकारी सूत गिरनी लि०, राहुरी (महाराष्ट्र)
17. वसंत सहकारी शेतकारी सूत वा कापड़ गिरनी लि०, पण्डारकावड़ा
18. राजन टैक्स्टाइल्स, बरसी (महाराष्ट्र)
19. विश्वा भारती स्पीनिंग और वीवींग को० आप० सोसाइटी लि०, भिवाण्डी, (महाराष्ट्र)
20. श्री कोठाण्ड्राम स्पीनींग मिल्स मदुराई (तमिलनाडू)
21. लोट्स मिल्स, लि०, पोडानूल (तमिलनाडू)
22. श्री पदमा मिल्स, कोयम्बतूर (तमिलनाडु)
23. तमिलनाडू स्पीनींग मिल्स लि०, त्रिपुर (तमिलनाडू)
24. सोमासुन्दरम सुपर स्पीनिंग मिल्स, मुथानुनदाल (तमिलनाडू)
25. प्रकाश मिल्स, कोयम्बतूर (तमिलनाडू)
26. नागामी काटन मिल्स, विक्रावण्डी (तमिलनाडू)
27. ज्योथी मिल्स, कोयम्बतूर (तमिलनाडू)
28. अनामलाई मिल्स, दिनदीगुल (तमिलनाडू)
29. जै० के० मैन्युफैक्चरिंग लि०, कानपुर (यू० पी०)
30. जुग्गीलाल कमलापत काटन स्पीनिंग और वीवींग मिल्स लि०, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
31. श्री दुर्गा काटन स्पीनिंग एण्ड वीवींग मिल्स लि०, कोनागार (पश्चिमी बंगाल)
32. केशीराम इन्डस्ट्रीज और काटन मिल्स, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)
33. हाडा टैक्स्टाइल्स, बिश्नुपुर (पश्चिम बंगाल)

(ख) सरकार ने सूती कपड़ा उद्योग को पुनः शक्तिशाली बनाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं। इनमें से महत्वपूर्ण कदम ये हैं:—

(1) कच्चे माल की उपलब्धि को बढ़ाना और उनका समान वितरण करना।

(2) वित्तीय दृष्टि से कमजोर मिलों को कंट्रोल का कपड़ा बनाने से छुट दे दी गई है।

(3) आधुनिकीकरण के लिये सूती कपड़ा मिलों को उदार ऋण मंजूर करने हेतु आई० डी० बी० आई में एक खिड़की खोल दी गई है।

चूंकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम 105 ऋग्ण सूती मिलों की व्यवस्था करने के लिये पहले से ही काफी कठिन जिम्मेदारी निभा रहा है, इसलिये सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा और अधिक मिलों के लिये जाने के पक्ष में नहीं है। राज्य सरकारों से संबंधित बैंकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के परामर्श से मूल रुप में बन्द पड़ी जोव्य मिलों को फिर से चलाने के लिये चयनात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। कुछ ऐसे मामलो में जिनमें राज्य सरकारें वित्तीय और प्रबन्ध संबंधो जिम्मेदारियां लेने के लिये तैयार है, मिलों का प्रबंध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने हाथ में व्यवस्था ले ली गई थी।

Measurements on Cloth Lengths

1957. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether the measurements on the cloth lengths manufactured by the textile mills run by the National Textile Corporation are found to be less than measurement marked thereon; and

(b) whether Government propose to conduct an enquiry to ensure the correct marking of measurements and take action against the officers responsible for the lapse in this regard?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) and (b): No Sir. The fabrics when received from Loom Shed or from Processing Department are folded on Folding Machines which are driven by power. The Folding Machines are adjusted to have a fold of one metre normally and Takas/Thans of various lengths are made according to the trade practice and requirement of the merchants. In accordance with the Textile Control Orders, these Takas/Thans are stamped for the lengths. The mechanical fold of one metre when measured with the measuring rod does not narmally indicate any difference. In case, of wrong adjustment in the fold, discrepancy regarding length may arise. However, when such discrepancy is noticed, immediate steps are taken to correct the same and the right marking is done on Takas/Thans. The incidence of such mechanical defects is very rare. When such discrepancy is noticed by the buyers, the fact is brought to the notice of the mills and suitable remedial action is taken.

सैन्य कर्मचारियों को शिक्षा देने के लिये असैनिक अध्यापकों की नियुक्ति

1958. **श्री निर्मल चन्द्र जैन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य कर्मचारियों आदि को शिक्षा देने के लिए नियुक्त असैनिक अध्यापकों को पदोन्नति के अवसरों के बिना ही काम करना होता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इससे उनकी कार्य कुशलता में फर्क पड़ता है; और

(ग) क्या उक्त अध्यापकों के हित में सरकार का कुछ कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : नौसेना में सिविलियन शिक्षा अनुदेशकों और थल सेना में सिविलियन स्कूल मास्टरों को सैनिकों को पढ़ाने के लिए सैनिक अनुदेशकों/मास्टरों के स्थान पर तब तक रखा जाता है जब तक कि यौधो अनुदेशक उपलब्ध नहीं होते हैं। वायु सेना में सिविलियन शिक्षा अनुदेशकों को हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत वायु सेना कार्मिकों को हिन्दी पढ़ाने के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है। इस समय यह एक अस्थायी योजना है।

इन शिक्षकों की नियुक्ति की परिस्थितियों के कारण, अपने व्यवसाय में इन सभी के पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं। परन्तु थल सेना में सिविलियन स्कूल मास्टरों को रिक्त स्थान होने पर लिपिक संवर्ग में लगाया जाता है और इसके बाद वे उसी संवर्ग में ऊंचे पदों पर पदोन्नती पाने के पात्र बन जाते हैं। नौसेना में सिविलियन शिक्षा अनुदेशकों को केन्द्रीय विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के समान ही वेतनमान दिए जाते हैं।

Construction and expenditure on Bridges in States

1959. **Shri Chhabiram Argal :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5674 on the 2nd April, 1973 regarding completion of construction work of the bridge connecting Rajasthan and Madhya Pradesh and state :

(a) the time by which the construction of the inter-State bridges which were undertaken in the Fifth Five-Year Plan in the States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh is likely to be completed; and

(b) the estimated expenditure thereon?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) to (b) : Central Loan Assistance amounting to Rs. 381 lakhs was approved on 20-1-1977 for the construction of the following inter-State bridges connecting Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh :

Sl. No.	Name of the bridge	Amount of Central Loan Assistance	States to be connected	State principally concerned with construction.
		(Rs. in lakhs)		
1	Bridge over Chambal on Karauli-Mandrail-Morena Road.	65.00	Rajasthan and Madhya Pradesh	Rajasthan
2	Bridge over Chambal on Sawai Madhopur-Sheopur Road.	200.00	Rajasthan and Madhya Pradesh	Rajasthan
3	Bridge over Jamni at Gumtaghat on Talbhet-Digora Road.	18.00	Uttar Pradesh & Madhya Pradesh	Madhya Pradesh
4	Bridge over Ken on Banda-Mahoba-Sagar Road.	98.00	Uttar Pradesh & Madhya Praeesh	Uttar Pradesh
	TOTAL .	381.00		

The execution of all these projects rests with the State Governments concerned who have to undertake the construction programme in consultation with each other as all these bridges fall on State roads. Since the loan assistance was approved only in January this year, the State Governments concerned have not yet intimated any programme for completion of these bridges. Meanwhile, however, the Rajasthan Government have indicated that the cost of the bridges over Chambal mentioned at (1) and (2) above is likely to increase.

जेलों में बन्द राजनैतिक व्यक्ति

1960. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "पीपुल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज" के अनुसार लगभग 2500 राजनैतिक व्यक्ति अभी भी विभिन्न जेलों में हैं और उनमें से अधिकांश बिहार, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनको यथासम्भव शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज के अनुसार देश में 3508 "राजनैतिक बन्दी" है, जिनमें से 1100 बिहार में, 450 आन्ध्र प्रदेश में और 377 उत्तर प्रदेश में हैं। किन्तु पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज द्वारा सरकार को केवल 865 व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं। ये नाम सम्बन्धित राज्यों को वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए भेज दिये गये हैं।

(ख) तथा (ग) : सरकार ने यह देखने के सभी उपाय किये हैं कि वे सभी व्यक्ति, जिन्हें या तो निवारक नजरबंदी के अधीन रखा हुआ है अथवा जो अपने राजनैतिक विश्वासों अथवा राजनैतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष रुप से सम्बन्ध कार्यों के लिए अभियोजित/दण्डित किये गये थे, तुरन्त रिहा किये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए 24 अगस्त, 1977 का गृह मंत्री द्वारा प्रेस को जारी किया गया एक वक्तव्य संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1207/77]

मटिहानी ब्लाक, बिहार के एक गांव में हरिजन का जिन्दा जलाया जाना

1961. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अक्तूबर, 1977 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मटिहानी ब्लाक (बिहार) के एक गांव में एक हरिजन बटाईदार को उसकी झोपड़ी में जिन्दा जला दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस घटनास्थल पर तुरन्त गई और शव को बरामद करके उसे सशस्त्र घेरे में शव-परीक्षा के लिए ले गई थी।

(ग) क्या यह भी सच है, कि जब स्थानिय जमींदारों द्वारा भड़काये गये गुंडो और महन्त ने उन पर भोजपुर जिले के धर्मपुरा गांव में दिन दहाड़े आक्रमण किया तो चार व्यक्ति मारे गये थे और तीन औरतों सहित चार अन्य घायल हो गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्स सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) और (ख) : बिहार सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ): बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 50-60 व्यक्तियों की एक भीड़ ने, जिसमें मुख्य रुप से ग्राम धर्मपुरा और कुछ अन्य पड़ौसी गांवों के ब्राह्मण और कुछ कोरी (पिछड़ी जाति) के लोग थे, धर्मपुरा गांव के कुछ हरिजनों पर आक्रमण किया, जिस के फलस्वरुप तीन हरिजनों और एक पिछड़ो जाति के व्यक्ति को मिलाकर चार व्यक्ति मारे गए और चार व्यक्तियों (तीन महिलाओं सहित) को मामूली चोटें आई। दो लाशों को आक्रमणकारी साथ ले गए और तीन को पुलिस ने एक मंदिर के अहाते के अंदर से बरामद किया। यह मंदिर रामानुजाचार्य नामक एक महंत का है। मजिस्ट्रेट और पुलिस दल सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गए और 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनमें मंदिर का पुजारी और मुखिया भी शामिल थे। उन्होंने अभियुक्त दल से संबंधित दो आग्नेयास्त्र, दो देसी हथियार और 45 चालू कारतूस भी बरामद किये। भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के अधीन मामले दर्ज किये गए और तेजी से जांच पड़ताल की गई। आक्रमणकारी पक्ष ने इस घटना को डाकुओं से मुकाबले का रंग देने की स्पष्ट कोशिश की, किन्तु पुलिस और मजिस्ट्रेट के समय पर पहुंच जाने से उनकी योजनाएं निष्फल हो गई। गांव में हथियारबंद पुलिस को तैनात किया गया और भगोड़ों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई के आदेश दिये गए। बिहार के मुख्य मंत्री और राज्य वित्त मंत्री ने घटना के बाद शीघ्र ही घटनास्थल का दौरा किया और प्रत्येक शोकग्रस्त परिवार के लिए एक सप्ताह का राशन और 5000 रुपये के अनुग्रह पूर्वक अनुदान सहित सहायता कार्यों की स्वीकृति दी। गृह मंत्रालय में मंत्री ने भी 28 अक्तूबर, 1977 को घटनास्थल का दौरा किया।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना को जन्म देने वाली झगड़े की पृष्ठभूमि में जमींदार (महंत) और बटाईदारों (घटना के शिकारों) के बीच बटाईदारी संबंधी एक झगड़ा था। बटाईदारी संबंधी मामले में निर्णय की घोषणा 27 अक्तूबर, 1977 को होनी थी और स्पष्ट है कि जमींदार पक्ष इस आदेश को लेकर फैसला उनके पक्ष में नहीं होगा; 20 अक्तूबर, 1977 को हड़बड़ाकर यह घटना कर गुजरा।

3. राज्य सरकार ने इस घटना के बारे में तुरन्त प्रभावी कार्रवाई की और हरिजनों के जानमाल की हिफाजत के लिए अनुवर्ती कार्रवाई भी की है।

लवण आयुक्त संगठन द्वारा खर्च की गई वार्षिक राशि

1962. **श्री के० टी० कोसल राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लवण आयुक्त संगठन ने 1948 से 1976 तक प्रतिवर्ष कुल कितनी धन-राशि खर्च की है;

(ख) यह खर्च किस प्रकार पूरा किया जाता है;

(ग) क्या जिस उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई थी उसे ध्यान में रखते हुए इतने खर्च की अनिवार्यता का अध्ययन के लिये पुनर्विलोकन किया गया है; और

(घ) यदि कोई पुनर्विलोकन नहीं किया गया तो क्या सरकार इस संगठन का पुनर्गठन करेगी जिससे यह संगठन लवण उद्योग का विकास करने के लिए एक साधन बन सके ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) 25,02,87,468, रुपए।

(ख) यह व्यय नमक उपकर अधिनियम 1953 को धारा 4(क) के अनुसार एकत्र किए गए शुल्क को राशि में से पूरा किया जाता है।

(ग) और (घ) फिर से विचार किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से औद्योगीकरण

1963. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में 27 सितम्बर, 1977 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के तेजो से औद्योगिकरण के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) असम राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिसने पूर्वोत्तर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन बुलाया था, इस सम्मेलन में औद्योगीकरण का कोई संयुक्त कार्यक्रम नहीं तैयार किया गया था। तथापि, क्षेत्र को औद्योगोकरण को उन समस्याओं के बारे में चर्चा की गयी थो जो उक्त क्षेत्र के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में समान हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

U.S. Arms Supply to Pakistan

1964. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether U.S.A. has decided to resume the supply of arms and ammunition to Pakistan; and

(b) if so, the extent to which it will have impact on the security of India?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The USA announced its decision to lift the embargo on supply of arms to Pakistan in February, 1975.

(b) The acquisition of arms and ammunition from USA by Pakistan will, no doubt, enhance Pakistan's military potential, which is bound to have impact on our security. These developments are taken into consideration while planning our defence measures.

नून और कून चोटियों के अभियान पर प्रतिबन्ध

1965. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लद्दाख क्षेत्र में नून और कून के साथ लगने वाली घाटियों के अभियान पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) : सुरक्षा के कारणों से सोमावर्ती क्षेत्रों को जिनके लिए विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 के अन्तर्गत विदेशियों को जाने के लिए विशेष परमिट अपेक्षित हैं, संशोधित किये जा रहे हैं। संशोधन करने के बाद नून और कून चोटियां इन क्षेत्रों में आ जायेंगी।

जनजातियों, हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के लिए एकीकृत समाज कल्याण कार्यक्रम

1966. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातियों और हरिजनों तथा पिछडे वर्गों के लिए कुछ कल्याण कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों के पिछड़े वर्गों के क्षेत्र में कार्यक्रमों के लिए ब्लाक ऋणों अनुदानों के रुप में राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए निम्नलिखित कल्याण कार्यक्रम प्रायोजित किये गये हैं:—

1. राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना :

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पात्र छात्र विदेश में उच्चतर संस्थाओं में विशिष्ट विषयों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों का लाभ उठाते हैं।

2. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां :

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी पात्र छात्र मैट्रिकोत्तर अध्ययन करते समय छात्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं।

3. लड़कियों के छात्रावास :

इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन कर रही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रवासों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना है। बहुउद्देशीय संस्थाओं जैसे ऐसे छात्रावासों का विकास करने का भी प्रस्ताव है, जहां छात्रावासों में रहने वालों को कला, हस्ताकला, हाउस कीपिंग इत्यादि में प्रशिक्षित किया जा सके।

4. प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध योजनाएं :

योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को परीक्षापूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि इस समुदायों के उम्मीदवारों को संघ तथा राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त संख्या में आने में सहायता दी जा सके।

5. स्वंय सेवी संगठन को सहायता :

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के शैक्षिक तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे स्वयं सेवी संगठनों को सहायता दी जाती है।

50 प्रतिशत या इससे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले सभी क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है ओर विशेष आदिबासी उप-योजनाएं तैयार की गई है जिनमें उन क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं के संदर्भ में विकास के सभी पहलू आ जाते हैं। चालू वर्ष में आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रुप में 55 करोड़ रुपये खर्च करने का सरकार का विचार है।

Production of Hydro Electric Power in Kataiya Hydro Electric Station, Bihar

†1967. **Shri L. L. Kapoor:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether work had been undertaken in the year 1960 to produce Hydro-electric power under Kosi project in Kataiya in Saharsa district, Bihar.

(b) whether electricity has not so far been produced in the said hydro-electric station; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government for commissioning the Kataiya Hydro-Electric station?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) & (b): The Kosi Hydro Electric Power Station was sanctioned in February, 1964. The 4 generating units of 4.8 MW each at the Power Station were commissioned as follows :

Unit I	1970
Unit II	1971
Unit III	1973
Unit IV	1977

The Power Station has been generating electricity.

(c) Does not arise.

भारी इंजीनियरी निगम (एच० ई० सी०) रांची की स्थापना के परिणामस्वरुप विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

1968. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) भारी इंजीनियरी निगम, रांची को स्थापना के परिणामस्वरुप कितने व्यक्ति विस्थापित हुए;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और कितने परिवारों का अब तक पुनर्वास नहीं किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने हटिया (एच० ई० सी०) के इन विस्थापित परिवारों को आजीविका साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से कुल 3090 परिवार स्थापित हुए थे।

(ख) विस्थापित परिवारों को फिर से बसाने के लिए सरकार तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने कई कदम उठाए है। विस्थापित लोगों को दिए गये इस वायदे के मुताबिक कि प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक व्यक्ति को एच० ई० सी० में रोजगार दिया जाएगा, अब तक 2582 परिवारों के सदस्यों को रोजगार दिया जा चुका है।

शेष परिवारों के सदस्यों को पहले रोजगार इसलिए नहीं दिया जा सका कि शुरु-शुरु में जब उन्हें रोजगार के लिए बुलाया गया तो उनमें से कुछ का पता ही नहीं था जबकि कुछ ऐसे भी थे जो विस्थापित होने के बारे में लिखित प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत कर सके थे। 98 परिवारों के सदस्य एच० ई० सी० में रोजगार के लिए इच्छुक ही नहीं थे। एच० ई० सी० को हाल ही में इन परिवारों के 193 व्यक्तियों से रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त हुए है। एच० ई० सी० में उनको उपयुक्तता के आधार पर उनको रोजगार देने के लिए कदम उठाए जा रहे है।

रोजगार देने के अलावा एच० ई० सी० विस्थापित लोगों को दुकानें देने तथा एच० ई० सी० बस्ती में दूकानें बनाने के लिए पट्टे पर भूमि देने में सबसे पहले वरीयता देता है।

(ग) एच० ई० सी० ने विस्थापित परिवारों के सदस्यों को उनके जीविकोपार्जन के लिए शुरु से आज तक वरीयता दी है।

Bridge over Ganga connecting Meerut with Bijnor District, U.P.

†1969. **Shri Kailash Prakash :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether proposal for construction of a bridge over the Ganga connecting Meerut and Bijnor district had been approved and the foundation stone therefore had been laid by the former Prime Minister at Vidur Kuti on the bank of the Ganga in Bijnor District; and

(b) the progress made so far in the construction of the bridge and in case no progress has been made, the reasons therefor?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) and (b) : The proposed Ganga bridge connecting Meerut and Bijnor would fall on a state road. The U.P. Government are, therefore, primarily concerned with this project and had also formulated a scheme for this bridge sometime back when its foundation stone was also laid by the then Prime Minister. The State Government however also included this project in their proposals submitted to the Central Government for a loan assistance of Rs. 302.43 lakhs under the Central Aid Programme of State Roads of inter-State or economic importance which was approved in January 1977. According to the latest position intimated by the State Government the road bridge in question has now been linked up with the construction of the proposed barrage across Ganga as combined integral project and a detailed survey and model study would be necessary for the proposed barrage from the technical point of view and are being arranged. Further progress can, therefore, be made only after these model studies have been completed by the State Government.

Allotment of Cement to Rajasthan

1970. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the quantity of cement allotted to Rajasthan Government from **January, 1977** to **September, 1977 ;**

(b) the criteria adopted in the allotment of cement;

(c) the quantity of cement out of which supplied to other free sale departments and organisations month-wise by the cement mills; and

(d) whether Government would make arrangements to ensure supply of the allotted quota of cement to Rajasthan soon so that the State could meet the shortage of cement?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) The normal quarterly quota of cement for Rajasthan is 1.33 lakh tonnes. As against this, the quarterly allocation of cement to the State during 1977 has been as under :

Period	*Allocation*
Jan. to March, 1977	1,73.695 tonnes
April to June, 1977	1,18,000 tonnes
July to Sept., 1977	1,37,400 tonnes

(b) The quarterly allocations to states are made on the basis of quota fixed for them in 1973 on the basis of actual consumption in past years. Additional allotments are also made in exceptional cases subject to availability of cement.

(c) A statement showing month-wise despatches to the State of Rajasthan for the period Jan. 1977 to Sept. 1977 under freesale category and other than freesale category is attached.

(d) The allocation to the State would gradually improve with increased availability of cement.

Statement

Month	Quantity despatched			
	Under Freesale category	Under other than Freesale category		Total
		Govt. Deptts.	Direct to Consumers (other than Govt. Deptts.)	
		(figures in Metric Tonnes)		
January, 1977	32736	11646	1096	45478
February, 1977	31823	13313	1778	46914
March, 1977	25500	28548	1545	55593
April, 1977	30576	12176	1480	44232
May, 1977	17576	12141	1337	31054
June, 1977	19056	9527	2275	30858
July, 1977	29630	16348	2146	48124
August, 1977	30020	19178	3597	52795
September, 1977	17782	12825	3296	33903

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुधान परिषद् द्वारा विज्ञान पत्रिकाओं का प्रकाशन और सूचना निदेशालय के अन्तर्गत लाना

1971. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपने प्रकाशन और सूचना निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अपनी तीन वैज्ञानिक पत्रिकाओं को एक साथ तीन भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) उक्त निर्णय विज्ञान प्रगति को हिन्दी विज्ञान पत्रिका के मुख्य सम्पादक द्वारा की गई कथित निरन्त अनियमितताओं के कारण लिया गया था ;

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उक्त अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। भारतीय भाषा यूनिट (विज्ञान प्रगति) के प्रशासनिक नियंत्रण को प्रकाशन और सूचना निदेशालय में स्थानान्तरित करने से संबधित एक प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

शाह नवाज समिति के स्थान पर अन्य समिति के लिए मांग

1972. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सदस्यों के सम्मेलन ने शाह नवाज खां समिति, जो विदेशों में रह रहे असैनिक नागरिकों के पेंशन के मामलों की जांच कर रही है, के स्थान पर अन्य समिति बनाये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : भूतपूर्व आई० एन० ए० सैनिकों के मामलों की जांच के लिए स्थापित शाह नवाज खान समिति ने गत लोक सभा चुनावों के बाद कार्य करना बन्द कर दिया। समिति के पुनर्गठन के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

राज्य सड़क परिवहन व्यवस्था

1973. **श्री आर० कोलनथाइवेलु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि राज्य सड़क परिवहन व्यवस्था और तटवर्ती नौवहन कुशलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं और देश की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी रुप से पूरा कर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें क्या ठोस सुधार लाने का विचार है ताकि इस व्यवस्था के कार्य को नया रूप दिया जा सके ;

(ग) यात्री तथा माल यातायात में गैर-सरकारी परिवहन को योगदान की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) क्या उपयुक्त संरक्षण के अन्तर्गत गैर-सरकारी परिवहन के योगदान को बढ़ाने की कोई गुंजाइश है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) राज्य सड़क परिवहन पद्धति राज्य सरकारों की जिम्मेंदारी है जिन्हें स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना है कि यह पद्धति उनके क्षेत्रों में कुशलता से चल रही है और आवश्यकताओं को पूरी कर रहीं है ।

जहां तक तटीय नौवहन का संबंध है यह कुशलतापूर्वक चल रहा है और आवश्यकाताएं पूरी कर रहा है।

(ख) जहां तक तटीय नौवहन का संबंध है, प्रश्न नहीं उठता । जहां तक राज्य सड़क परिवहन पद्धति का संबंध है, संबंधीत राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जानी है ।

(ग) लगभग 49% यात्री सड़क परिवहन और 99% से अधिक सड़क से माल परिवहन इस समय प्राईवेट सैक्टर में है ।

(घ) यह प्रत्येक राज्य पर छोड़ दिया गया है कि वे निम्नलिखित बातों को ध्यान रखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में यात्री परिवहन के राष्ट्रीकरण की गति निर्धारित करें :—

(क) मौजूदा उपक्रम के परिचालनों की कुशलता और वे कहा तक आन्तरिक संसाधनों का सृजन करने योग्य हैं,

(ख) राज्य की समस्त संसाधन स्थिति और राज्य सरकार राष्ट्रीयकत सेवाओं के विस्तार के लिए कहां तक साधन जुटा सकती है,

(ग) वित्तीय संस्थानों से संसाधन जुटाने के लिए उपक्रम की सामर्थ ।

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में यात्री सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के विस्तार की आवश्यकता, कि मौजूदा राष्ट्रीयकृत उपक्रमों और प्राईवेट परिचालकों द्वारा चलाई गयी सेवाओं के जरिए इस समय कहां तक यात्रियों को आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पुरा किया जाता है ।

(ङ) पहले से ही राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सेवाओं को पक्का करने की आवश्यकता और प्राइवेट मार्गो को अधिग्रहण की क्रिया में यात्री जनता की कम से कम असुविधा हो।

जहां एक माल परिवहन का संबंध है, राज्यों की आगामी कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना नहीं है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्री एवं माल परिवहन उद्योग में आने वाले वर्षों में प्राईवेट क्षेत्र के विकास और विस्तार की गुंजाइश होगी। मोटर गाड़ी अधिनियम में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय पहले ही किए गए हैं ।

आकाशवाणी कटक के स्टूडियो तथा कार्यालय को नये स्थान पर स्थानान्तरित करना

1974. **श्री सरत कार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आकाशवाणी कटक का स्टुडियो का कार्यालय नये स्थान पर स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : नए स्टूडियो जून, 1977 में ही तैयार हुए थे ओर इनका उपयोग महत्वपूर्ण रिकाडिंग और रिहर्सलों के लिए किया जा रहा है। प्रेषण कार्य के लिए नियमित रुप से उपयोग के लिए स्टूडियो को अभी तक इस कारण से चालू नहीं किया गया है कि कार्यालय खण्ड और नए स्टूडियो के अलग अलग स्थानों पर होने से परिचालन संबंधी कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। नए कार्यालय खंड का निर्माण कार्य अव्यावसायिक भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध होने के कारण अभी तक शुरु नहीं किया जा सका है। यह प्रतिबंध अब हट चुका है और निर्माण कार्य के अगले वर्ष के शुरु में आरंभ होने और 1979–80 में किसी समय मुकम्मल होने की उम्मीद है। तथापि, उपरि उल्लिखित परिचालन सम्बंधी कठिनाइयों के बावजूद भी नए स्टूडियो को अब लगभग दिसम्बर, 1977 के मध्य में चालू करने का निर्णय लिया गया है।

समद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए भारत-जर्मन करार

1975. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त भारत-जर्मनी द्वारा समुद्र विज्ञान अध्ययन के लिये पश्चिमी जर्मनी से एक अनुसन्धान जहाज प्राप्त करने के लिए परियोजना सहायता देने हेतु बोन सरकार सहमत हो गई है,

(ख) क्या इस बारे में दोनों सरकारों के बीच करार हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संधीय जर्मन गणराज्य सरकार द्वारा, 1977–78 के लिए भारत को वचन दी गई वित्तोय एवं तकनोकी सहायता निधियों में से समुद्र विज्ञान अध्ययन के लिए अनुसंधान जहाज प्राप्त करने के लिए, भारत और संघोय जर्मन गणराज्य के बोच बातचीत मे प्रगति हो रही हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पतरान और बरैनी में तापीय संयंत्र बन्द हो जाने के कारण औद्योगिक उत्पादन में हानि होना

1976. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1977 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इन समाचारों की ओर गया है जिनमें यह बताया गया है कि पतरात् और बरौनी में प्रमुख तापीय संयंत्रों के बन्द हो जाने के कारण बिहार के अनेक भागों में आद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(ग) उत्पादन को कमी पूरी करने के लिए और तापीय संयंत्रों को बन्द होने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि विद्युत की कमी का प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर अवश्य पड़ता है परन्तु केवल विद्युत की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में हुई हानि के मूल्यांकन करना संभव नहीं है क्योंकि कमी के अनेक अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि कच्चे माल, श्रमिकों आदि की उपलब्धता का प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर पड़ता है।

(ग) पतरातू तथा बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य चालन में सुधार सबंधी उपाय सुझाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी को बिहार भेजा गया था उसको सिफारिशें बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कार्यान्वित को जा रही हैं। बहु शाखा-क्षेत्रों के विशेषज्ञ दल, जिनमें भारत हैवो इलैक्ट्रिकल्ज़ लिमिटेड इन्स्टुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा संबधित केन्द्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं, पतरातू में हाल ही में चालू की गई यूनिट की समस्याओं की जांच करके तथा शीघ्रतापूर्वक आवश्यक सुधारात्मक उपाय करके समस्या का समाधान कर रहे हैं ताकि अधिक विश्वस्तता हासिल हो। जिन उत्पादन यूनिटों को इस वर्ष में चालू किए जाने का कार्यक्रम है उनको शीघ्र चालू करने के लिए भारत सरकार राज्य बिजली बोर्ड को सभी संभव सहायता दे रही है।

कर्नाटक में उद्योगों को बिजली की सप्लाई

1977. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि कर्नाटक राज्य में उद्योगों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मंगलौर अथवा हास्पेट के निकट तापीय बिजली घर को स्थापना करके बिजली की सप्लाई की स्थिति को सुधारने के लिए कोई उपाय किए हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक राज्य में व्याप्त विद्युत् की कमी का पता है। इसके परिणामस्वरुप विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों में, विशेष रुप से औद्योगिक क्षेत्र में, विद्युत् की कटौती लागू की गई है। जहां तक संभव हो सकता है, वे पड़ौसी राज्यों—तमिल नाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात से सहायता की व्यवस्था कर रहे हैं। दीर्घावधि में कर्नाटक की विद्युत् की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक उपायों को जांच की जा रही है। राज्य में एक ताप विद्युत् केन्द्र की स्थापना, राज्य में जल विद्युत् परियोजनाओं का शीघ्र निर्माण और इन्हें चालू शीघ्र करना और दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले सुपर ताप विद्युत् केन्द्रों से विद्युत् प्राप्त करना इन वैकल्पिक उपायों में शामिल हैं। कर्नाटक राज्य में एक ताप विद्युत् परियोजना के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए अन्वेषण चल रहे हैं।

पारादीप पत्तन न्यास पर आधुनिक शेड

1978. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर आधुनिक और अत्याधुनिक पारेषण शेड वाले एक दूसरे कारगो बर्थ का निर्माण किया जाएगा, और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : परादीप पत्तन में 4.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर उपयुक्त माल धराउठाई उपस्कर और पारगमन शेड सहित दूसरे सामान्य माल घाट के निर्माण के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

Dispute over control of Harike, Ropar and Madhopur Head Works

1979. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether a dispute is going on among Rajasthan, Punjab and Haryana over the control of Harike, Ropar and Madhopur Head Works;

(b) under whose control are they at present; and

(c) whether Government propose to set up an autonomous body for their smooth functioning after resolving the dispute?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) to (c): The matter is under active consideration in accordance with the provisions of the Punjab Reorganization Act.

Finding of Uranium in Madhya Pradesh

1980. **Shri Laxmi Narayan Nayak:** Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state:

(a) whether uranium contents have been found in Baldevgarh area of Tikamgarh district in Madhya Pradesh during the survey conducted by the Survey of India;

(b) if so, the percentage thereof and the scheme formulated by Government for their exploitation and development; and

(c) the names of other places in Madhya Pradesh where there are indications of existence of uranium?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) and (b) Airborne scintillometric surveys undertaken in collaboration with the National Geophysical Research Institute in 1968 revealed anomalous radioactivity at a number of places in Baldavgarh area of Tikamgrh District, Madhya Pradesh. Subsequent ground checking of these anomalies however, did not reveal the existence of any significant values of uranium in Baldevgarh area. Analysis of samples has shown low values ranging from 0.001 to 0.007% U3°B. As a result, no further investigation was carried out in Baldevgarh area, but extension of radiometric surveys further east and south-eastward had led to the discovery

of significant occurrences of uranium bearing phosphorites at Agra village in Sagar District and at Mardeora and Hirapur in Chhatarpur District of Madhya Pradesh.

(c) Indications of uranium have also been found at a number of other places in Madhya Pradesh. The more significant of them are located near Bodal and Bhandaritola, District Rajnandgaon and near Dhumhath, Jajwal and Dhabi in Sarguja District. Detailed programme of work has been drawn up to assess the grade and extent of these deposits.

सीमेंट उद्योग में बिजली के संकट के कारण प्रभावित औद्योगिक उत्पादन

1981. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अनेक भागों में बिजली के संकट के कारण औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो बिजली के संकट के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : बिहार के चुने हुए उद्योगों की उत्पादन प्रवृति से यह पता चलता है कि वहां के कुछ उद्योगों जैसे कागज और गत्ते तथा आक्सीजन गैस के उत्पादन में वृद्धि हुई है । किन्तु दूसरी तरफ अन्य उद्योगों जैसे तांबा, वाणिज्यिक वाहन, साबुन, सीमेन्ट, नाइट्रोजन उर्वरक, कास्टिक सोडा थुली/एसिटिलीन गैस, इस्पात की पाइपें और टयूबें (सीमलेस) और चमड़े के जूतों के उत्पादन में गिरावट आई है । केवल विद्युत संकट के कारण औद्योगिक उत्पादन में हुई हानि का ठीक–2 अनुमान लगा सकना बहुत कठिन है क्योंकि उत्पादन में कमी पर्याप्त इंधन उपलब्ध न होना, वित्त की कमी, मांग में गिरावट, श्रमिक विवाद आदि से भी आई है । फिर भी, बिजली की कमी के कारण जनवरी से सितम्बर, 1977 की अवधि में सीमेंट उत्पादन में हुई अनुमानित हानि 1.60 लाख मी० टन है । बिजली की कमी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की दिशा में निम्नलिखित अभ्युप्राय किए गए हैं :—

(1) ऊर्जा परिक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं और अपनाने के लिए राज्य सरकारों को भेजे गए हैं ।

(2) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए अनेक औद्योगिक उपक्रमों में डीजल जनित्र सेटों का उपयोग किया जा रहा है ।

(3) गैसटर्वाइन सेटों द्वारा विद्युत जनित्रण की सिफारिश की गई हैं ।

(4) सम्भव सीमा तक फालतू विद्युत क्षमता वाले राज्यों से निकटवर्ती कमी वाले क्षेत्रों में बिजली की पूर्ति करने की व्यवस्था की जा रही है ।

अहमदाबाद में जहरीली शराब

1982. **श्री जी०एम० बनतवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 3 नवम्बर, 1977 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि अहमदाबाद नगर में 2 नवम्बर, 1977 को जहरीली शराब पीने से 18 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 42 व्यक्ति गम्भीर प से बीमार हो गये ; और

(ख) देश में ऐसे मामलों की रोक-थाम के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) नशीली शराबों के उत्पादन, निर्माण, अधिपत्य, परिवहन, खरीद और बिक्री पर पूर्ण प्राधिकार तथा नियंत्रण, संविधान को सांतवीं अनुसूची की प्रविष्टि 8 में निहित उपबन्धों के अनुसार, राज्य सरकारों की है। जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस ने 4 व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनमें से एक मर गया है, और शेष तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिए गए है, नशाबन्दी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत तीन मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री के लिए चार व्यक्तियों के विरुद्ध नशाबन्दी अधिनियम के अन्तगर्त चार मामले भी दर्ज किए हैं। मामले में न्यायिक जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जा रहा है जिसमें उच्च न्यायालय का एक सेवारत अथवा सेवानिवृत न्यायाधीश होगा। नशाबन्दी नीति के समूचित कार्यान्वियन के लिए, राज्य सरकार ने राज्य के चार प्रमुख शहरों अर्थात अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत में अलग-अलग नशाबन्दी स्कवाड गठित किए है ।

पंजाब के पिछड़े जिले होशियारपुर में कच्चे माल के बारे में सर्वेक्षण

1983. **श्री चौधरी बलबीर सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के पिछड़े जिले होशियारपुर में उपलब्ध कच्चे माल के बारे में यह पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि इस जिले में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं,

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का विचार है तथा सके लिये कौनसे स्थान चुने गये है ; और

(ग) इस जिले में उद्योग स्थापित करने वाले आसामियों को सरकार का विचार क्या वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार भूमि, पावर के उपयोग, करों आदि के बारे में सहायता । राज्य सहायता देती हैं । यह जिला केन्द्रीय पूंजी राज सहायता योजना तथा रियायती वित्त के अंतर्गत आता है । चूंकि यह जिला केन्द्र द्वारा चलाई गई ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत आता है, अतः भारत सरकार परियोजना क्षेत्र में एकक स्थापित करने के लिए ब्याज की रियायती दर पर ऋण देने के लिए बजट में प्रावधान भी करती है ।

Higher Prices of Cement charged by the Stockist

1984. **Shri Ram Lal Rahi** : Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4982 on the 27th July, 1977 and state:

(a) the rate of which cement was directed to be sold to consumers in December, 1970 and whether the stockists charged higher rates in the last week of January, 1977 and February, 1977 and if so, the difference in both the rates; and

(b) whether retail prices of cement are continuously increasing and if so, the steps being taken to check the rising prices?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) and (b) : Under the Cement Control Order, 1967, as amended from time to time, a uniform F.O.R. destination price is fixed by the Central Government while the price at which cement may be sold wholesale or retail is fixed by the State Government after taking into account, (1) the F.O.R. destination price fixed by the Central Government; (2) handling (including charges in respect of packing or containers) and transporting charges; (3) godown charges; (4) stockists margin of profit; (5) local taxes, if any and (6) additional road transport charges, were allowed. The expenditure under items 2, 3 & 4 above is not to exceed beyond Rs. 20 per tonne. Excise duty is payable in addition.

The price payable for cement during the period from the 1st October, 1976 to the 31st March, 1977 is as under.

Sl. No.	Price per tonne	1-10-76 to 31-12-76	1-1-77 to 26-1-77	27-1-77 to 31-1-77	1-2-77 to 31-3-77
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1.	F.O.R. Price	214.65	214.65	214.65	231.65
2.	Packing Charges . . .	40.94	40.95	40.95	40.95
3.	Excise Duty	82.00	82.00	65.00	65.00
	TOTAL .	337.59	337.60	320.60	337.50

It will be seen that there was a reduction in Excise duty to the extent of Rs. 17/- per tonne w.e.f. the 27th January, 1977 to offset a corresponding increase in the F.O.R. destination price to meet the increase in the Railway freight from time to time. The above adjustment was done with a view to maintaining the price-line for the consumer.

बीमार एवं बन्द मिलों की संख्या का पता लगाना और उन्हें कार्ययोग्य अवस्था में लाने के प्रयास

1985. **श्री बी० के० नायर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांव, ग्रामीण, लघु एवं मध्यम क्षेत्रों में विद्यमान औद्योगिक एककों की संख्या ज्ञात की है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने वस्तुतः काम कर रहे हैं, कितने बीमार एककों की सूची में और कितने एकक बन्द कर दिये गये हैं, और

(ग) क्या उन्हें फिर से कार्ययोग्य बनाने और स्वस्थ स्थिति में लाने के लिये कोई उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं। सरकार ने वर्ष 1972 के आंकड़े इकट्ठे करने के लिये वर्ष 1973-74 में लघु उद्योगों की गणना कराई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) रुग्ण एककों को अच्छी स्थिति में लाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक समिति बनाई गई है। इस समिति में राज्य के उद्योग निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय निगमों और लघु उद्योगों के एसोसिएशनों के प्रतिनिधि होते हैं। यह समिति रुग्ण एवम् बंद एककों की समस्याओं का अध्ययन करती है तथा उनकी स्थिति सुधारने के लिए एकीकृत सहायता उपलब्ध कराती है ।

तापीय विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में विशेषज्ञ समिति का गठन

1986. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तापीय विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण में लगने वाले समय को घटाने की संभावना पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ;

(ख) समिति के निदेश-पद क्या हैं ; और

(ग) क्या समिति के कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के विचारार्थ विषयों का उल्लेख नीचे किया गया है :

(1) प्रस्तावित विद्युत् विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्माण एजेंसियों, निर्माण उपस्कर तथा मनुष्य शक्ति का निर्धारण करना,

(2) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वर्तमान निर्माण एजेंसियों की, उनके पास उपलब्ध उपस्कर तथा मनुष्य शक्ति की पर्याप्तता ।

(3) अतिरिक्त कार्यभार को संभालने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले उपाय ।

(4) छठी योजनावधि में लाभ देने के लिए अभिकल्पित ताप-विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए निर्माण अवधि को कम करने हेतु डिजाइनों का मानकीकरण करने तथा नयी निर्माण-उपस्कर पद्धतियों का प्रयोग करने की संभावनाएं ।

(ग) जी, हां । आशा है समिति अपनी रिपोर्ट 21 दिसम्बर, 1977 तक दे देगी ।

Recruitment of Jawans for Gujarat

1987. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the number of jawans recruited in the military from Gujarat State, district-wise during the past three years, year-wise;

(b) how many times recruitment is made in the military in a year; and

(c) the essential qualifications required for entering different branches thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The number of persons recruited in the Military from Gujarat State during the last three years is as follows:—

	1974-75	1975-76	1976-77
Army	817	775	392
Navy	5	2	6
Air Force	77	34	37

It is not in the public interest to divulge the number of persons in Defence Services district-wise.

(b) Recruitment in the Army is carried throughout the year. In the Navy, twice a year—in January and July and for Air Force, once in every three months.

(c) Qualifications prescribed for the recruitment to various trades in the military are as follows:—

Army

Qualification for recruitment in the Army varies from illiterate to matriculation for different trades in the various Branches of the Army.

Air Force

(a) For trades other than Education Instructor and Musician

Matriculation/Higher Secondary or similar other Public Examination. For recruitment to Technical Trades, study of Mathematics and Science comprising of Physics and Chemistry is an essential requirement.

(b) For Education Instructor

BA (Hons)/BSC (Hons) Degree

OR

BA/BSCs Degree and Teaching Degree or Diploma.

OR

BA/BSc Degree with one year teaching experience in a recognised educational Institution.

(c) For Musician

Must have Musical aptitude. Non-matriculates are also eligible.

Navy

(a) Direct Entry Sailors (Matriculate entry)
Matriculation or equivalent for Seaman, Communication, Electrical Engineering, Medical, Writer/Store.

(b) Direct Entry Sailors (Non-Matriculate entry) 2 years pre-Matric for Musician. Lower Secondary stage (VI Class) for Steward. Primary stage (IV Class) for Cook and No prescribed educational qualification for Topass.

(c) Artificer Apprentices

Matriculation or equivalent for Electrical Artificers/Non electrical Artificers.

2. Details of career in the Defence Forces are also contained in the book on Service Conditions 1977 circulated with the Annual Report of the Ministry of Defence for the year 1976-77.

लघु उद्योगों के नये उद्यमकर्ताओं को शीघ्र ऋण देने की प्रक्रिया

1988. **श्री के० लकप्पा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये उद्यमकर्ताओं को, विशेषकर लघु उद्योगों में, शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं में कोई ढील दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं। लघु उद्यमियों को शीघ्र ऋण सुलभ कराने की प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिताओं में ढील देने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Total Television Centres in the Country

1989. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of television Centres in the country as a whole at present, their locations, the dates on which they started functioning, their telecast range and the number of hours for which programmes are telecast from these centres, separately;

(b) the names of the places at which television Centres are proposed to be set up during the next three years; and

(c) the time by which television programmes would be telecast all over the country?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Lal Krishan Advani) : (a) Two statements (I and II) are placed on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. L.T. 1208/77].**

(b) (i) A TV Station at Jullundur.

(ii) TV Transmitting Centres at Sambalpur and Muzaffarpur.

(iii) TV Relay Centre at Kanpur.

In addition, work on relay centres at Kasauli, Midnapur and Asansol is also likely to be taken up.

(c) Proposals for further expansion of TV facilities during the next Plan are being formulated but their implementation will depend upon technical feasibility, availability of resources and allocation of priorities by the Planning Commission.

सोपोर में झेलम नदी पर पुल

1990. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का काश्मीर घाटी में सोपोर में झेलम नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) पुल कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिए मजूरी पुर्नविलोकन समिति की सिफारिश

1991. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रमुख पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिए मजूरी पुर्नविलोकन समिति की सिफारिश के क्रियान्वयन से उत्पन्न असमानताओं तथा विषमताओं को दूर करने की व्यवस्था करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : जी हां। पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के परिसंघों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रमुख पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिए मजूरी पुर्नविलोकन समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन से उत्पन्न असमानताओं और विषमताओं की सूची दें। अभी तक ये सूचियां कुछ परिसंघों से प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की किस्म अथवा गठन की जाने वाली समिति के बारे में अंतिम निर्णय सभी परिसंघों से सूचियां से प्राप्त होने पर किया जाएगा ।

कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के संबंध में गिरफतार व्यक्ति

1993. **श्री हितेन्द्र देसाई** :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में सम्पूर्ण देश में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अभी भी जेलों में बन्द हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली स्थित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्यालयों द्वारा अदा किया जाने वाला किराया

1994. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने दक्षिणी तथा उत्तरी जोन के मुख्यालयों के प्रत्येक कार्यालय के लिये प्रति मास कितना किराया अदा किया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें उनके जोनों में ले जाने और किराये पर होने वाला अधिक खर्च बचाने का है ?

5—350 L.S.S. (N.D.)/77

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के केवल उत्तरी तथा पश्चिमी जोन के क्षेत्रीय मुख्यालयों का संयुक्त कार्यालय दिल्ली में स्थित है। कार्यालय आवास के लिये अदा किया जाने वाला किराया 10690.35 रु० प्रतिमास है तथा भंडार आवास के लिये 14,080.00 रु० प्रति मास है।

(ख) उत्तरी तथा पश्चिमी जोनों के उन उपक्रमों, जिनमें बल को रखा गया है के स्थानों पर विचार करते हुये संयुक्त जोन के मुख्यालयों के कार्यालय का स्थान निर्धारित करने में दिल्ली को सबसे उपयुक्त समझा गया है।

हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण

1995. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है अथवा कराई जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) तथा (ख) : हुगली नदी के ऊपर प्रस्तावित दूसरा पुल निर्माण होने पर राज्य सड़क पर पड़ेगा अतः उसके निर्माण की जिम्मेवारी मुख्यतः पश्चिम बंगाल सरकार को है। परन्तु इसके निर्माण में वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार सम्पूर्ण पुल की लागत को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई है जिसकी इस समय अनुमानित लागत 57.13 करोड़ रुपये है। कुछ अस्वीकार्य मदें अतिरिक्त हैं। अब तक 1,171.20 लाख रुपये को कुल ऋण सहायता दी जा चुकी है। परियोजना संबंधी संपूर्ण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों का रोका जाना

1996. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से अक्तूबर, 1977 की अवधि के दौरान दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों को रोकने की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) उसके परिणामस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम की बसों की कितनी क्षति हुई है;

(ग) कितने व्यक्ति घायल हुए और गिरफतार किए गए;

(घ) क्या सरकार को बसें रोके जाने के कारण आम जनता को होने वाली अत्यधिक कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है कि जन हित में दिल्ली में किसी भी बस को रोका न जाए अथवा उसका अपहरण न किया जाए ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) संबंधित अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन के अन्तर्गत 33 प्राइवेट परिचालकों की बसों सहित 1324 बसों को रोकने के मामले हुए।

(ख) इन घटनाओं में 65 बसों की क्षति हुई ।

(ग) निगम के पास सूचना के अनुसार 27 व्यक्ति जो बसों के रोकने में दोषी थे, को हिरासत में ले लिया गया । बसों को रोकने के कारण किसी भी व्यक्ति के घायल होने की रिपोर्ट निगम को नहीं बताई गई है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक शिखर समिति का गठन किया है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, प्रशासन के पुलिस विभाग तथा दिल्ली परिवहन निगम के प्रतिनिधि सामिल हैं ताकि वे छात्रों की मांगों पर विचार कर सके । इस प्रयोजन के लिए निगम ने एक तकलीफ सैल का भी गठन किया है । निगम के कई अधिकारियों को छात्रों से संबंध स्थापित करने के लिए नियत किया गया है । नवम्बर, 1977 में बस को रोकने की कोई घटना नहीं हुई है ।

चान्दीपुर में प्रूफ एण्ड एक्सपैरिमेन्ट सैन्टर

1997. **श्री जेना बैरागी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चान्दीपुर में प्रूफ एण्ड एक्सपैरिमेंट सैंटर रक्षा कर्मचारियों और हथियारों के परिवहन के लिये रेलवे लाइन से जड़ा हुआ नहीं है ;

(ख) क्या वहां पर एक आयुध कारखाना स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रूफ एण्ड एक्सपैरिमेंटल सैंटर के लिए रेल सम्पर्क बालासोर से है (जो कलकत्ता-मद्रास रेल लाइन पर है) । चान्दीपुर से बालसोर 15 किलो मिटर दूर है । बालसोर से चान्दीपुर जाने वाली सड़क रक्षा कार्मिकों और आयुध सामग्री को ले जाने के लिए अच्छी हालत में रखी जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Retail Price on Cloth

1998. **Shri Hargovind Verma**: Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have asked the Cotton Textile Industry not to print retail price on cloth; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) and (b): Consequent upon introduction of a new scheme under which Cotton Textile mills are required to stamp on every metre of cloth only ex-mill prices and excise incidence, the mills have been debarred from printing any other price.

नियंत्रित कपड़े पर राज सहायता समाप्त करना

1999. **श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि नियन्त्रित कपड़े पर राज सहायता समाप्त की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) दि इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन का दावा है कि चूंकि नियंत्रित कपड़े का विद्यमान मूल्य स्तर पर्याप्त नहीं है, अतः कपड़े के मूल्य को ऐसे स्तर पर निश्चित किया जाना चाहिए जिसमें लाभ को छोड़कर पर्याप्त उत्पादन लागत भी शामिल हो ;

(ख) नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने की योजना की संवीक्षा की जा रही है ।

स्कूटर इण्डिया लिमिटेड, सरोजिनी नगर, लखनऊ में कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कोटे को भरा जाना

2000. **श्री आर० एल० कुरील : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड, सरोजिनी नगर, लखनऊ में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु आरक्षित कोटे को भरा गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) 31-10-1977 के 3012.

(ख) और (ग) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए विभिन्न श्रेणियों में सुरक्षित कोटा भरा नहीं गया है । इसमें कमी के मुख्यतः निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) आवश्यक योग्यताओं में कमी करने के बावजूद विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में अनुसूचित जातियों/जन जातियों से बहुत कम आवेदन प्राप्त हुए ।

(2) बहुत से ऐसे लोग, जिनको विशेषतः सुपरवाइजरी स्टाफ के पदों के लिए चुना गया था जहां विशेष योग्यता वांछनीय होती है, सेवा में नहीं आये ।

सुरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये कम्पनी में एक विशेष भर्ती अभियान आरम्भ किया है ।

Indian Forest Service Examination

2001. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Union Public Service Commission had recommended appointment of nine Scheduled Caste and five Scheduled Tribe candidates on the basis of the Indian Forest Service Examination held in 1975 out of which nine Scheduled Caste and four Scheduled Tribe candidates have so far been appointed; and

(b) if so, the reasons for not appointing the remaining one Scheduled Tribe candidate?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) & (b): Of the five Scheduled Tribe candidates originally recommended by the Union Public Service Commission on the results of the Indian Forest Service Examination, 1975, one candidate was declared physically unfit for appointment to the Indian Forest Service. Accordingly a substitute Scheduled Tribe candidate was recommended by the Commission on the request of the Government. As formalities connected with the appointment of this candidate could not be completed in time to enable him to join the training course at the Forest Research Institute and Colleges, Dehradun, which commenced on the 1st March, 1976, he was asked to join the subsequent training course commencing from the 1st of March, 1977. Thus all five Scheduled Tribe candidates recommended by the Commission on the results of the 1975 examination have already been appointed to the Service.

अन्तर्देशीय जल परिवहन

2002. **श्री के० मायातेवर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल यातायात में अन्तर्देशीय जल परिवहन का कितना भाग है;

(ख) यह कितना कम होता जा रहा है;

(ग) क्या सरकार जानती है कि भारत में अन्तर्देशीय जल परिवहन बढ़ाने की भारी संभावनाएं है, और

(घ) यदि हां, तो परिवहन की इस प्रणाली का प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) तथा (ख) : अन्तर्देशीय जल परिवहन राज्य का विषय होने के कारण आंकड़े एकत्र करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जल परिवहन निगम द्वारा वहन किए जाने वाले यातायात के आंकड़े सभी राज्य सरकारों द्वारा एकत्र नहीं किए जा रहे है क्योंकि उनमें से कुछ के पास इसके लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं है। इन आंकड़ों के अभाव में कुल यातायात में अन्तर्देशीय जल परिवहन के भाग और यह घट रहा है अथवा नहीं को बताना संभव नहीं है।

(ग) सरकार को ज्ञात है कि कुछ वस्तुओं के लिए कुछ क्षेत्रों में अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को बढ़ाने की संभावनाएं हैं।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं हाथ में ली गई हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकारों को उनकी विकास योजनाओं के कार्यान्वियन तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

नियंत्रित वस्तुओं के निर्माता उद्योगों को लाभ की अधिक दर देना

2003. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित वस्तुओं के निर्माता उद्योगों को अधिक लाभ की दर देने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किस मानदण्ड को ध्यान में रखा जाएगा ;

(ग) कौन-कौन से उद्योग इसके अर्न्तगत लाये जायेंगे ; और

(घ) इस नीति की कब घोषणा कर दी जाएगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

उद्योगों की स्थापना हेतु बरोजगार इंजीनियरों को लाइसेंस देने की योजना

2204. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उद्योगों की स्थापना हेतु बेरोजगार इंजीनियरों को लाइसेंस देने की योजना है: और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में, राज्यवार, इससे कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं । लघु उद्योग लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना

2005. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने दिनांक 29 सितम्बर, 1977 को अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति, दार्जिलिंग के एक प्रतिनिधि मण्डल से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो किस विषय पर बातचीत हुई;

(ग) क्या नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने से साफ इन्कार कर दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) : अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान मंत्री से नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का आग्रह किया। प्रधान मंत्री ने प्रतिनिधियों को सूचित किया कि उनके सुझाव को मान लेना व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं होगा किन्तु सरकार का प्रयास सभी भाषाओं की सांस्कृति तथा साहित्यिक परम्परा के विकास को प्रोत्साहन देना है चाहे वे आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हों अथवा नहीं ।

बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उदयोग समूह की स्थापना

2006. श्री डा० बलदेव प्रकाश : क्या उदयोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उद्योग समूहों की स्थापना करने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : बड़ी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनियों का देश में औद्योगिक काम्पलेक्स शुरु करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पार्टी के नाम, उत्पादन की वस्तु, क्षमता, स्थापना स्थल आदि सहित सभी औद्योगिक लाइसेंसों के विवरण 'वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, 'इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज' 'इण्डियन ट्रेड जर्नल' और 'मन्थली लिस्ट आफ लैटर्स आफ इन्टेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज' में प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। विदेशी सहयोग को स्वीकृतियों की सूचना भी संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में असंगतियां

2007. श्री सी आर० महाटा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह समझती है कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में कुछ असंगतियां है और यह काफी हद तक पुराना हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर नये सिरे से विचार करना वांछनीय समझती है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकार के विचार में अधिनियम के कतिपय उपबन्धों का पुनर्विलोकन करने की जरूरत है।

(ख) जी, हां।

एकाधिकार गृहों को जारी नये लाइसेंस और उनको विस्तार करने की अनुमति दिया जाना

2008. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या उद्योग मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में एकाधिकार गृहों को जारी नए लाइसेंसों तथा उनको विस्तार करने के लिए दी गई अनुमति के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके नाम क्या है और अप्रैल, 1977 से इन गृहों को कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ग) क्या गत छः महीनों में एकाधिकार गृहों के विस्तार को रोकने के लिए कोई विशेष कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नये उपक्रमों की स्थापना करने तथा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया उपक्रमों का विस्तार करने के लिये निम्नलिखित संख्या में औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे :

अवधि	नये उपक्रमों के लिये	पर्याप्त विस्तार के लिये
1974–75	9	28
1975–76	11	44
1976–77	7	30
अप्रैल, 77–अक्टूबर, 77 . .	..	17

औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा जिसमें पार्टी का नाम, निर्माण की जाने वाली वस्तु, क्षमता, स्थान आदि "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज," "इंडियन ट्रेड जर्नल" तथा "मन्थली लिस्ट आफ लेटस आफ इन्टेंट एण्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज" में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) : 2 फरवरी, 1973 के प्रेस नोट में घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति एम० आर० टी० पी० अधिनियमों में आने वाले उपक्रमों के संबंध में लागू हैं।

परमाणु विद्युत संयंत्रों की आयातित परमाणु ईंधन पर निर्भरता

2009. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के परमाणु विद्युत संयंत्र विदेशों से परमाणु ईंधन के आयात पर निर्भर हैं; यदि हां, तो परमाणु विद्युत संयंत्रों के उपयोग के लिये कितनी मात्रा में (एक) विदेशों से परमाणु ईंधन का आयात किया गया और (दो) कितनी मात्रा में परमाणु ऊर्जा आयोग ने इसका उत्पादन किया ;

(ख) किन किन देशों से परमाणु ईंधन का आयात किया जाता है और वार्षिक आयात की लागत तथा मात्रा कितनी है और क्या परमाणु ईंधन के आयात के बारे में परमाणु ऊर्जा आयोग को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(घ) क्या भारतीय परमाणु विद्युत संयंत्रों में उपयोग के लिये सम्पुष्ट यूरेनियम और थोरियम के उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग ने परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केवल तारापुर परमाणु बिजलीघर ही ऐसा बिजलीघर है जो संयुक्त राज्य अमरीका से मंगाये गये समृद्ध यूरेनियम पर निर्भर करता है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट और निर्माणाधीन बिजलीघरों के लिए आवश्यक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उत्पादन भारत में ही किया जा रहा है। तारापुर परमाणु

बिजलीघर के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से प्रतिवर्ष औसतन करीब 18 मीटरिक टन समृद्ध यूरेनियम का आयात किया जाता है, जिसकी कीमत इस समय 61.5 लाख डालर बठती है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के लिए, जो कि एक मात्र अन्य चालू बिजलीघर है, परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतर्विष्ट यूरेनियम वाले इंधन की लगभग 140 मीटरिक टन भार की परिष्कृत एसेंब्लियां तैयार की हैं।

(ख) और (ग) : संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार और भारत सरकार के बीच हुए द्विपक्षीय सहयोग करार में यह व्यवस्था की गई है कि तारापुर परमाणु बिजलोघर की समृद्ध यूरेनियम संबंधी सारी आवश्यकता की पूर्ति संयुक्त राज्य अमरीका के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा (जिसका नाम अब संयुक्त राज्य अमरीका का ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास प्राधिकरण है) की जाएगी और भारत अन्य स्रोतों से उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा। तदनुसार, इस बिजलीघर के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम केवल संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, संयुक्त राज्य अमरीका से प्रतिवर्ष 61.5 लाख डालर मूल्य का औसतन 18 मीटरिक टन समृद्ध यूरेनियम मंगाया जाता है।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा समृद्ध यूरेनियम के संबंध में निर्धारित वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम का प्रेषण निर्यात लाइसेंसों के अंतर्गत किया जाता है। ये लाइसेंस संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन द्वारा जारी किए जाते हैं जो एक अर्ध-न्यायिक संकाय है और संयुक्त राज्य अमरीका की कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है। निर्यात में हस्तक्षेप करने वाले लोगों के एक वर्ग ने सन् 1975 में न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के समक्ष इस मांग के साथ अपनी याचिका प्रस्तुत की थी कि भारत को समृद्ध यूरेनियम का निर्यात बंद किया जाए। उनका यह कार्य अमरीका की न्यूक्लीय सामग्री का निर्यात करने की नीति में बड़े परिवर्तन लाने के अन्य बड़े प्रयासों का एक अंग था। जो निर्यात लाइसेंस आयोग के विचाराधीन थे उनके जारी होने में थोड़ी बहुत देरी हो गई और वे आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जारी किये गये। इन निर्यात लाइसेंसों के अंतर्गत भेजा गया समृद्ध यूरेनियम भारत पहुंच चुका है। भविष्य में समय पर और समृद्ध यूरेनियम न मिलने की स्थिति में इस बिजलीघर के प्रचालन पर असर पड़ सकता है।

(घ) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करने की कोई परियोजना नहीं है, क्योंकि ऐसी परियोजना व्यावहारिक नहीं रहेगी। जहां तक थोरियम का संबंध है, फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर में इस धातु को काम में लाने की दिशा में अनुसंधान किये जा रहे हैं और प्राविधियों का विकास किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में ड्रम उद्योग को आवश्यक कच्चे माल की कम सप्लाई

2010. **श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में ड्रम उद्योग को उद्योग चलाने हेतु आवश्यक कच्चे माल की बहुत ही कम मात्रा में सप्लाई हो रही है :

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है : और

(ग) कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क), (ख) और (ग) : पश्चिम बंगाल के ड्रम और पीपे बनाने वाले एककों ने सूचित किया है कि स्टील ड्रमों का उत्पादन करने के लिए उन्हें देशी स्टील की चद्दरें कम मात्रा में सप्लाई की जा रही है। उन्हें इस बात की सलाह दी गई है कि वे अधिक से अधिक 12 महीने की अपनी आवश्यकता को एस० ए० आई० एल०/लोहा और इस्पात नियंत्रक/मिटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन के पास पंजीयित करा लें ताकि उनकी आवश्यकताओं को देशी उत्पादकों अथवा आयात या दोनों के द्वारा पूरा गिया जा सके।

पुलिस द्वारा आदेशों का पालन

2011. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 अक्तूबर, 1977 को नीमच में यह वक्तव्य दिया था कि पुलिस अधिकारी यदि अपने वरीष्ठ अधिकारियों के आदेशों को अवैध समझें तो उन्हें उक्त आदेशों को मानने से इंकार कर देना चाहिए, जैसा कि 1 नवम्बर, 1977 के इंडियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करने से पुलिस बल में अनुशासनहीनता नहीं बढ़ेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 में पहले ही यह व्यवस्था है कि वैध रूप से दिये गये सभी आदेशों का पालन करना पुलिस का कर्त्तव्य होना चाहिए। अतः अवैध आदेशों का पालन उनके लिए अनिवार्य नहीं है। वक्तव्य के कोई नये निदेश नहीं दिये गये थे और इस प्रकार पुलिस बल में इससे अनुशासनहीनता का प्रश्न नहीं उठता।

औरंगाबाद में टेलीविजन केन्द्र

2012. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : निकट भविष्य में महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एक टेलिविजन केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : जी, नहीं।

अनुसूचित बैंकों में रोजगार हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम भेजा जाना

2013. **श्री आर० वेंकटारमन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास महानिदेशालय ने 1977 में अनुसूचित बैंकों में रोजगार हेतु कितने सेवा-निवृत्त अधिकारियों के नाम भेजे थे; और

(ख) इन बैंकों में कितनों के लिये नौकरी की व्यवस्था की गयी?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 196.

(ख) 9.

Separate State of Vidarbha

2014. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a demand is being made by the Maha Vidarbha Sangharsh Samiti to create a separate State of Vidarbha from Maharashtra State; and

(b) the policy of the Central Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) & (b) : As already stated in reply to Starred Question No. 130 on 23rd November, 1977 the Government are not formally seized of any proposal for the reorganisation of States.

जम्मू तथा काश्मीर में पन बिजली परियोजना के लिए सर्वेक्षण

2015. **श्री बलदेव सिंह जसरोटा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तथा विशेषकर जम्मू तथा कश्मीर राज्य में ऊर्जा की कमी को देखते हुए भारत सरकार जम्मू तथा कश्मीर राज्य में चिनाव, रावी, जेहलम और सोमा नदियों का उपयोग करके वहां पन बिजली परियोजना आरंभ करने के बारे में सर्वेक्षण कर रही है; और

(ख) क्या विद्युत आयोग का कोई मुख्य भाग जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कार्य कर रहा है और यदि हां, तो कब से और अब तक हुई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जम्मू और काश्मीर राज्य में जल-विद्युत परि-योजनाएं अभिज्ञात करने की दृष्टि से भारत सरकार तथा जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा चिनाव बेसिन में सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। रावी और झेलम बेसिनों में सर्वेक्षण राज्य प्राधि-करणों द्वारा स्वयं ही किए जा रहे हैं।

(ख) जी, हां। जम्मू और कश्मीर राज्य में चिनाव नदी पर जल-विद्युत परि-योजनाओं के अनुसंधान के लिए केन्द्रीय जल आयोग का एक अनुसंधान-मण्डल जम्मू में है। ये अनुसंधान जून, 1961 में शुरू किए गए थे। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जम्मू और काश्मीर में किए गए जल-विद्युत परि-योजनाओं संबंधी अनुसंधानों का विवरण नीचे दिया जाता है:—

(1) दुल-हस्ती परियोजना (390 मेगावाट)	संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है।
(2) रातले परियोजना (170 मेगावाट)	प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है।

(3) बड़सर (296 मेगावाट)	तीन बांध स्थलों अर्थात बड़सर, टिल्लर तथा नागर पर अनुसंधान किए गए थे और भूवैज्ञानिक कारणों से इनका परित्याग कर दिया गया है। चौथे वैकल्पिक स्थल अर्थात हंजल के बारे में विस्तृत अन्वेषण जुलाई, 1971 से चल रहे हैं। आशा की जाती है कि इस परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट की रूप-रेखा 1978-79 तक तैयार हो जाएगी।
(4) पाखल-डल (375 मेगावट) (5) बगलेहड परियोजना (220 मेगावाट) (6) खालकोट (290 मेगावाट)	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रगति पर हैं। आशा है कि प्रारंभिक रिपोर्टों की रूप-रेखा फरवरी, 1979 तक तैयार हो जाएगी।

Photolitho Department of JCB

2016. **Shri Mahi Lal:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the work of character verification of the candidates who passed the written examination and were selected in the interview held for the recruitment of personnel of various categories required for running the photolitho department of JCB has since been completed by the police;

(b) if so, the number of selected persons who have been issued appointment letters; and

(c) the category-wise number of such persons who have not been issued appointment letters so far and the reasons for the delay in this regard and the time by which appointment letters are likely to be issued to them?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) The verification of character and antecedents of 41 individuals out of the 42 selected, has been completed.

(b) 34.

(c) The category-wise number of the remaining 7 persons who have not been issued the appointment letters is as follows:—

Asstt. Artist Retoucher	— 1
Offset machineman Gde. II	— 2
Tech. Asstt. (Vari-Type)	— 2
Dark Room Asstt.	— 1
Copy Holder	— 1

The delay in issuing appointment letters to these seven individuals has taken place due to the fact that the photolitho Department has not been put in full operation. The appointment letters to such individuals are likely to be issued in 2—3 months.

Administrative Reforms

2017. **Shri Daulat Ram Saran:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number and names of Committees and Commissions set up for administrative reforms after independence and the dates on which these were set up separately;

(b) whether suggestions made by them were implemented and if so, expenditure incurred on the implementation of each of these suggestions;

(c) whether copy of these reports would be laid on the table of the House; and

(d) whether Government propose to make a basic change in the administration and if so, by what time?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) to (d): Government have set up a number of committees/commissions after independence with a view to bring about reforms in various aspects of administration. The committees/commissions include among others, the Secretariat Reorganisation Committee headed by Shri Girija Shankar Bajpai; Reorganisation of the Machinery of the Government by Shri N. Gopalaswamy Ayyangar; Report on Public Administration by Shri A. D. Gorwala and various Pay and Finance Commissions. The most comprehensive review of the working of the public administration in India was, however, carried out by the administrative Reforms Commission appointed in 1966. This Commission, which completed its working in 1970, submitted 20 reports containing 578 recommendations. The recommendations of the Commission and Government decisions thereon in so far as they relate to the Central Govt. have been laid on the Table of the House from time to time. The last such statement was laid on the Table of the Lok Sabha on the 17th November, 1977.

It will not be practicable to assess the extent of the implementation of various recommendations of different commissions and committees or to calculate the cost on the implementation of each suggestion, Administrative Reform is, however, a continuous process and efforts to improve administration are made constantly.

Posts Reserved for Scheduled Tribes

2018. **Shri Ram Vilas Paswan:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether in case suitable persons/candidates of Harijans and Scheduled Tribes are not available for any post, it is converted into an unreserved post; and

(b) whether Government would issue orders to the effect that in case suitable candidates belonging to Scheduled Tribes are not available for a post, the same should be reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) & (b): Orders already exist according to which vacancies reserved for Scheduled Tribes for which candidates belonging to Scheduled Tribes are not available can be exchanged in favour of Scheduled Castes and

vice-versa, in the third year of carry forward of unfilled reserved vacancies (unfilled reserved vacancies are usually required to be carried forward to subsequent three recruitment years). A reserved vacancy is treated as unreserved only in the event of non-availability of a candidate of the community for whom it is reserved, and in cases the reserved vacancy is exchangeable between Scheduled Castes and Scheduled Tribes, i.e., in the 3rd year of carry forward, a candidate of either community is not available.

In the case of posts filled by promotion by selection from Class III to Class II, within Class II and from Class II to the lowest rung of Class I, however, there is no carry forward of unfilled reserved vacancies and a vacancy reserved for Scheduled Tribes can be filled by a Scheduled Caste candidate and *vice-versa* in the same year itself in which the reservation is made, if the appropriate reserved vacancy cannot be filled by a Scheduled Tribe or a Scheduled Caste candidate, as the case may be.

स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा लन्दन में दिया गया वक्तव्य

2019. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० एस० रामलिंगम : } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाल ही में लन्दन में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने अंग्रेजी को 'रानी' कहा है और 'तमिल' को दासी कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) : माननीय स्वाथ्य मंत्री जी ने अपने लंदन के दौरे में, विभिन्न अवसरों पर, भाषा समस्या के बारे में कुछ बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि उन्हें भारत की सभी भाषायें बराबर प्रिय हैं और यह विडम्बना है कि अंग्रेजी जो की एक विदेशी भाषा है, को रानी के समान उच्च स्थान दिया गया है और अन्य भारतीय भाषाओं को नौकरानी के समान रखा गया है।

एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के विरूद्ध आरोपों की जांच

2020. **श्री के० मायातेवर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने तामिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश के विरूद्ध कितने मामलों की पूरी तरह जांच कर ली है और कितने मामलों में आरोप पत्र दायर किए हैं; और

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले में मुकदमा किस अवस्था में है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 8 आरोपों से संबंधित एक मामला मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री के० वीरास्वामी के विरूद्ध 24-2-1976 को जांच के लिए दर्ज किया था।

इनमें से 6 आरोपों की जांच अब तक पूरी हो चुकी है, और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की कानूनी संवोक्षा की जा रही है, कानूनी सलाह अभी आनी बाकी है।

शेष दो आरोप अभी जांचाधीन हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों के लिये संरक्षण

2021. **श्री के० रामनूर्ति** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् न तो "सरकारी निकाय" है और न ही "सांविधिक निकाय" है और इस कारण इसके जरूरतमंद कर्मचारी कानूनी राहत के लिये संविधान के अनुच्छेद बारह का सहारा नहीं ले सकते;

(ख) क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् "उद्योग" नही है और इस कारण इसके जरूरतमंद कर्मचारी सांविधिक राहत के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते; और

(ग) यदि हां, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के 20,000 कर्मचारियों को परिषद् के अधिकारियों के तानाशाही आतंकपूर्ण रवैये, विशेष रूप से सेवा समाप्ति, निलम्बन, समुचित पदोन्नति से वंचित रखना, आदि के विरूद्ध संरक्षण के लिये क्या कानूनी राहत प्राप्त है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) का स्वरूप सांविधिक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि संविधान के अनुच्छेद बारह के अन्तर्गत सी० एस० आई० आर० एक प्राधिकरण नहीं है।

(ख) मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि "सी० एस० आई० आर० मद्रास कौमप्लैक्स" औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा ट्रड यूनियन अधिनियम के कार्यों के लिये "उद्योग" नहीं है।

(ग) सी० एस० आई० आर० के कर्मचारियों के लिये कानूनी राहत दीवानी मुकदमों के रुप में उपलब्ध है।

Submission of Files by Karnataka Government to Grover Commission

2022. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received such indications that there has been slackness on the part of Government of Karnataka in submitting requisite files to Justice Groven who is making an inquiry against the Chief Minister of Karnataka ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) Yes, Sir.

(b) In respect of some records required by the Grover Commission for inquiry into allegations contained in Annexure-II to the Notification, the State Government pleaded that these had already been forwarded to the Mir Iqbal Hussain Commission of Inquiry set up by the State Government before the appointment of the Grover Commission and that it would take long time to make photostat copies of those records. The Grover Commission has given appropriate directions from time to time to the State Government to furnish expeditiously all records including those forwarded previously to the Mir Iqbal Hussain Commission.

Construction of Roads for the Military Organisations

2023. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of the military organisations deployed for the construction of roads in the border areas for the use of army and the common people there and the areas of their operation ; and

(b) the posts, the pay scales and other facilities provided to the personnel of these organisations ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The General Reserve Engineer Force of the Border Roads Organisation, which is a civilian force, constructs roads in the border areas. The normal areas of operation of this organisation in the country are the north and north eastern border areas and the border areas of Rajasthan.

(b) (i) Posts and the pay scales in the General Reserve Engineer Force are given in Statement attached.

[Placed in the Library. See No. L.T. 1209/77.]

(ii) The officers and the personnel of General Reserve Engineer Force are given, besides pay and dearness allowance, special compensatory allowance in specified areas, Children Education allowance and re-imbursement of tuition fees as applicable to non-industrial Civilians of Defence Services, free rations and free single accommodation of simple type with lighting and domestic water supply to those employed in the non-static formations, free medical treatment, free remittance of money to the families in respect of those serving in units/formations where they are in receipt of free rations and free accommodation, outfit allowance on appointment of officers and renewal outfit allowance, free uniform to supervisory and other personnel and also its replacement due to fair wear and tear, extra clothing on loan considering climatic conditions of the area of work, leave as admissible under Central Civil Service Rules, TA/Railway warrants while travelling on temporary duty, LTC as admissible to non-industrial Civilians of Defence Services, death injury benefits under the Workmen Compensation Act or CCS (Extra-ordinary Pension) Rules as the case may be, terminal benefits on release from service and pensionary benefits.

भागलपुर विद्युत् चालित करघा बुनकर एसोसिएशन के अवैतनिक जनरल सेक्रेटरी से अभ्यावेदन

2024. **श्री ए० के० राय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको भागलपुर विद्युत चालित करघा बुनकर एसोसिएशन, नाथ नगर, भागलपुर के अवैतनिक जनरल सेक्रेटरी से 10 अप्रैल, 1977 का अभ्यावेदन संख्या 4/26 की एक प्रति प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्याएं और शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां।

(ख) एसोसिएशन ने सूती धागे स्टेपल धागे की सप्लाई, परिष्करण की सुविधाओं की व्यवस्था करने, रियायती ब्याज दर पर बैंकों से ऋण दिलाये जाने, स्थानीय कर हटाए जाने तथा कपड़े के विपणन में सहायता दिये जाने से सबंधित समस्याओं का उल्लेख किया है।

(ग) वस्त्र आयुक्त ने बिचौलियों द्वारा लिये जाने वाले लाभ को समाप्त करने की दृष्टि से सीधे बुनकरों के एसोसिएशन को मिल से चलते समय के दर पर धागे की सप्लाई करने के मामलों पर पूर्वी क्षेत्र की कताई मिलों से बातचीत की हैं। वस्त्र आयुक्त ने भागलपुर विद्युत्चालित करधा एसोसिएशन को स्पष्ट कर दिया है कि सुविधाओं की व्यवस्था करने, रियायतो ब्याजदर पर बैंको से ऋण देने, विपणन व्यवस्था आदि के मामले राज्य सरकारों की संवीक्षा के अंतर्गत आते हैं तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की विकास योजनाओं के अंग के रुप में उनसे इन बातों पर विचार किया जा सकता है।

अहमद वूलन मिल अम्बरनाथ (महाराष्ट्र)

2025. **श्री आर० के० महालगी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यों अम्बरनाथ जिला थाना (महाराष्ट्र) स्थित अहमद वुलन मिल दो करोड़ रुपए अथवा इसके आसपास के मूल्य की निष्क्रांत सम्पति हैं;

(ख) उक्त मिल में कितने मजदूर काम कर सकते हैं:

(ग) मिल के विभिन्न सक्शनों में इस समय कितने मजदूर काम करते हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त मिल में श्रमिकों को क्षमता का पूरा उपयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) सर, अहमद (अहेमंड नही) वूलन मिल, अंबरनाथ, जिला-थाना (महाराष्ट्र) एक निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति है। इसमें अनेक उपक्रम है। सिन्डीकेट बैंक जिन्होंने मिल को पर्याप्त अग्रिम राशी दी है, के द्वारा सितम्बर, 1976 में दी गयी सूचना के अनुसार समस्त अहमद वूलन मिल बस्ती (भूमि, भवन तथा मशीनों सहित) का मूल्यनिर्धारण लगभग 171 लाख रुपये था।

(ख) गत वर्ष मिल में अधिकतम 500 कर्मचारियां को रोजगार मिला हुआ था। फिर भी, इस समय मिल में लगभग 327 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

6—350 L.S.S.(N.D)/77

(ग) क्षेत्रवार कर्मचारियों की उपलब्ध, संख्या इस प्रकार है :

क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या
डाइंग	31
कताई	45
डबलिंग	41
वाइंडिंग	17
चर्खी पर लपेटना व बंडल बांधना . . .	17
रख-रखाव	10
बुनाई (ऊनी)	112(तीन पालियां)
सुधराई	24
कर्मचारी . . .	30
योग .	327

(घ) प्रबन्धकों से कहा गया है कि वे श्रमिकों को क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने का प्रयास करें।

केरल में कपडा मिलों का बन्द होना

2026. **श्री वयालार रवि :** क्या उद्योग मंत्री केरल में कपड़ा मिलों के बन्द होने के बारे में 1 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2368 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुन: चालू करने और इन मिलों के बेरोजगार कर्मचारियों को रोजगार देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : लोक सभा में 1-7-1977 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2368 के उत्तर में उल्लिखित 6 बन्द कपड़ा मिलों में से 3 मिलें पुन: खुल गई हैं। ये तीनों मिले निम्नलिखित हैं :-

(i) त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स लि० बनरामपुरम;

(ii) केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचुर; और

(iii) जी टी एन टेक्सटाइल लि०, अलवई ।

जहां तक बाकी 3 मिलों का संबंध है केरल सरकार ने राज्य टेक्सटाइल निगम के अधीन तीनों मिलों को फिर से चालू करने की योजनाय तयार की हैं।

रूई का आयात

2027. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में, किस्वमार, कुल कितनी रूई का आयात किया गया :

(ख) प्रत्येक किस्म के लिये प्रत्येक वर्ष में कितना मूल्य अदा किया गया;

(ग) उस समय इन किस्मों के देश के बाजारों में क्या मूल्य प्रचलित थे ; और

(घ) भारतीय रुई निगम को कितनी हानि हुई अथवा प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक किस्म पर सरकार द्वारा कितनी राज सहायता दी गई ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) विगत तीन वर्षों में आयात की गई रुई का वर्षवार तथा किस्मवार कुल परिमाण इस प्रकार हैं:—

रुई वर्ष (सितम्बर से अगस्त)	किस्म	परिमाण (प्रत्येक 170 किलो० गांठों में परिमाण)
1974–75	सूडान एक्सट्रा लांग स्टेपल . . .	17,313
	पाकिस्तान मीडियम स्टेपल . . .	98,000
	योग	1,15,313
1975–76	पाकिस्तान मीडियम स्टेपल . . .	1,02,000
	इजिप्शियन एक्स्ट्रा लांग स्टेपल . . .	23,335
	सूडान एक्स्ट्रा लांग स्टेपल . . .	40,665
	योग	1,66,000
1976–77	सूडान लांग स्टेपल	12,768
	ग्लोबल मीडियम स्टेपल . . .	3,65,000
	ग्लोबल शार्ट मीडियम	4,40,232
	योग	8,18,000

(ख) उपर्युक्त किस्मों के लिए जहाज पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर भुगतान किया गया वर्षवार औसत मूल्य इस प्रकार है :—

		प्रति केन्डी मूल्य रुपये में
1974–75	सूडान एक्सट्रा लांग स्टेपल . . .	6100 रु०
	पाकिस्तान मीडियम स्टेपल . . .	2619 रु०
1975–76	सूडान एक्स्ट्रा लांग स्टेपल . . .	6320 रु०
	इजिप्शियन एक्स्ट्रा लांग स्टेपल . . .	10035 रु०
	पाकिस्तान मीडियम स्टेपल . . .	2619 रु०
1976–77	सूडान लांग स्टेपल	7474. रु०
	ग्लोबल मीडियम स्टेपल	5902 रु०
	ग्लोबल शार्ट मीडियम स्टेपल . . .	5404 रु०

(ग) इन क़िस्मों के लिए देश के बाजार में उस समय प्रचलित औसत मूल्य इस प्रकार थे :—

प्रति केन्डी मूल्य रुपयों में

रुई वर्ष	किस्म	मूल्य	
1974–75	सूडान एक्स्ट्रा लांग स्टेपल . . .	6,100	आयात व्यय सहित
	पाकिस्तान मीडियम स्टेपल . . .	2,619	
1975–76	सूडान एक्स्ट्रा लांग स्टेपल . . .	6,320	केवल आयात व्यय सहित
	इजिप्शियन एक्स्ट्रा लांग स्टेपल . . .	10,035	
	पाकिस्तान मीडियम स्टेपल . . .	2,700	
1976–77	सूडान लांग स्टेपल	7,474	आयात व्यय सहित
	ग्लोबल मीडियम स्टेपल	5,250	
	ग्लोबल शार्ट मीडियम स्टेपल . . .	4,300	

(घ) प्रत्येक किस्म पर और प्रत्येक वर्ष भारतीय रुई निगम कों हुई हानियां तथा सरकार द्वारा दी गई राज सहायता इस प्रकार थी :—

1974–75	सूडान एक्स्ट्रा लांग स्टेपल . . .	कुछ नही
	पाकिस्तान मीडियम स्टेपल . . .	कुछ नही
1975–76	सूडान एक्स्ट्रा लांग स्टेपल . . .	कुछ नहीं
	इजिप्शियन एक्स्ट्रा लांग स्टेपल . . .	कुछ नहीं
	पाकिस्तान मीडियम स्टेपल . . .	हानि की रकम का ठीक-ठीक हिसाब अभी तक नहीं लगाया गया है।
1976–77	सूडान लांग स्टेपल ग्लोबल मीडियम स्टेपल ग्लोबल शार्ट मीडियम स्टेपल	हानि की वास्तविक रकम अथवा भारतीय रुई निगम को आयातित रुई की बिक्री पर सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता की जानकारी तभी मिलेगी जब बिक्री जिसमें प्रगति हो रही है, पूरी हो जायेगी। फिर भी, सरकार आयातित रुई पर राज सहायता के रुप में भारतीय रुई निगम को 41 करोड़ रुपये की आंशिक प्रतिपूर्ति कर चुकी है ।

'क्राफ्ट इंडिया 77' प्रदर्शनी

2028. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी–मार्च, 1977 के बीच बम्बई में 'क्राफ्ट इंडिया 77' प्रदर्शनी आयोजित की गई थी और यह प्रदर्शनी दिल्ली की क्राफ्टस इंडिया सोसाइटी ने आयोजित की थी ;

(ख) क्या इस प्रदर्शनी का आयोजन खर्च, आंशिक रुप से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धन-राशि, राज्य सरकार की स्टाल धनराशि, दुकान एककों तथा प्रवेश शुल्क से प्राप्त हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो इससे सोसाइटी को कितनी आय हुई है और यह धनराशि किस प्रयोजन के लिये उपयोग की जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : चूंकि प्रदर्शनी की आयोजक प्राइवेट पार्टी थी, इसलिए सरकार को उससे होने वाली आय, व्यय तथा उससे होने वाले लाभ का किन कामों में इस्तेमाल किया गया इसके बारे में कोई भी जानकारी नही है।

कुछ किस्मों के कपड़ों का उत्पादन हथकरधा उद्योग के लिये आरक्षित करने का प्रस्ताव

2029. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ किस्मों के कपडों का उत्पादन हथकरधा उद्योग के लिए आरक्षित करने और निर्यात के लिए उत्पादन करने का काम कपड़ा मिलों पर छोड़ने का है ;

(ख) आरक्षण सम्बन्धी विचाराधीन योजना की अनिवार्य बातें क्या है ; और

(ग) गत सात महीनों में किये गये विशिष्ट उपायों के परिणामस्वरूप हथकरधा उद्योग को कितना लाभ हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) हथकरघा क्षेत्र के लिये इस समय भी निम्न-लिखित उत्पादन आरक्षित हैं। हथकरघा क्षेत्र से पर्याप्त निर्यात भी किये जाते हैं। कपड़ा मिलों पर निर्यात उत्पादन छोड़ देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(1) रंगीन साड़ियां तथा सीमित बार्डर वाली साड़ियां।
(2) सूती रंगीन धोतियां
(3) लो-रीड-पिक कपड़ा
(4) झाड़न
(5) तौलिये तथा तौलियों का कपड़ा; हनीकाम्ब बुनाई तथा इरझा थोरटू
(6) लुंगी, सरोंग तथा गमछे
(7) कुछ किस्म की चद्दरें, बिछाने की चादरें तथा बिस्तर के कवर
(8) टेबल क्लाथ तथा नैपकिन्स
(9) ताने बाने के 80 तथा निचले सूत सहित सीधी बुनाई का कपड़ा
(10) मशरू कपड़ा (11) तथा क्रेप।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वित्तीय वर्ष 1977–78 के प्रथम 7 महीनों में हथकरघा बुनकरों के हित में अनेक उपाय किये गये थे। केरल तथा कर्नाटक प्रत्येक के लिये दो गहन परियोजनाओं की स्वीकृति भी दी गयी थी तथा इन दो परियोजनाओं के लिये 30 लाख रुपये की रकम का वितरण किया गया था। तमिलनाडु सरकार (3 करोड़ रुपये) केरल (1.25 लाख रुपये) तथा पश्चिम बंगाल को (75 लाख रुपये) कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे ताकि वे प्राथमिक सोसाइटियों से संचित हथकरघों का कपड़ा प्राप्त कर शीर्षस्थ सहकारी समिति संस्थाओं की सहायता करने में समर्थ हो सकें। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 50 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी ताकि वे अर्थक्षम विस्तार कार्यक्रम में सहायता करने हेतु बुनकर सहकारी कताई मिलों में भाग लेने के लिये अपनी योजना का विस्तार करने में समर्थ हो सकें। इसके अतिरिक्त हथकरघा बुनकरों को प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के शेयर पूंजी के आधार को सुदृढ़ करने के लिये तथा हथकरघा बुनकरों को ऋण दने के लिए 16 राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को 1.39 करोड़ रुपये की रकम दी गयी थी। 1.48 करोड़ रुपये तथा 1.35 करोड़ रुपये के ऋण क्रमशः शीर्ष सहकारी समितियों तथा हथकरघा विकास निगमों को उनके शेयर पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिये दिये गये थे। साथ ही समाज के कमजोर वर्ग के लिये जनता धोतियां तथा साड़ियों का उत्पादन करने के लिये राजसहायता के रूप में तमिलनाडु, आंध्र-प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पांडिचेरी को 74 लाख रुपये की धनराशि दी गयी थी। 22.50 लाख रुपये की केन्द्र सरकार की दूसरी किम्मत हर एक गहन परियोजना के लिये उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, बिहार तथा तमिलनाडु सरकारों को दी गयी थी।

उपर्युक्त सभी राशियां हथकरघा बुनकरों के आर्थिक लाभ के लिये दी गयी हैं तथा इससे वे अपना उत्पादन व बिक्री बढ़ाने योग्य हो सकेंगे और अपने जीवनस्तर को ऊंचा उठा सकेंगे। 1976–77 में सहकारी समितियों में 1,00,000 बुनकरों को शामिल कर लिया गया है तथा 1977–78 की अवधि में सहकारी समितियों में 4,00,000 बुनकरों को ले आने का विचार है। सहकारी उपायों का मन्तव्य सहकारी समितियों तथा हथकरघा विकास निगमों के जरिये एक प्रावस्थाबद्ध रूप में हथकरघा बुनकरों के लिए संस्थागत सहायता की व्यवस्था करना है। इससे बुनकर अपने कच्चे माल को जरुरतों पूरी करने तथा उत्पादों के विपणन में सहायता हेतु ऋण प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे।

Stabilization of the prices of Mulberry Raw Silk

2030. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have finalized a scheme regarding stabilization of prices of mulberry raw silk; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Yes, Sir.

(b) The main features of the scheme are as under:

(1) To ensure a fair and steady price to the primary producers viz. the silkworm rearers, at a level that would ensure stability and further promotion of mulberry cultivation and silkworm rearing in the country;

(2) To operate the 'Floor' & 'Ceiling' prices for mulberry raw silk fixed by the Central Silk Board and thus bring about a measure of stability in the raw silk markets;

(3) To provide for 'Off-the-shelf' supply of essential raw materials to the actual users such as silk throwing units, handloom silk weavers, Khadi silk weavers, manufacturing exporters, etc. at fair prices;

(4) To generate quality-consciousness among the primary producers of reeling cocoons and raw silk by providing for linking of quality with price.

(5) To bring about rationalisation in the marketing of raw silk.

Incentives to Handloom Industry

2031. **Shri N. K. Shejwalkar:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state the assistance proposed to be provided to the various states for giving incentives to Handloom Industry indicating the quantum and the mode thereof?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): A provision of Rs. 20 crores for Plan Schemes and Rs. 14.93 crores for Non-Plan Schemes for the development of Handloom Industry through the medium of State Governments has been made in the current year's Central Budget. The amount will be utilised by way of loans, grants and direct departmental expenditure on the various approved Schemes for the benefit of the handloom weavers. These schemes cover the entire gamut of handloom sector including production and marketing both within the cooperative sector and outside it. A statement indicating the main programmes of development and the proposed outlays, is attached.

In addition to the outlays in the Central Plan States have made provision in their Annual Plan, for handloom development Schemes. The total amount so provided for 1977-78 is Rs. 15.22 crores.

Statement

S. No.	Heads	RE 1977-78 (Rs. in lakhs)
1	Weavers' Service Centres & Institutes of Handloom Technology .	62.00
2	Assistance to All India Handloom Fabrics Society . . .	75.00
3	Office of Development Commissioner for Handlooms	6.00
4	Assistance to National Cooperative Development Corporation for Weavers' Cooperative Spinning Mills.	250.00
5	Intensive Handloom Development Projects	550.00
6	Export Production Projects	250.00
7	Extension of Cooperative Coverage (Primary Societies) . .	235.00
8	Preloom and postloom Processing facilities	100.00
9	Assistance to Apex Societies and Handloom Development Corporations.	450.00
10	Market Surveys & Studies.	10.00
11	Training at the national level for the Managers and Chief Executive Officers in-charge of Handloom Development Programme.	2.00
12	Technical Journals, Publicity & Fairs & Exhibitions . .	10.00
	TOTAL . .	2000.00

Statement—Concld.

S. No.	Heads	RE 1977-78 (Rs. in lakhs)
	NON-PLAN	
(i)	Weaver's Service Centre and Institutes of Handloom Technology.	43.13
(ii)	Assistance to All India Handloom Fabrics Society	..
(iii)	Subsidy for production of Controlled dhoties and sarees in handloom sector.	450.00
(iv)	Special rebate on sale of handloom cloth accumulations . .	500.00
(v)	Loans to State Governments for clearance of handloom stocks .	5C0.00
		1493.13

Renaming of Historical Places

2032. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether the names of the historical places which were named throughout the country after the names of Britishers during British regime and which still continue, would be named after the names of the leaders of freedom struggle ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : It is primarily for the state/UT Govts. concerned to take a view in such cases and to initiate action.

मिलों को अपरिष्कृत जूट की अपर्याप्त सप्लाई

2033. **डा० बापू कालदाते :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृत जूट का वितरण देश में चलने वाली जूट मिलों में करने के संबंध में कोई निर्धारित नीति नहीं है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अपरिष्कृत जूट की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध न होने के कारण बड़ी संख्या में जूट की मिलें बेकार रहती हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) : देश में जूट मिलें अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से कच्ची जूट खरीदती हैं। फिर भी जहां, कहीं आवश्यक समझा जाता है कार्य कर रही मिलों को कच्ची जूट का वितरण कानून के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

कभी-कभी वित्तीय दृष्टि से कमजोर मिलें खुले बाजार भाव पर कच्ची जूट खरीदने में असमर्थ होती है और इसके फलस्वरूप खास तौर पर मन्दी की अवधियों में वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर पाने में असमर्थ होती हैं।

Management of Sick Mills

2034. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that National Textile Corporation has taken over the management of sick mills for re-commissioning them ; and

(b) if so, the names of such mills and the amount sanctioned for their management ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) and (b) : Yes, Sir. In 1974, 103 textile mills whose management had earlier been taken over by Government were nationalised and their ownership transferred to NTC. Later on, in July, 1976, management of two more textile mills pending nationalisation, was entrusted to NTC under the provisions of the Laxmirattan and Atherton West Cotton Mills (Taking Over of Management) Act, 1976. Since taking over, the NTC has sanctioned a sum of Rs. 1.92 crores for Laxmirattan Cotton Mills and Rs. 1.05 crores for Atherton West Cotton Mills.

Setting up of Jute Mill in Bihar

2035. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to set up Jute Mills in Purnea and Katihar districts of Bihar ; and

(b) if so, the time by which the work on setting up the jute mills will commence ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) and (b) : Letters of intent were granted for the setting up of two jute mills in Purnea district of Bihar. However, no industrial licence has been issued and the State Government has been requested to review the matter in the light of raw jute situation and demand position of jute goods.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव

2036. **श्री शंकरसिंहजी बाघेला :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिये वित्त पोषण हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता लेने के बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने कितना ऋण मांगा है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जाये जिसके लिये यह राष्ट्रीय कपड़ा निगम को दी जाएगी?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) : सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए उदार ऋण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को भी सहायता दिये जाने के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आदेश जारी कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा आवेदन पत्र सीधे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को दिए जाते हैं। अभी तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 112.41 लाख रुपये के उदार ऋण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से आवेदन किया है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के लिए ऋणों की स्वीकृति और उसके उपयोग संबंधी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूर्व-स्वीकृति और स्वीकृति के बाद की प्रक्रियाएं इस योजना के अधीन वही होंगी जो निजी क्षेत्र की मिलों पर लागू हैं।

Number of Sick Jute and Sugar Mills

2037. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of jute and sugar mills throughout India included in the list of sick mills;

(b) the expenditure incurred thereon in 1974-75, 1975-76 and 1976-77; and

(c) the net profit earned by these mills?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : So far as jute industry is concerned, the information is given below:—

(a) No jute mill has been included in the list of Sick Mills declared as per provisions of Law.

(b) and (c) Do not arise.

So far as sugar industry is concerned, the information is being collected.

अनुज्ञेय विस्फोटक पदार्थों के उपलब्ध न होने का खनन कार्य पर कुप्रभाव

2038. **श्री अहमद एम० पटेल :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "अनुज्ञेय विस्फोटक पदार्थों के न मिलने के परिणामस्वरूप खनन कार्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) (क) जी हां। मोमिया एक्सप्लासिवज फैक्टरी में हुई हड़ताल के फलस्वरुप अनुज्ञप्त विस्फोटक पदार्थ कम मात्रा में मिलने के कारण उत्पादन में लगभग एक मिलियन टन को हानि हुई । इसका प्रभाव कुछ अन्य खनिजों यथा तांबा, जिंक, सीसा आदि के उत्पादन पर भी पड़ा।

(ख) दूसरे पूर्तिकर्ताओं से विस्फोटक पदार्थों की खरीद संभव सीमा तक बढ़ा ली गई थी। इसके अलावा कोरबा में एक नए विस्फोटक पदार्थ संयंत्र से दिसम्बर, 1977 में उत्पादन शुरु होने की आशा है। विस्फोटक पदार्थों के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं ताकि कोयला उद्योग की जरुरतों को पूरा किया जा सके।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो/पुलिस द्वारा निजी टेलीफोन कालों को बीच में सुनना

2039. **डा० बापू कालदाते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों और केन्द्रीय अथवा स्थानीय पुलिस प्राधिकरणों की अन्य शाखाओं को निजी टेलीफोन कालों को बीच में सुनने की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायत मिली है; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने की के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 को धारा 5 को उपधारा 2 केन्द्रोय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को, किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन, टेलीफोन बार्ता को बीच में सुनने (न्टरसेप्ट्) का आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। केन्द्रीय सरकार ने सी० बी० आई० या केन्द्रोय पुलिस को अन्य शाखाओं को प्राइवेट टेलीफोन टेप करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया है ।

(ख) जनता पार्टी के संसद् सदस्यों के टेलीफोन टेप किए जाने की कथित घटना के बारे में 19-10-77 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जांच से यह पता चला है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हथकरधा बुनकरों की शोचनिय स्थिति

2040. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तोन करोड़ हथकरधा बुनकरो को आज शोचनीय स्थिति के मुख्य कारण (एक) निष्प्रभावी विनियमनकारी कानून जो विद्युतचालित करधा क्षेत्र के अनधिकृत विकास को रोकने में असमर्थ है और (दो) आवश्यक ऋण सुविधाओं के साथ साथ मिलों को समान दरों पर यार्न, रंग और अन्य रसायनों जैसो आवश्यक समग्रो को सरकार द्वारा सप्लाई न किया जाना हैं; और

(ख) यदि हां, तो अपने देश के इस कुटोर उद्योग के अस्तित्व को बनाये रखने और उसे सफल बनाने को दृष्टि से सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही को है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : इस समय देश में 38 लाख हथ करधे हैं तथा करीब 1 करोड़ लोगों की आजीविका इस कुटिर उद्योग पर निर्भर करती हैं । अधिकृत और अनधिकृत दोनों ही प्रकार के विद्युत करधो जो हथकरधा क्षेत्र के लिए आरक्षित कुछ किस्मों का उत्पादन करते हैं, के विकास ने इस उद्योग को कुछ हद तक पंगु बना दिया है ।

धागों खासतौर पर से सतो धागो, रंगों और रसायनों के मूल्यो में उतार चढाव का भी इस उद्योग पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है ।

सरकार ने हथकरधा उद्योग और इसके बुनकरो का उत्थान करने के लिए अनेक अभ्युपाय किये हैं। हथकरधा विकास कार्यक्रम के अधीन 21 गहन विकास और 21 निर्यात उत्पादन परियोजनाएँ स्थगित को गई हैं। इन परियोजनाओं में, कार्यान्वियन करने वालो एजेन्सो सामान्य तौर पर राज्य हथकरधा विकास निगम निवेश और ऋणों को पूर्ति करने तथा, परियोजना के अन्तर्गत आने वाले बुनकरों द्वारा तैयार माल का निम्नांकन और विपणन करने की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त शिथिल सहकारो समितियों के पुनर्नवोकरण और पुनर्जीवन करने वाले सामूहिक काय-क्रमो के साथ-साथ नई स मितियो के गठन का कार्य शुरु किया गया है। 1976-77 को अवधि में 1,00,000 बनकरों को सहकारिता के अंतर्गत लाया गया है और 1977-78 को अवधि में 4,00,000 बुनकरो को सहकारिता के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। हथकरधा कार्यक्रमो के विकास के लिए चालू बर्ष के बजट में नये प्रदर्शन कक्षों और खुदरा बिक्री केन्द्रो के संचालन विपणन पद्धतियो के आवस्थापना ढांचों को सशक्त करने के लिए प्रमुख विपणन संगठनों को अंश पूंजो को सहायता प्रदान की गई है। करधापूर्व

और करघोत्तर प्रक्रियाओ के लिए देश में केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि हथकरघा वस्त्रों के सुन्दरता और मजबुती में सुधार किया जा सके ।

अक्तूबर, 1976 से जनता कपड़े का उत्पादन करने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है और इस क्षेत्र के लिए हथकरधा बुनकरो के लाभ के लिए मार्च, 1977 तक 10 करोड़ मीटर का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

सरकार, हथकरधा उद्योग द्वारा अपेक्षित आवश्यक कच्चे माल की कीमतों को बढ़ने न देने के लिए कपड़ा उद्योग, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सहकारी कताई मिलों आदि के प्रतिनिधियों से बराबर बात-चीत भी करती है।

उद्योग और राज्य सरकारों के परामर्श से मिल से निकलते समय के मल्य पर मिलों में राज्य के प्रमुख संगठनो द्वारा इकट्ठा सूत उठाने की व्यवस्था की गई है। इनसे खुले बाजार में धागों के मूल्य में वृद्धि होने का दशा में और/अथवा उपलब्धता संबंधी कठि-नाइयो की स्थिति में कुछ राहत मिलेगी ।

हथकरधा बुनकरों की सहकारी समितियों के संबंध में सहकारिता के दायरे से बाहर वाले हथकरधा बुनकरों के लिए संगठित ऋण की व्यवस्था या तो भारतीय रिजर्व बैंक की हथकरधा वित्तयोजना के माध्यम से अथवा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण को 1976-77 को 20 करोड़ रु० की मात्रा चालू वर्ष में बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये कर दिया गया है और इसमें अग्रेसर वृद्धि करने का प्रस्ताव है । वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को भी बुनकरों को राज्य हथकरधा विकास निगमों ने सम्बद्ध करके और बढ़ाया जा रहा है।

केन्द्रीय योजना में उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए 1976-77 के 10 करोड़ रुपय के प्रावधान को 1977-78 में दुगना करके 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

पश्चिम बंगाल के संकटग्रस्त पटसन उद्योग को सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

2041. **श्री श्याम सुन्दर गुप्ता** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग संकटग्रस्त है;

(ख) क्या गत छः महीनो में पटसन का उत्पादन सन्तोषजनक नहीं रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस उद्योग के संकट को दखते हुए सरकार का विचार पटसन उद्योग को अपने अधिकार में लेने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग संकटपूर्ण समय से गुजर रहा है।

(ख) अप्रैल-सितंबर, 1977 के छः महीनों में वर्ष 1976 की इसी अवधि के 92.6 हजार मी० टन प्रति मास के उत्पादन की तुलना में पटसन के सामान का औसतन उत्पादन 93.5 हजार मी० टन प्रति मास हुआ ।

(ग) इस समय पटसन उद्योग को अपने हाथ में लिये जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है तथा उद्योग के सम्मुख समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा रुई की एकाधिकार खरीद योजना का परित्याग

2042. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रुई की एकाधिकार खरीद योजना को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना को जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता न देने के कारण ऐसा हुआ है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि राज्य के रुई उत्पादक उक्त योजना को पुनः लागू करने की मांग करते हुए तभी से प्रदर्शन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त, 1977 से 30 जून, 1978 तक के लिए रुई की एकाधिकार खरीद की योजना स्थगित कर दी है ।

(ख) जब तक एकाधिकार को समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने रुई की एकाधिकार खरीद योजना के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सहमति नहीं दी थी ।

(ग) और (घ) : सरकार को योजना के फिर से प्रारम्भ किये जाने के लिए महाराष्ट्र के रुई उत्पादकों द्वारा कोई प्रदर्शन किये जाने के बारे में पता नहीं है ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कपड़ा मिलों को हानि

2043. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन चल रही सात कपड़ा मिलों को भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में महीनेवार इन कम्पनियों को कितना लाभ/हानि हुई;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि यह भारी नुकसान निगम द्वारा माल की खरीद और कपड़े तथा सूत की बिक्री के मामल में निगम के कुप्रबन्ध तथा वहां व्याप्त घोर भ्रष्टाचार के कारण होता है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस आरोप की कोई जाँच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : इन मिलों को चालू वर्ष में हुई हानि का प्रति मास ब्यौरा इस प्रकार है :—

महीना	हानि (रुपये लाखों में)
अप्रैल, 1977	62.54
मई, 1977	64.18
जून, 1977	52.19
जुलाई, 1977	38.62
अगस्त, 1977	37.58
सितम्बर, 1977	41.82

(ग) जी हाँ, माल की खरीद और कपड़े की बिक्री के बारे में कुप्रबन्ध का आरोप लगाये जाने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(घ) लगाए गए आरोपों के बारे में जांच की जा रही है।

(ङ) जाँच पूरी हो जाने पर ही ब्यौरा दिया जा सकेगा ।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों का बन्द होना

2044. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बहुत सी पटसन मिल बंद कर दी गई हैं;

(ख) उनके बन्द होने के क्या कारण है और इसके कारण कितने श्रमिक बेकार हुए हैं;

(ग) इन बंद मिलों को फिर से खोलने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को उन बन्द मिलों को फिर से खोलने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार तथा राज्य की मजदूर यूनियनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं और इन प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : निम्नलिखित विवरण में पश्चिम बंगाल की इस समय बंद जूट मिलों के नाम, प्रभावित कामगारों की अनुमानित संख्या और बन्द होने के कारण दिखाये गये हैं:—

मिल का नाम	कामगारों की अनुमानित संख्या	कारण
भारत	1600	वित्तीय संकट
एलेक्जेंड्रा	2300	वही
प्रेमचन्द	3250	वही
नैहाती	3000	श्रमिक अशांति
किनीसन	4500	वित्तीय संकट
नसकरपारा	2300	श्रमिक अशांति

(ग) से (ङ) : एलेक्जेंड्रा जूट मिल का प्रबंध सरकार ने अपने हाथ में लेकर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को सौंप दिया है। इस एकक में शीघ्र ही उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

Rise in prices of Cotton

2045. **Shri Yagya Datt Sharma:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of cotton have increased in the country during the current year as compared to the previous years; and

(b) if so, the action taken by Government to control its prices?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Yes, Sir.

(b) A number of measures have been taken by the Government to contain cotton prices, which include:—

1. Import of cotton from abroad to the extent absolutely necessary.
2. Import of non-cotton fibres has been liberalised. Import of viscose/polinosic and polyester fibres has been kept on free licensing.
3. It has been made mandatory on cotton textile industry to use at least 10 per cent non-cotton fibres of their total consumption from 1-1-1977;
4. Stock restrictions have been placed on mills and traders in order that available cotton could be available equitably to all mills;
5. As a long-term measure, efforts are being made by Government to increase the production of cotton within the country.

स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए कार्यवाही

2046. **चौधरी बलबीर सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टेनलैस स्टील पर आयात शुल्क का समायोजन किये जाने के परिणामस्वरुप इसके मूल्य में जो बजट के बाद कम हो गये थे, पुनः बढ़ गए हैं।

(ख) यदि हां, तो सरकार स्टेनलैस स्टील के बर्तनो के मूल्यो में वृद्धि रोकने के लिये क्या कार्यवाही क्या कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं। स्टेनलैस स्टील के मूल्यो में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में प्रश्न हीं नहीं उठता।

Spare parts for Aircrafts

2047. **Shri Yadvendra Dutt:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether spare parts are available for 25 types of aircraft manufactured by seven different countries, maintained by the Indian Air Force, and if not, the arrangements made therefor; and

(b) whether the aircrafts acquired by the IAF during the Second World War are not useful in the present conditions and if so, the reasons for maintaining such aircrafts?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Spare parts are generally available for the aircraft maintained by the IAF. There are, however, difficulties in the procurement of certain items of aircraft that have gone out of production in the country of manufacture. When it is known that a type of aircraft in use with the IAF is going out of production the requirement of spares for the maintenance of our fleet for its life is estimated and efforts are made to procure this before the production line is closed.

(b) Of the aircraft acquired during the Second World War the Dakotas are useful even in the present conditions and only these are being maintained by the IAF. No aircraft which are not useful are being maintained. As aircraft are very expensive to replace, we use them to the optimum capacity.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167

2048. **डा० रामजी सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार बार कौंसिल जर्नल रिपोर्टज, 1977 (जून) में प्रकाशित हाल के उसनिर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें विव्द्ान न्यायाधीशो ने निर्णय दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की रिमांड से संबंधित धारा 167 में कुछ दोष हैं, जिसको दूर करना विधायकों का काम है, हालांकि इससे समाज में जटिल स्थिति उत्पन्न हो जायेगी; और

(ख) क्या सरकारका विचार धारा 173 का संशोधन करके धारा 167 की कमी को दूर करने के लिए प्रथम दृष्टि साक्ष्य के आधार पर अन्तःकालीन आरोप-पत्र हेतु विशेष कानून बनान का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से निर्णय की प्रति मांगी गई है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

Suspension of L.C.T. service operating from Kehalgaon Ghat to Kadhagola Ghat

2049. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether L.C.T. service operating from Kehalgaon Ghat to Kadhagola Ghat has been suspended as a result of last floods and erosion of Kadhagola Ghat;

(b) if so, the time by which the said L.C.T. Service would be resumed;

(c) whether private ferry operators trouble day and night the said L.C.T. Service and L.C.T. has to suffer a loss; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government against the private ferry operators?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) & (b) : The L.C.T. service between Colgong and Keragola has not been suspended and is being operated regularly. Loading of trucks in this service has, however, been suspended due to erosion of approach road at Karagola ghat during floods. The loading of trucks is expected to be resumed after restoration of the approach road at Karagola ghat by the Government of Bihar.

(c) No parallel ferry service is being operated by private operators between Colgong and Karagola, on which route L.C.T. Service is being operated. Private operators are however, operating ferry service between Colgong and Tintanga where a passenger ferry service is being operated by Inland Water Transport Directorate. This has resulted in reduction in earnings of the said passenger ferry service.

(d) The question of operation of parallel ferry service by private operators on Colgong—Tintanga route has been taken up with the State Government. The matter is subjudice in the Court of Sub Judge Bhagalpur.

Self sufficiency of the Production of Missiles

2050. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the country has become self-sufficient in the matter of the production of missiles for the army by now ; and

(b) if not, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government towards achieving self-sufficiency ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Not as yet.

(b) It is aimed to achieve self-sufficiency in this field progressively. The necessary technology and infrastructure for production is also built up as the need arises.

केरल में पुराने पुलों का नवीकरण

2051. **श्री वयालार रवि :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में खतरनाक पुराने पुलों के पुनर्निर्माण और नवीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) : केरल में राज्य में सड़कों पर कई पुलों और पुलियों को चौड़ा करने और पुनर्निर्माण के लिए अंशत: अनुदान और अंशत: ऋण के रूप में 25 करोड़ रु० की विशेष सहायता के लिए राज्य सरकार से मांग प्राप्त हुई है। चूंकि ये निवेश राज्य योजना के अंतर्गत आते हैं अत: गाडगिल फार्मुला के अंतर्गत केन्द्रीय योजना सहायता से अधिक इन परिव्ययों के वित्त पोषण के लिए कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकार्य नहीं है। इन परियोजनाओं पर 1978–79 की वार्षिक योजना और 1978–83 की पंचवर्षीय योजना बनाते समय राज्य प्राधिकारणों से विचार विमर्श किया जायेगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना बड़ी मरम्मत के पुलों और पुलियों पर आवश्यक कार्य को राज्य के योजनाओं के भीतर उचित प्राथमिकता दी जाती है।

7—350 LSS(ND)/77

ट्रेनिंग बटालियन संख्या 2 के रसोइयों की शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन

2053. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेनिंग बटालियन, बम्बई, इंजोनियरिंग ग्रुप किरकी, पुणे के रसोइयों की शिकायतों और बो० ई० जो० किरकी, पुणे के असैनिक कर्मचारियों को शिकायतों के बारे में सरकार को सितम्बर में एक लिखित अभ्यावेदन मिला था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : सरकार को पुणे निवासी एक ट्रेड यूनियन कर्मचारो, श्री वाई० पी० पटवर्धन से तारीख 21 सितम्बर, 1977 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। उक्त अभ्यावेदन में उल्लिखित शिकायतें निम्नलिखित हैं :—

(1) रसोइयों को सवेतन साप्ताहिक छुट्टियां नहीं दी जाती ।

(2) ट्रेनिंग बटालियन के अधिकारी ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों को एक भूतपूर्व सैनिक से बीमा करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

(3) कल्याण समितियों में अपने कर्मचारियों को अपने प्रतिनिधि चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती ।

(4) वेतन, छुट्टी, भविष्य निधि आदि के दावों को लंबित रखा जाता है।

(5) बहुत से कर्मचारियों को संशोधित वेतन नियम 1973 के अनुसार वेतन नहीं दिया गया है।

बम्बई इंजोनियर ग्रुप सेन्टर के कमान्डेंट के साथ परामर्श करके इन शिकायतों पर विचार किया गया है और स्थिति इस प्रकार है :—

(1) रसोइयों को साप्ताहिक छुट्टियों पुनः मंजूर कर दी गई हैं।

(2) भारतीय जीवन निगम के कर्मचारी को बीमा नीति के लाभों के बारे में सब यूनिटों को बताने की अनुमति दी गई थी। इस बारे में किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं थी।

(3) कल्याण समितियों में कर्मचारियों के चार प्रतिनिधि हैं जिनमें से एक मनोनीत तथा शेष तीन चुने हुए हैं। यूनिट में आयोजित मासिक सम्मेलनों में कर्मचारियो की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है ।

(4) दावों के निपटान में देरी के बारे में किसी प्रकार की कोई शिकायतें अफसर कमांडिंग को नहीं मिली हैं ।

(5) अन्य यूनिटों से बम्बई इंजोनियर ग्रुप को स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारियों में 1973 के संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारित किए जाने के केवल तीन मामले हैं।

सेना में पालमपुर और शिमला से भर्ती

2054. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान सेना में पालमपुर और शिमला से, अलग-अलग भर्ती के लिए भिन्न-भिन्न व्यवसायों में कितने पद आबंटित किये गये;

(ख) उन पदों के लिए प्रति वर्ष व्यवसाय-वार कितने व्यक्ति चुने जाते हैं;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो पालमपुर और शिमला में भर्ती अधिकारी कार्यप्रभारी द्वारा चुन लिये गये थे, परन्तु अन्त में डाक्टरी परीक्षा के बाद नहीं लिये गये; और

(घ) क्या सरकार को पालमपुर और शिमला में चयन के तरीके के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

पहाड़ी क्षेत्रों में बनों पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने की नीति

2055. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकारी पहाड़ी क्षेत्रों में बनों पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने हेतु कोई नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू योजनावधि के दौरान इन उद्योगों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तथा नीतियां अभी बनाई जानी हैं । अतएवं अगली योजना में पहाड़ी क्षेत्रों में इस स्तर पर बनों पर आधारित वस्तुओं के विषय में नीतियों तथा कार्यक्रमों का बता सकना संभव नहीं है। फिर भी, आशा यह की जाती है कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने, स्थानीय जन-जातियों तथा अन्य निवासियों को लाभप्रद रोजगार देने तथा बन संपदा के मूल्य में वृद्धि करने बनों और बनों पर आधारित उद्योग का विकास करने को अन्य बातों के साथ साथ सरकार का ध्यान भी निरन्तर इस ओर जाता रहेगा ।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में बनों पर आधारित उद्योगों के लिये वर्तमान योजना में कोई पूर्व निर्धारित आबंटन पूर्व निश्चित नहीं किये गये हैं । फिर भी, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली हर एक परियोजना/योजना के लिये धनराशि का आबंटन करने के लिये प्राथमिकता दी जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में संचार विकास के लिए रज्जु मार्ग बनाना

2056. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में संचार विकास के लिए गुरुत्वाकर्षित तथा विदयतचालित रज्जु मार्ग बनाने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय में कोई सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश में भी किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : उत्तर पूर्वी परिषद् की क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत बहुत से रज्जुमार्ग सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) : पर्यटन के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रायोजना में शिमला में "रज्जुमार्ग/लिफ्ट संस्थापन" के लिए एक योजना शामिल है। 23.25 लाख रु० के पांचवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय में से 1974-75 से 1976-77 तक अनुमानित व्यय 7.85 लाख रु० था और 1977-78 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 6.73 लाख रु० था। वार्षिक योजना पर पिछली चर्चा के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा योजना आयोग को दी गयी जानकारी के अनुसार शिमला में दो लिफ्ट तैयार करके पर्यटकों को खोल दी गयी। यह प्रस्ताव किया गया कि शिमला में रज्जुमार्ग का कार्य 1977-78 में शुरू किया जाय जिसके लिए प्रारम्भिक कार्य 1976-77 में शुरू किए गए।

विवरण

(रु० लाखों में)

परियोजना का नाम	स्थान	अनुमानित लागत	3/77 तक व्यय	अभ्युक्ति
1. ईछामती—वर्नीहाट रज्जु मार्ग के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	मेघालय	10.85*	10.90	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
2. प्रारम्भिक सर्वेक्षण और शक्यता सर्वेक्षण				
(क) नगीनी मारा से वोरजन	नागालैंड	0.50	—	
(ख) ऐजावल—सायरंग	मिजोराम	0.14	—	
(ग) लनका—गरमपानी	असम	0.08	—	
(घ) ऊखरुल—लायटन कांगपोकपी	मनीपुर	0.02	0.02	
			10.92	

* कुल अनुमानित लागत 12.00 लाख रु० थी। 1.15 लाख रु० 1973-74 में व्यय किए गए।

Construction of Ekchati Mahgame Road

2057. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to U.S.Q. No. 464, dated 15-6-77 regarding construction of Ekchati Mahgame Road and state :

(a) the steps taken for completion of the Ekchati Mahgame Road (Bhagalpur-Santhal Pargana, Bihar) ;

(b) whether this road will reduce the distance to Bhagalpur and Santhal Pargana by less than fifty miles ;

(c) whether Government of Bihar has not agreed to bear its share of expenditure ; and

(d) if so, whether the Central Government will themselves complete the project as cost is going up every year which has already increased from 24 lakhs to 75-85 lakhs ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) to (d) : The cost of the "Trimohan-Ekchati-Dhansura-Mahajama road" had gone up and it now amounts to Rs. 82.33 lacs. The State Government have agreed to meet the increase in the cost from their free balance in the Central Road Fund (Allocations) account. In pursuance of this, they have now to submit abstract particulars of the revised estimate for approval of the Government of India. The execution of the work, however, rests with the State Government themselves as it is a State road.

Closure of Coal Mines in Santhal Pargana

2058. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether several representations have been received by Government in regard to closing of seven coal mines near Lalmatia in Santhal Pargana and thousands of workers rendered unemployed as a result thereof ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Yes, Sir.

(b) Government are examining the matter.

कोंकण लाइन पर यातायात

2059. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुगल लाइन्स कोंकण लाइन पर केवल दो जहाज चला रही है जिसके परिणामस्वरूप जहाज इस लाइन पर यातायात समस्या हल करने में असमर्थ है,

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुगल लाइन्स द्वारा चलाये जा रहे जहाजों में गहरे डुबाव हैं (लोंग ड्राफ्ट) इसलिए वे कोंकण के पश्चिम तट पर अनेक पत्तनों पर रुकने में असमर्थ है,

(ग) क्या सरकार का विचार मुगल लाइन्स को कोंकण लाइन्स पर और जहाज तथा कम डुबाव वाले जहाज चलाने का निदेश देने का है, और

(घ) क्या सरकार कोंकण लाइन्स पर (होवर क्राफ्ट) परिभ्रमण नौका अथवा हाइड्रोफाइल सेवा आरम्भ करने का है जिससे यात्रियों की असुविधायें दूर हो सकें और कोंकण में लोगों को राहत मिल सके?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) बंबई और पणजी के बीच कोंकण तट पर मुगल लाइन्स द्वारा चलाए जा रहे 'कोंकण सेवक' और 'कोंकण शक्ति' दो जहाजों को यातायात वहन करने की काफी क्षमता है। वास्तव में, क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है।

(ख) जहाज जैगढ़, मुजाकाजो/जैतापुर, विजयदुर्ग और देवगढ़ आते हैं। वे अन्य पत्तनों पर नहीं आते, कारण कि दैनिक सेवा के लिए सिमित पारगमन समय होता है और इसलिए नहीं कि दुबाव प्रतिबंध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) होवर क्राफ्ट या हाइड्रोफायल सेवा शुरु करना बहुत महंगा पड़ेगा। यात्रियों को कोई खास असुविधा नहीं हो रही है।

इल्मेनाइट का निर्यात

2060. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी तटों की बालू से उत्पादित गत तीन वर्षों में कुल कितनी इल्मेनाइट का निर्माण किया गया ;

(ख) केरल और तमिलनाडु की तट बालू में उपलब्ध इल्मेनाइट तत्व की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या केरल और तमिलनाडु की तट बालू से उत्पादित इल्ममेनाइट महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की तटीय पट्टियों में उपलब्ध इल्मेनाइट से बढ़िया किस्म की है; और

(घ) यदि हां, तो केरल और तमिलनाडु की बालू से उत्पादित बढ़िया किस्म की इल्मेनाइट का निर्यात करने तथा रत्नागिरी जिले की तटीय पट्टियों में उपलब्ध घटिया किस्म की इल्मेनाइट को राज्य के लिए सुरक्षित रखने के क्या कारण है जैसा कि दिनांक 3 अगस्त के अतारांकित प्रश्न संख्या 6026 के भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी समुद्र-तट पर मिलने वाली रेत से निकाले गये इल्मेनाइट की पिछली तीन वर्षों में निर्यात की गई कुल मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:—

वर्ष	केरल	तमिलनाडु	कुल मात्रा
	मीटरिक टन	मीटरिक टन	मीटरिक टन
1974-75	90,698	40,920	1,31,618
1975-76	43,065	18,064	61,129
1976-77	63,989	54.400	1,18,389

(ख) रेत के नमूने लेकर किए गए विश्लेषनो के आधार पर यह पाया गया है कि केरल और तमिलनाडु समुद्रतट के रेत में इल्मेनाइट की मात्रा क्रमशः 50 और 60 प्रतिशत के लगभग है यह प्रतिशतता स्थान स्थान पर इससे भिन्न भी हो सकती है।

(ग) जी हां।

(घ) रत्नागिरी में मिलने वाले इल्मेनाइट में मेंगनीज और क्रोमियम की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है, जिसकी वजह से उसका उपयोग उद्योग-धंधों में करना कठिन हो जाता है। इस कारण, इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकना अपेक्षाकृत कठिन है। उपयुक्त तथ्य को तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रत्नागिरी के समुद्रतट पर मिलने वाली रेत में इल्मेनाइट

की मात्रा कम होती है और उसमें स्टाइल, जिकोन और सिलिमेनाइट जैसे वे खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं होते जो इल्मेनाइट के साथ मिलने चाहिए, वहां निर्यात के लिए इल्मेनाइट का उत्पादन करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक सिद्ध नहीं होगा। दूसरी तरह केरल और तमिलनाडू के पश्चिमी समुद्र तट पर मिलनेवाले इल्मेनाइट में टाइटेनियम डाइआक्साइट की मात्रा अधिक होने की वजह से विदेशों बाजारों में उसकी मांग अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकती है;

भारत सरकार के सन् 1956 के उद्योग नीति संबंधी प्रस्ताव के अनुसार, परमानु ऊर्जा, (उत्पादन एवं उपयोग नियंत्रण), आदेश, 1953 में अनुसूचित खनिजों को, जिनमें इल्मेनाइट भी शामिल है, निकालने का अधिकार केवल सरकार के लिए आरक्षित है। अत: निजी क्षेत्र के किसी भी पक्ष को इन खनिजों के खनन एवं निर्यात की अनुमति नहीं है।

पांच लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र

2061. **श्री मोहम्मद हयात अली** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में उद्योगों की स्थापना की पेशकश करने वाले एककों की ओर से औद्योगिक लाइससों के लिए मार्च 1977 के बाद कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए है।

(ख) कितने लोगों को अनुमति दी गई है और कितने आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं; और

(ग) सभी आवेदन पत्रों पर निर्णय कब तक पूरा हो जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) : औद्योगिक लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के राज्य वार आंकड़ों के आधार पर रखे जाते हैं। यदि राज्य सरकार सहमत हो और औद्योगिकी आर्थिक दृष्टि से कोई आपत्ति न हो तो साधारणतय: उसी राज्य में स्थान परिवर्तन के मामलों के लिए स्वीकृति दे दी जाती है। पाँच लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रस्तावित एककों के आवेदन पत्रों के बारे में केन्द्र द्वारा अलग से जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि 1 मार्च, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 की अवधि के दौरान औद्योगिक लाइसेंस हेतु कुल 794 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन आवेदन पत्रों में से 138 आवेदनपत्रों के लिए स्वीकृतियां दी गई, 103 आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये तथा 77 आवेदन पत्रों को अन्य तरीकों (लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी/लाइसेंस उपबन्धों से युक्त थे / आवेदन पत्र वापिस ले लिये गये। रद्द हो गये। समाप्त हो गए है आदि) से निपटाया गया था। शेष आवेदनपत्रों पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार हो रहा है तथा अनिर्णीत आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा भारत के प्रथम 400 के० वी० किस्म के ट्रांसफारमर के निर्माण में प्रगति

2062. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा भारत के प्रथम 400 के० वी० किस्म के ट्रान्सफारमर बनाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इसमें विदेशों के निर्यात की भी क्षमता है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप बिजली घर के लिए मार्च, 1977 में प्रथम 400 के० वी० 240 एम० वी० ए० ट्रान्सफारमर का सफलतापूर्वक निर्माण किया तथा सितम्बर, 1977 में एक दूसरी यूनिट का सफल परीक्षण किया था। उनकी योजना चालू वर्ष में 400 के० वी० श्रेणी के लगभग पांच ट्रांसफारमर तैयार करने की है।

(ख) जी, हां।

Production, demand and export of Cement

2063. **Shri Natwar Lal B. Parmar** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the quantum of production demand and export of Cement in the country at present; and

(b) the details of the investigation and research being conducted to increase production and improve the quality of cement?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) The production of cement in the country during the year 1976 was 18.61 million tonnes. The estimated production of cement during 1977 is about 19 million tonnes. The current demand of cement in the country has been estimated to be about 22 million tonnes. The export of cement during 1976-77 was 8.80 lakh tonnes valued at Rs. 32.50 crores. During the current year (1977-78), 3.76 lakh tonnes valued at Rs. 14.58 crores has been exported so far.

(b) Government are implementing several measures aimed at increasing production by the existing units, installing additional capacity and for the conservation and better utilisation of cement.

The more important steps include the installation of precalcinators and greater use of slag, fly ash and other pozzolanic material, setting up of new cement plants at the location of steel plants to utilise local slag and lime-stone, establishment of mini-cement plants to utilise smaller limestone deposits and also expenditing construction schedules of expansion and new units.

Countries of which attaches of Defence Forces are accredited to the Government of India

2064. **Shri Yadvendra Dutt**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the names of the countries of which naval, military and air attaches are accredited to the Government of India;

(b) the countries to which Government of India have accredited naval, military and air attaches; and

(c) the dates on which foreign air, naval and military attaches have been sent to visit our armies deployed on the borders and to witness their manoeuvers as also the names of the military centres to which these attaches have been sent?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) A statement is attached (Annexure I). **[Placed in the Library. See No. L.T.-1210/77].**

(b) A statement is attached (Annexure II). **[Placed in the Library. See No. L.T.-1210/77].**

(c) Lt. Col. Donald J. Roberts, US Assistant Army Attache was allowed to visit Amritsar, Ferozepur and Bhatinda from 26 March to 1 April 1977 on leave. He also was permitted to visit Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur and Udaipur from 10 to 17 September 1977 during leave. He did not visit any military installation or witness any manoeuvers at any place.

Col. M. Atiqur Rahman, Bangladesh Defence Adviser visited Srinagar and Pathankot, Udhampur, Srinagar and Baramula from 21 to 29 June 1977. He was permitted only to call on Headquarters of formations.

Col. M. Atiqur Rahman, Bangladesh Defence Adviser visited Srinagar and Jammu from 22 to 26 September 1977. He was permitted to call on the Headquarters of formations only.

The above information relates to the year 1977.

Production of fast Breeder Reactors in Madras

2065. **Shri Yadvendra Dutt**: Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state:

(a) whether fast breeder reactors are being produced with French collaboration at Kalpakkam near Madras; and

(b) if so, the brief details of terms governing the assistance being provided?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) A Fast Breeder Test Reactor is under construction with French Collaboration at Kalpakkam near Madras.

(b) The basic responsibility for design, construction and operation of this reactor rests with the Department of Atomic Energy. Technical assistance has been secured through collaboration with the French Atomic Energy Commission (CEA). This assistance consists of:—

(i) Technical systems consultancy agreement with the French Atomic Energy Commission (CEA) who have provided designs of the reactor systems and specifications of the raw materials and major equipments.

(ii) Import of know-how from certain industrial firms in France for the manufacture of important components of the reactor by Indian firms; and

(iii) Assistance of French specialists in specified areas through a French firm who were the consultants for the detailed engineering of the French Fast Reactors.

Withdrawal of Licences for fire arms with big landlords

2066. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri C. K. Jaffer Sharief :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Defence Minister had suggested withdrawal of licences of big landlords for possession of firearms since these were being used for suppresion of poor Harijans and other backward sections rather than serving any useful purpose ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) Yes Sir.

(b) The licensing authorities can suspend or revoke an arms licence in accordance with the provisions of the Arms Act. The attention of the State Governments has been drawn so that appropriate action is taken by the licensing authorities where it is considered necessary for the security of the public peace or for public safety.

Purchases from States by All India Fabric Marketing Co-operative Society and Handicrafts and Handloom Export Corporation

2067. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether during the past years All India Fabric Marketing Co-operative Society and Handicrafts and Handloom Export Corporation have been making their purchases from some States only ;

(b) if so, the names of such States ; and

(c) whether they propose to make purchases from neglected States, such as Madhya Pradesh etc. ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) & (c) : No, Sir. Both the All India Fabric Marketing Co-operative Society and the Handicrafts and Handloom Export Corporation of India Ltd. have been making their purchases from most of the States, though the quantum of purchases differs from State to State depending upon factors like production in the different States and the requirement of different types of fabrics by these two Organisations for domestic or export needs.

These organisations intend to effect more purchases from States where procurements are low at present. The All India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society are also having "Pilot Schemes" for developing handloom cloth varieties in weaker States for domestic and export markets.

(b) Does not arise.

मैसर्स मैटल बाक्स कम्पनी लिमिटेड का टीन के डिब्बों के निर्माण के संबंध में एकाधिकार

2068. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश द्वारा नियंत्रित एक कम्पनी मैटल बाक्स कम्पनी लिमिटेड का पैकिंग सामग्री, विशेषकर टीन के डिब्बों के निर्माण के संबंध में एक बड़ा एकाधिकार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे काफी घटिया किस्म का निर्माण कर रहे हैं जिसके परिणाम-स्वरूप खाद्य की डिब्बाबंदी करने वाले उद्योग को काफी धक्का पहुंच रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि उपभोग के कुछ समय बाद टीन के डिब्बों में जंग लग जाता है और उनसे धातु की गंध आती है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विदेशों से प्राप्त डिब्बाबंद फलों के अनेक आर्डर इन कारणों से अस्वीकार कर दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं । मैसर्स मैटल बॉक्स कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा टीन के डिब्बों का निर्माण देश में किए जाने वाले कुल उत्पादन का 50 % से कम होता है। :

(ख) और (ग) : सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) : सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी नहीं है जिनमें मैसर्स मैटल बाक्स कम्पनी आँफ इंडिया लिमटेड द्वारा सप्लाई किये गये डिब्बों की घटिया किस्म के कारण टिन के डिब्बों में बन्द फलों के विदेशों से प्राप्त आर्डर अस्वीकार कर दिये गये हों। फिर भी, इनमें टीन की महक आ जाने की वजह से वर्ष 1976–77 में सोवियत रुस को भेजे गये आम के रसों के डिब्बे वापस लौटा देने के कुछ मामले सामने आये हैं। टीन के डिब्बों में, बंद अचार जो ग्रेट ब्रिटेन को भेज गये थे, डिब्बों में जस्ते की महक आ जाने के कारण रद्द कर दिया गया था। इन मामलों में डिब्बों की सप्लाई एक से अधिक निर्माताओं द्वारा की गई थी, अतः इस बारे में किसी एक कम्पनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

अन्डमान और निकोबार में मजदूरों को बर्खास्त किया जाना

2069. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान और निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में आपातस्थिति के दौरान कुल कितने मजदूर बर्खास्त किये गये थे या उनकी छंटनी की गई थी या अन्य प्रकार से दंडित किये गये थे ; और

(ख) क्या आपात स्थिति के बाद उनके मामलों पर पुनर्विचार किया गया था और यदि हां, तो उनमें से कितने बहाल कर दिये गये और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : आपात-स्थिति के दौरान अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के किसी मजदूर को न तो बर्खास्त किया गया है और न किसी की छंटनी की गई है । परन्तु तीन व्यक्तियोंने अपनी सेवाओं से लिअन खो दिया था क्योंकि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने के कारण उन्हें मीसा के अधीन गिरफ्तार किया गया था। उनकी रिहाई के बाद उन्हें नौकरी पर आने की अनुमति दे दी गई थी ।

Commissioning of Chandrapur Thermal Power Station and Durgapur Thermal Power Station

†2070. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether the sixth unit of Chandrapur Thermal Power Station is to be commissioned in the first quarter of 1978 and the fourth unit of Durgapur Thermal Power Station is to be commissioned in September, 1978;

(b) if so, the progress made in the work thereof and whether Government hope to commission both these units by the prescribed time; and

(c) the names of the States which would be supplied power after the units of both these thermal power stations are commissioned?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) & (b): Unit No. VI of Chandrapur Thermal Power Station and Unit No. IV of Durgapur Thermal Power Station of the Damodar Valley Corporation were scheduled to be commissioned in first quarter of 1978 and in September 1978 respectively. However, the commissioning of these units has been delayed. Unit VI of Chandrapur is now scheduled for commissioning by the third quarter of 1978 and IVth unit of Durgapur by the second quarter of 1979.

Civil works of VI Unit at Chandrapur are mostly complete and erection of boiler turbo-generator and Cooling Tower is in progress. Progress of turbo-generator erection is slow due to non-availability of materials. Civil works of Unit No. IV at Durgapur and erection of boiler are in progress. Erection of turbo-generator is yet to commence.

(c) Power from both these units will be utilised in the DVC area which falls in the States of Bihar and West Bengal.

चाइनाकुरी में कोयले का उत्पादन तीन गुना करने की योजना

2072. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की चाइनाकुरी में कोयले का उत्पादन तीन गुना करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की चिनाकुरी i व ii पिट कोलियरी प्रति वर्ष 0.34 मिलीयन टन कोयला (0.18 मिलीयन टन मिश्रण योग्य कोककर कोयला और 0.16 मिलीयन टन बढ़िया किस्म का अकोककर कोयला) का उत्पादन करती है। कोलियरी के पुनर्गठन संबंधी एक प्रस्ताव को जून, 1975 में मंजरी दी गई थी जिसके अनुसार 8.43 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश द्वारा 1 मिलीयन टन वार्षिक (0.7 मिलीयन टन मिश्रण योग्य कोककर कोयला तथा 0.3 मिलियन टन अकोककर कोयला) उत्पादन का विचार था। उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3417 व्यक्तियों की जरुरत होगी। पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है।

परमाणु क्षेत्र में कनाडा से सहयोग

2073. **श्री के० मालन्ना :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार के संकेत हैं कि कनाडा परमाणु क्षेत्र में भारत के साथ फिर से सहयोग हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : मई, 1977 में लंदन में हुए राष्ट्र मंडल के देशो के प्रधानमंत्रियों के संमेलन के अवसर पर कनाडा के प्रधान मंत्री श्री तुदो और मेरे बीच हुई वार्ता के बाद श्री तूदो ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था, तथा मैं भी इस बात की पुष्टि सार्वजनिक रूप से कर चुका हूं, कि न्यूक्लीय ऊर्जा के क्षेत्र में फिर से सहयोग करने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए आवश्यक आधार अब तैयार हो गया है ।

एच० एम० टी० की घड़ियों की कमी

2074. **श्री मनी राम बागड़ी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० की घड़ियों की कमी है;

(ख) सरकार का गांवों में घड़ियां किस प्रकार बेचने का विचार है; और

(ग) एच० एम० टी० के श्रीनगर फैक्टरी में प्रतिवर्ष कितनी और कौन-कौन सी घड़ियां बनाई जाती हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) तथा (ख) : जी, हां। सरकार ने एच० एम० टी० की घड़ियों के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये हैं। प्रतिवर्ष 20 लाख अतिरिक्त घड़ियों के निर्माण के लिये परियोजना स्वीकृत कर दी गई है। इसके अलावा, आयात करके एच० एम० टी० की घडियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये कदम उठाये गये हैं। बिक्री केन्द्र बढ़ाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में घड़ियां उपलब्ध कराने के लिए पोस्टल मेल आर्डर के जरिये बिक्री करना भी शामिल है ।

(ग) 1976-77 में एच० एम० टी० के श्रीनगर स्थित घड़ी कारखानें में निम्नलिखित घडियों का निर्माण किया है :--

मेक का नाम	घड़ियों की संख्या
चिनार	35510
निशात—ल्यूमिनस	139449
निशात—नान-ल्यूमिनस	10171
झेलम—ल्यूमिनस	10
झेलम—नान-ल्यूमिनस	540
विजय	34570
अविनाश	23570
योग	243820

New entries in the lists of S.C. & S.T.

2075. **Shri Mritunjay Prasad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether certain rules, regulations and criteria have been laid down for inclusion of new entries in the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if so, the criteria which are required to be fulfilled before a new entry of a particular caste is made in the said lists; and

(c) whether there is any provision for exclusion from the Scheduled list of those castes after it has been proved that a particular caste does no more fulfil the criteria fixed for Scheduled Castes or Scheduled Tribes and/or that it has now made so much progress in social, economic and educational fields that it has achieved or gone above the level of other castes?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) and (b): Government have adopted the following criteria for considering the claim of any community for inclusion in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:—

Scheduled Castes: Extreme social, educational and economic backwardness arising out of the practice of untouchability.

Scheduled Tribes: Indications of primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with the community at large and backwardness.

(c) Under the provisions of Clause (2) of article 341 and 342 of the Constitution, Parliament may by law include in or exclude from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Jati Toro Conference

2076. **Shri R. L. Kureel:**
Shri Ram Lal Rahi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a 'Jati Toro' Conference inaugurated by the Prime Minister of India, was held in Vithal Bhai Patel Bhavan, New Delhi on the 16th, 17th and 18th September, 1977; and

(b) if so, whether a copy of the resolutions adopted in the conference along with the reaction of the Government thereon would be laid on the Table of the House?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) Yes, Sir.

(b) Government have not received a copy of the resolutions adopted at the Conference.

Legislative measures to ensure Freedom of Press

2077. **Shri R. L. P. Verma:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the legislative measures being taken by Government to ensure that the freedom of press is not tampered with in future?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Lal Krishan Advani) : Government consider that in the ultimate analysis it is only the press which, through its actions and through a strong public opinion, can ensure its freedom.

On their part, Government propose to review the Press Council through legislation if necessary. Government are also considering setting up a Second Press Commission to examine the entire state of the press in the country including also measures that might be required to promote and protect the freedom of the press.

निवारक नजरबन्दी

2078. **श्री बयालार रवि :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाज विरोधी तत्वों और आर्थिक अपराधियों के साथ निपटने के लिए निवारक नजरबन्दी कानून लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और इस संबंध में विशिष्ट प्रस्ताव यथा-समय सदन के समक्ष रखे जायेंगे।

राज्यों में परियोजनाओं के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता

2079. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विभिन्न परियोजनायें आरम्भ करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन राज्यों और किन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया ; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में किसी विकास परियोजना को आरम्भ करने के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

A.I.R. Centres in Country

2080. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total number of All India Radio centres in the country at present alongwith the locations thereof and the dates on which each started functioning and the duration for which programmes are broadcast from each centre ; and

(b) the names of the places where All India Radio Centres are to be set up during the next two years ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Lal Krishan Advani): (a) At present All India Radio has a network of 83 Broadcasting Centres throughout the country. Information regarding their location, date of commissioning and the duration of programmes broadcast from each centre is furnished in the Annexure attached hereto. **[Placed in the Library. See No. L.T.-1211/77].**

(b) In the next two years, the radio stations at Suratgarh and Najibabad are expected to be commissioned. Proposals for setting up new radio stations during the next Plan are being formulated but their implementation will depend upon technical feasibility, availability of resources and allocation of priorities by the Planning Commission.

परमाणु हथियारों का शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए निर्माण

2081. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में परमाणु हत्यारों के उत्पादन तथा परमाणु हथियारों के उपयोग और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा तथा औचित्य क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : सरकार की यह नीति कायम है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिये।

दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

2082. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली पुलिस कर्मचारियों को संख्या राजधानी में विधि और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कुछ नये थाने खोले जा रहे हैं और अपराधों को कम करने के लिए नगर में रात के समय पुलिस की गश्त शुरू की जायेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) : दिल्ली पुलिस की संख्या बढ़ाने तथा नये थाने खोलने के प्रश्न की दिल्ली प्रशासन द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है। रात्रि-गश्त पहले से ही चालू हैं।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

2083. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था; और

(ग) उसमें भारत का क्या योगदान रहा और सम्मेलन का क्या परिणाम निकला ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हाँ। दसवां विश्व ऊर्जा सम्मेलन 19 से 23 सितम्बर 1977 तक इस्ताम्बूल (टर्की) में हुआ था।

(ख) जी, हाँ।

(ग) भारत में सम्मेलन में दो पत्र प्रस्तुत किए थे जिनमें भारतीय ऊर्जा की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया था। विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श के लिए गठित कुछ राउन्ड टेबिलों में भारतीय प्रतिनिधियों को पैनल मेम्बर चुना गया था और एक भारतीय प्रतिनिधी ने विश्व ऊर्जा सम्मेलन के संरक्षण आयोग की बैठक में भाग लिया था।

भारतीय प्रतिनिधियों के योगदान ने भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को युक्तियुक्त और किफायती तौर से पूरा करने के लिए किए गए प्रयत्नों पर प्रकाश डाला और भारतीय प्रतिनिधियो के योगदान से विकासशील देशों में ऊर्जा की मांग तथा वृद्धि को संभावित प्रवृत्तियों के बारे में सम्मेलन को अधिक जानकारी मिली। देश में हुई तकनोकी प्रगति को तथा ऊर्जा की क्षमता का विकास करने के लिए चल रहे प्रयत्नों की जानकारी दी गयी और सम्मेलन ने उनकी बहुत सराहना की।

रूट नं० 920 पर दिल्ली परिवहन निगम की बसें

2084. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस रुट नं० 920 के अनियमित कार्यकरण के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं

(ख) क्या बस रुट नं० 920 को लारेंस रोड से सीधे रामपुरा को मोड़ने तथा यात्रियों के हित के लिए इसे सस्ता बनाने के बारे में दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग तीन किलोमीटर रूट की लम्बाई कम करने के लिए रिंग रोड और न्यू मोतीनगर होकर इस रूट के मोड, जिसके परिणामस्वरूप किराए में कमी होगी, के बारे में निगम से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) इस रुट पर बसों को चलाने के संबंध में कुछ समायोजन करके और कुछ अच्छी बसों को लगाकर नियमित सेवा चलाने के लिए कार्यवाही की गयी है। इस रूट को मोडने के बारे में सुझाव की निगम द्वारा विस्तार से जांच की जा रही है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के प्रयास में 25 लाख रुपये की हानि

2085. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री श्याम सुन्दर गुप्त :
क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को आपात स्थिति के दौरान 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्विति के प्रयास में 25 लाख रुपये की हानि हुई है।

8—350 L. S. S. (ND)/77

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच की है कि यह हानि किन परिस्थितियों में हुई । और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं। फिर भी उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर खाद्य दिलाने हेतु 'आपके दरवाजे पर दुकान'-आंदोलन को कार्यान्वित करने में कुछ घाटा हुआ है ।

(ख) और : लेखा परीक्षा रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही वास्तविक घाटे का पता लग सकेगा ।

तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में विद्युत् प्रजनन

2086. **श्री ओ० वी० अलगेशन :**
श्री हेनरी आस्टिन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू और आन्ध्र प्रदेश में विद्युत प्रजनन में कमी पर सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) क्या इस कमी के बारे में सरकार ने कोई जांच की है , और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचंद्रन): (क) से (घ): इस वर्ष, आन्ध्र प्रदेश में विद्युत के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है। तमिलनाडु में भी सितम्बर तक उत्पादन में वृद्धि होती रही ; चक्रवात तथा श्रमिक अशान्ति के कारण अक्तूबर में उत्पादन में कमी आई। स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है तथा विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है ।

बर्मा सीमा के निकट नागा-विद्रोहियों का प्रधान कार्यालय

2087. **श्री ओ० वी० अलगेशन :**
श्री के० लकप्पा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नागा विद्रोहियों ने बर्मा सीमा के निकट प्रधान कार्यालय स्थापित कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनकी गतिविधियों को कुचलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार को बर्मा के साथ लगी हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार बर्मा क्षेत्र में कुछ भारतीय भूमिगत नागा की उपस्थिति की जानकारी है ।

(ख) और (ग) : उनकी अवांछनीय गतिविधियों से निपटने के लिए समस्त अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार बड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

Total number of T.V. Centres in the country under the S.I.T.E. programme

2088. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the total number of T.V. Centres in the country under the SITE programme for the setting up of which provision had been made in the Budget, 1976-1977;

(b) the progress made in this regard; and

(c) whether Government propose to set up a television centre at Gorakhpur, a major town of the backward Eastern region of Uttar Pradesh?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Lal Krishna Advani): (a) Six T.V. transmitting centres (at Jaipur, Raipur, Gulbarga, Hyderabad, Sambalpur and Muzaffarpur) and the transmitter at Pij which was taken over from ISRO for Post-SITE operations.

(b) The transmitting centres at Jaipur, Raipur, Gulbarga and Hyderabad have since been inaugurated. The transmitter at Pij has been functioning as a part of the SITE On-going Scheme since 1st August, 1976. The TV transmitting centres at Sambalpur and Muzaffarpur are expected to be commissioned in early 1978.

(c) No, Sir.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पूंजी ढांचे का पुनर्गठन

2089. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपनी सहायक निगमों के समस्त पूंजी ढ़ांचे का पुनर्गठन करने के बारे में सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस): (क) और (ख): जी, हां। राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने राष्ट्रीयकृत मिलों में हानि के कारण कम रह गई कार्यरत पूंजी को फिर से बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सहायक निगमों के पूंजी सम्बन्धी ढांचे के पुनर्निर्माण के मामले पर अभी सरकार विचार कर रही है।

कपड़ा मिलों द्वारा मूल्य अंकित करने के नए आदेश को विफल करने की नई चाल

2090. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कपड़ा मिलों और वितरकों द्वारा मूल्य अंकित करने सम्बन्धी नये आदेश का विफल करने का प्रयत्न किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस पर नियंत्रण के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस): (क) और (ख) : उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के विचार से सरकार ने जुलाई, 1977 में अनियन्त्रित सूती कपड़े पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करने की एक योजना लागू की थी। आशा की गई थी कि व्यापारी विवेक से कार्य करेंगे और उचित लाभ पर कार्य करेंगे किन्तु यह योजना उपभोक्ताओं के हितों पर कुठाराघात करके अधिकनम

खुदरा मूल्य अंकित किए जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी साबित हुई। सरकार को शिकायतें मिली कि कुछ मामलो में लाभ 100% से अधिक है। इस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार ने सितम्बर, 1977 में एक अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार मिलों के लिए मिल से निकलते समय का मूल्य तथा उत्पादन शुल्क की राशि की मुहर साथ-साथ सूती कपड़े के प्रत्येक मीटर की लम्बाई पर अंकित करना जरूरी कर दिया गया था। फिर भी सरकार को रिपोर्ट मिली है कि उद्योग के कुछ अंश ने मिल से निकलते समय के मूल्य के अलावा अधिकतम मूल्य भी छापने शुरू कर दिये हैं। अतः सरकार ने अधिकतम खुदरा मूल्य छापने पर रोक लगाने के लिए अक्टूबर, 1977 में और एक अधिसूचना जारी की।

इस योजना का उद्देश्य मूल्यों में गिरावट लाना और उपभोक्ताओं को वस्तुओं के मूल्य कम कराने के लिए मोलभाव करने का हक प्रदान करना है। यद्यपि इसे योजना के विरोध में व्यापारियों से अभ्यावेदन मिले हैं। किन्तु इसके प्रभाव का पता लगाया जाना अभी बाकी है क्योंकि मिल से निकलते समय के मूल्य की मुहर लगे सूती कपड़े के खुदरा की बिक्री के लिए पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा।

Third Pay Commission's Recommendations regarding Military Organisations Personnel in border areas

2091. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether various recommendations were made by the Third Pay Commission for the persons working in different military organisations in the border areas; and

(b) if so, reasons for not implementing them?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) The Third Pay Commission had made recommendations for the revision of pay and allowances of all Armed Forces personnel serving throughout the country. No special recommendations were made for service in the border areas. However, the Pay Commission had recommended the enhancement of Special Compensatory Allowance and High Altitude/Uncongenial Climate Allowance, which are admissible in specified border areas.

(b) The above recommendations of the Third Pay Commission were accepted by the Government and implemented with effect from 1-1-1973.

Laboratories in Central Power Research Institute

†2092. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether all the laboratories included in the first phase scheme of the Central Power Research Institute have been completed; and

(b) if so, when they started functioning and the details of their working capacity?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) Yes, Sir.

(b) The first phase of the scheme of Central Power Research Institute provides for setting up of a number of laboratories for purposes of Equipment Certification, Quality Control and Research. The dates of functioning of the various laboratories and their working capacities are indicated in the Annexure.

Statement

Dates of Commissioning of the various Laboratories and their working capacities

Laboratory	Date of completion	Working capacity
1. Insulation Laboratory . .	1965	Full range testing facilities in solid insulation materials.
2. Chemistry Laboratory. . .	1965	Full range of facilities for Transformer oil and other liquid dielectrics.
3. Partial Discharge Detection Laboratory.	1968-69	Full range of measurements upto 100 KV level.
4. Low Voltage Switchgear Laboratory.	1972-73	Facilities exist for testing of fuses and low voltage switchgear upto 50 MVA.
5. High Voltage Laboratory . .	1968	Existing facility is limited to 100 KV Power frequency testing and 1.2 million volts impulse testing. (Impulse testing facility upto 2.5 million volts and power frequency testing upto 300 KV is being provided)
6. Prototype Tower Testing Station	1976	Capacity suitable for testing towers with height upto 53 meters. This meets the requirement of towers upto 750 KV transmission lines.
7. Switchgear Testing and Development Station, Bhopal.	1972-73	Suitable for testing circuit-breakers upto 33 KV and 1250 MVA range. Also capable of testing short circuit withstand. capacity power apparatus upto 80 K.A.

Use of Rubber Bullets in firing by Police

2093. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the suggestion made by Shri Jayaprakash Narayan advising the Police to use rubber bullets in firing ; and

(b) whether Government propose to implement this suggestion and if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): Yes, Sir.

(b) Rubber Bullets have been developed by the Bureau of Police Research and Development. Samples of these have been got manufactured and issued to a few States/Union Territories Police Forces for field trials in actual crowd

control operations. Only after reports of these field trials are received and evaluated can a decision be taken for their bulk manufacture and regular use.

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म और फिल्म की अन्य कच्ची सामग्री की ऊंची लागत, निम्न किस्म और उनमें तकनीकी त्रुटियां होना

2094. डा० बसंत कुमार पंडित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म संघ के अध्यक्ष श्री भक्तवत्सल ने हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स और फिल्म की अन्य कच्ची सामग्री का निर्माण करने वाले एककों के उत्पादन की ऊंची लागत, निम्न किस्म और उनमें तकनीकी त्रुटियों होने के बारे में केन्द्रीय उद्योग मंत्री को लिखा था।

(ख) क्या फिल्म उद्योग से भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) सरकार ने इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या योजना बनाई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) : हाल ही में फिल्म फेडरेशन आफ इण्डिया के अध्यक्ष तथा कुछ अन्य लोगों से हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० (एच० पी० एफ०) द्वारा तैयार की गई अथवा निर्मित कच्ची स्टाक फिल्मो की गुणवत्ता, लागत और उपलब्धता के विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कम्पनी ने किस्म नियन्त्रण की सूक्ष्म प्रक्रिया तैयार की है तथा उससे उसे खराब फिल्मों सम्बन्धी शिकायतों की संख्या 1977 की कुल बिक्री के 0.62% तक कम करने में सफलता मिली है।

एच० पी० एफ० द्वारा निर्मित कच्ची स्टाक फिल्मों की कीमत मामूली लाभ लगाकर वास्तविक उत्पादन लागत के आधार पर रखी जाती है। जहां तक रंगीन पाजिटिव फिल्मों का सम्बन्ध है, विक्रय मूल्य आयातित जम्बो फिल्मोंकी लागत पर निर्भर करता है जिस पर एच० पी० एफ० का कोई नियन्त्रण नहीं है। वर्ष के मध्य में जहाज विलम्ब से आने के कारण पाजिटिव कलर फिल्मों के सम्भरण में कुछ व्यतिक्रम पैदा हो गया था, फिर भी एच० पी० एफ० ने बताया है कि सभी प्रकार की कच्ची स्टाक फिल्में बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश में 1977-78 में बिजली की कमी

2095. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वर्ष 1977–78 के लिए बिजली की औसत दैनिक आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता को देखते हुए उसकी कितनी कमी होगी ;

(ग) क्या इस कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने पड़ोसी राज्यों से सहायता लेने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में बिजली के उत्पादन और रिहन्द से मध्य प्रदेश के हिस्से की उपलब्धता के आधार पर 1977–78 के आगामी चार महीनों के दौरान बिजली की कमी लगभग 3.7 मिलियन यूनिट प्रतिदिन होने का अनुमान है।

(ग) जी, हां ।

(घ) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को पड़ोसी राज्यों से जिस सीमा तक सहायता दिला सकना संभव है उस सीमा तक सहायता दिलवाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र द्वारा 5–6 लाख यूनिट प्रतिदिन की सहायता दी जा रही है। तथापि बिजली की पूरी आवश्यकता को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है और राज्य सरकार ने बिजली पर कटौती लागू की है, भिन्न-भिन्न समय पर बिजली दिए जाने की व्यवस्था की और पीक भार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाए हैं। भारत अल्यूमिनियम कम्पनी से भी अनुरोध किया गया है कि हाल ही में चालू की गई अपनी दूसरी पाट लाइन के लिए वे कम बिजली लें। अमरकन्टक में 120 मेगावाट की दूसरी यूनिट के चालू हो जाने पर अप्रैल, 1978 तक विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार हो जाने की आशा है।

सूती धागे का निर्यात

2096. श्री क० मालन्ना :

श्री एस० एस० सोमानी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती धागे के निर्यात के बारे में अपनी नीति की घोषणा कर दी है;

(ख) क्या बुनकरों को मिलों द्वारा राज्य स्तरीय संगठनों के माध्यम से मिल की दरों पर धागा सप्लाई करने को प्राथमिकता दी गई है!

(ग) क्या हस्त शिल्प उद्योग को भी प्राथमिकता दी गई है। और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (घ) : सूती धागे के मूल्य में वृद्धि को रोकने और उद्योग के विकेन्द्रीय क्षेत्र को सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने (3 प्लाई और इससे अधिक प्लाई के फोल्ड किये गए सूती धागों तथा टायर कार्ड धागों के अलावा) 8-8-1977 से अन्य आदेशों तक सूती धागों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

धागों की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों, अखिल भारतीय सहकारी कताई मिलों और निजी क्षेत्र की मिलों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ 6-7-1977 को हुई बैठक में यह मान लिया था कि वे राज्य की प्रमुख सोसायटियों और राज्य हाथ करघा विकास निगमों को मिल से निकासी समय के मूल्य पर व्यापारिक शर्तोंपर पर्याप्त मात्रा में सूत के गोलों का/लच्छों तैयार किए गए धागों के सम्भरण की व्यवस्था करेंगे।

हस्तशिल्प का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है और इस उद्योग के विकास के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। फिलहाल इस क्षेत्र की सूती धागे की पूर्ति करने के विषय में कोई विशेष समस्या नहीं है।

कागज उत्पादन में वृद्धि

2097. श्री के० मालन्ना : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन चार महीनों के दौरान कागज की कुछ किस्मों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कागजों की किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सरकार की अनुमति से किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : विगत 3 या 4 महीनों में कागज तथा गत्ते के उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि अथवा कमी नहीं हुई है जिन्हें चार श्रेणियों यथा (i) लिखाई तथा छपाई का कागज (ii) लपेटने तथा पैकिंग का कागज (iii) कागज गत्ता तथा विविध कागजो में वर्गीकृत किया गया है ।

(ग) और (घ) : एक किस्म जैसे सफेद छपाई के कागज को छोड़कर कागज तथा गत्ते के उत्पादन पर कोई नियन्त्रण नहीं है । सफेद छपाई के कागज के बारे में भी केवल न्यूनतम उत्पादन स्तर की शर्त लगाई गई है तथा अधिक उत्पादन करने में कोई आपत्ती नहीं हो सकती है ।

चमड़ा उद्योग की ओर ध्यान न दिया जाना

2098. श्री के० मालन्ना : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन, चाय, काजू आदि जैसे विदेशी मुद्रा कमाने वाले अन्य उद्योगों की तुलना में चमड़ा उद्योग की ओर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया;

(ख) क्या यह उद्योग पारम्परिक तथा पुराने तरीकों को अपनाते हुए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस उद्योग द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चमड़े का सबसे अधिक निर्यात करने वाले राज्यों को दिए गए प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों चमड़ा उद्योग के विकास एवं विनियमन पर पुरा ध्यान दे रही है । उद्योग के विकास सम्वर्धन के लिए किए गए अभ्युपायों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

(1) केन्द्रीय सरकार ने भारत लेदर कारपोरेशन की स्थापना की है जो देश में चमड़ा उद्योग का समग्र विकास करने और इस प्रयोजना के लिए उपयुक्त अवस्थापना सुविधाओं का गठन करके विकास प्रक्रिया में तेजी लाने वाला शीर्षस्थ निकाय है । आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने सम्बन्धित राज्यों में उद्योग का विकास करने के लिए पहले ही राज्य चमड़ा विकास निगमों की स्थापना कर ली है ।

(2) चमड़ा उद्योग में काम के और अधिक अवसर पैदा करने और अधिकाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से सरकार ने कच्ची खालों और चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तथा अर्ध तैयार चमड़े के निर्यात पर कोटा लगा दिया है ।

(3) अर्ध-तैयार चमड़े के निर्यात पर 25% की दर से निर्यात शुल्क लगाया जाता है ताकि ऐसे निर्यातों में अधिक लाभ को कम किया जा सके तथा अर्ध-तैयार चमड़े के निर्यात के के लिए निरुत्साहित किया जा सके ।

(4) तैयार चमड़े और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता, शुल्क वापसी जहाज भाड़ा सहायता और आयात प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन उत्पादकों और निर्यातकों को प्रदान किये जाते हैं ।

(5) तैयार चमड़े और चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था करने के विचार से अर्ध तैयार चमड़े को तैयार चमड़े में बदलने के लिए क्षमता स्थापित करने हेतु लाइसेंसिंग प्रक्रिया को उदार बना दिया गया है और चमड़ा मशीनों के अधिकांश भाग को उन्मुक्त सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत रख दिया गया है ।

(6) कुटीर और लघु उद्योग एककों को अर्ध तैयार चमड़े के बजाय तैयार चमड़े का उत्पादन करने में सहायता करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा विकसित चमड़ा विकास निधि का उपयोग करके आन्ध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक एक पांच सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ।

(7) एक कानपुर और एक मद्रास में दो निर्यात परिषदें चमड़े और चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों के निर्यात सम्वर्धन की देखभाल कर रही है । उद्योग में सुधार करने और उसका विकास करने के लिए आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन चमड़ा और चमड़ा वस्तु उद्योग का विकास करने के लिए एक विकास परिषद का गठन किया गया है । केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्थान, मद्रास उद्योग के प्रौद्योगिकीय विकास की देखभाल करता है ।

(8) चमड़ा जूता उद्योग लघु क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित है । किन्तु संगठित क्षेत्र के विद्यमान एककों के विस्तार और नये एककों की स्थापना सम्बन्धी आवेदनों पर केवल निर्यात विकास और 100% निर्यात दायित्व के आधार पर इस शर्त पर कि रिजेक्शन उत्पादन के 5% से अधिक नहीं होगा विचार किया जाता है । 20 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित न करने वाले और 2 अ० श० से अधिक बिजली का उपयोग न करने वाले एककों को उत्पादन शुल्क का भुगतान करने से भी छूट मिली हुई है ।

(ख) और (ग) : उत्पादन की आधुनिक तकनीक और परम्परागत तथा प्रचलित पद्धतियां अपनाकर चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं बनाने वाला उद्योग उल्लेखनीय विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है ।

उद्योग द्वारा पिछले तीन वर्षों में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का विवरण निम्नप्रकार है :—

1974–75	165.66 करोड़ रुपये
1975–76	222.69 करोड़ रुपये
1976–77	293.10 करोड़ रुपये

(घ) चमड़ा निर्यात में अग्रणी राज्यों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ।

राज्यों के लिये प्रति व्यक्ति आवंटन और प्रति व्यक्ति आय

2099. **श्री चित्त बसु :**

श्री रामानन्द तिवारी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति योजना आबन्टन क्या था ; और

(ख) प्रत्येक योजना अवधि में प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : दो विवरण संलग्न हैं, जिनमें (1) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति योजना-आबन्टन और (2) प्रत्येक योजना अवधि में हरएक राज्य में प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–122/77]**

उचित मूलभूत ढांच के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में कठिनाइयां

2100. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवश्यक और उचित मूलभूत ढांचे के अभाव के कारण अनेक औद्योगिक एकक उद्योगों के विस्तार अथवा नये उद्योगों की स्थापना के लिए ग्रामिण क्षेत्र में जाने में असमर्थ हैं।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान प्रवृत्ति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार अपेक्षित दिशा में स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) : यद्यपित कोई विशेष मामला ध्यान में नहीं लाया गया है फिर भी, सरकार को इस बात को जानकारी है कि विभिन्न ग्रामोण क्षेत्रों में ऊर्जा, सड़क, संचार आदि अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं को कमी के कारण हो इन क्षेत्रों में उद्योग का विकास नहीं हो रहा है। अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं प्रदान कराने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है तथा इस बारे में राज्य सरकारों से सितम्बर, 1977 में हुई राज्यों के उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में विचार कर लिया गया है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का अवस्थाबद्ध विकास करने के लिए अपनो योजनाओ में पर्याप्त प्रावधान करें तथा ऐसे क्षेत्रों को वरोयता दे जहां औद्योगिक विकास करने को सम्भावना हो। प्रथम अवस्था में ऐसे औद्योगिक विकास केन्द्रों का पता लगाकर तथा इन विकास केन्द्रों में अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की सप्लाई करके पूरा करना है।

भारतोय वायु सेना के लिये आधुनिक उपकरणों का खरिदा जाना

2101. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतोय वायु सेना को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिकतम तथा प्रोद्योगिक दृष्टि से नवीनतम उपकरण तथा साज सामान खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रुपरेखा क्या है तथा उन उपकरणों का ब्यौरा तथा लागत क्या है जो जन-हित को हानि पहुंचाये बिना बताया जा सकता है ; और

(ग) क्या सरकार समझती है कि इस समय भारतीय वायु सेना सभी सम्भव संकटों का मुकाबला करने के लिए उचित तथा पूरी तरह से लैस है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारतीय वायु सेना की युद्धक्षमता बढ़ाने के लिए सरकार अधिक आधुनिक तथा नवीनतम उपस्कर खरीदती रही है अथवा निर्मित करती रही है आगे भी ऐसा करती रहेगी ।

(ख) हाल ही में कुछ अधिक आधुनिक तथा नवीनतम विमाने प्राप्त किये गए हैं और कुछ अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले विमानों को अद्यतन बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन है । भारतीय वायुसेना को और अधिक आधुनिक मिसाइलें, रडार तथा नौचालन साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं । उपस्कर के प्रबन्ध में यह एक सतत प्रक्रिया है ।

(ग) सम्भावित खतरों का सामना करने के लिए भारतीय वायुसेना सज्जित है ।

भुवनेश्वर में टेलिवीजन केन्द्र

2102. **श्री सरत कार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निकट भविष्य में भुवनेश्वर में टेलीविजन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : जी, नहीं ।

रक्षा-नीति के लिये विशेषज्ञ आयोग

2103. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1980 के दशक में क्रियान्वित होने वाली रक्षा-नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ आयोग नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं । देश की रक्षा नीति का निर्धारण, जो खतरों की आशंकाओं की प्रकृति, परिणाम में और संरूप तथा अन्तरराष्ट्रीय सामारिक वातावरण में समतुल्य सैन्यबल को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है एक ऐसी सतत और अविच्छिन प्रक्रिया है जिसपर तीनों सैन्य सेवाओं के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके रक्षा मंत्रालय में विचार किया जाता रहता है ताकि हमारी सशस्त्र सेनाएं उनका सामना करने के लिए सतत तत्पर रह सकें ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तापीय विद्युत संयंत्रों में विद्युत प्रजनन में खराबी होना

2104 **डी० डी० देसाई :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तापिय विद्युत संयंत्रों में विद्युत प्रजननों में बार-बार खराबी पैदा हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो बार-बार खराब होने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) और (ख) : जी, हां। ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए उपस्कर में कमियों की जांच पड़ताल करने, समस्याओं का गहन अन्वेषण करने तथा उपस्कर/प्रणाली में संशोधन/सुधार का सुझाव देने/हाथ में लेने के लिए एक बहु-शाखा क्षेत्रों के विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय दलों का गठन किया गया है जिसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण कन्सल्टिंग इन्जीनियर्स तथा सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

1978-79 के लिये वार्षिक योजना बनाने के बारे में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांत

2105. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1978-79 के लिए वार्षिक योजना बनाने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : योजना आयोग द्वारा 1978-79 के लिए राज्यों को वार्षिक योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि :—

(1) विकास योजना के अगले चरण का मुख्य उद्देश्य होगा :—

(क) लगभग 10 वर्षों में बेरोजगारी को और काफी कुछ अल्प रोजगार को हटाना ;

(ख) सबसे कम आयवाले वर्गों के लोगों में से 40 प्रतिशत के लिए इसी अवधि में मूल सेवाओं (पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल) की व्यवस्था करना; और

(ग) आय तथा धन की वर्तमान विषमताओं में पर्याप्त कमी करना।

(2) रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, श्रमिकों की संख्या में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि श्रमिकों को कृषि के उत्पादन कार्य में (जिसमें प्रक्रमण, भंडारण, परिवहन और वितरण शामिल है), उससे सम्बद्ध कार्यकलापों में (जैसे पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वन उद्योग, रोजगार-प्रधान उद्योग में और अर्थ व्यवस्था के सेवा क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में और बराबर अधिकाधिक रूप में काम में लगाया जाए।

(3) इसके लिए केन्द्रीय और राज्य योजनाओं की निवेश प्राथमिकताओं में अगले कुछ वर्षों में पर्याप्त परिवर्तन करना आवश्यक होगा, और आर्थिक नीतियों को इन नयी प्राथमिकताओं के साथ समन्वित करना होगा। बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता में और रोजगार सर्जन में निश्चित जल पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण, सिंचाई पर निवेश को पहले से कहीं बहुत अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्य क्षेत्रों को आबन्टन करने से पहले केवल सिंचाई और कृषि उत्पादन में निवेश (जिसमें गहन कृषि विस्तार और वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में जल-विभाजक प्रबन्ध और कृषि विकास के लिए आवश्यक आधारभूत व्यवस्था शामिल है) के लिए ही धनराशि निर्धारित कर देनी होगी।

(4) कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए, ग्रामीण औद्योगीकरण की स्कीमों के लिए और स्वरोजगार को स्कीमों लिए परिव्यय बढ़ाया जाएगा ।

(5) ग्रामीण विकास के लिए पहले से कहीं अधिक उच्च प्राथमिकता देनी होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को पीने के पानी की पूर्ति, आरम्भिक शिक्षा, अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल जैसी मूलभूत सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष बल दिया जाएगा ।

राज्यों में विद्युत संकट

2106. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माह सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर, 1977 में अनेक राज्यों में काफी विद्युत संकट रहा ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) विद्युत संकट से कौनसे राज्य प्रभावित हुए ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : सितम्बर, अक्तूबर, और नवम्बर, 1977 के महीनों के दौरान ग्यारह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बिजली की कमी महसूस की/अथवा महसूस कर रहे हैं। इन राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों में कमी और उसके परिणामस्वरूप लगाई गई कटौतियों/प्रतिबन्धों का ब्यौरा उपबन्ध-एक में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1213/77.**]

इस अवधि के दौरान कुछ दिनों तक बिहार राज्य में भी बिजली की कमी महसूस की गई जिसके फलस्वरूप उन दिनों लोड शडिंग करनी पड़ी। सितम्बर/अक्तूबर में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में बिजली की कटौतियां/प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए गए। उल्लिखित क्षेत्रों में बिजली की कमी के कारणों में अपर्याप्त प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता, चालू परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब और चालू की गई नई ताप विद्युत उत्पादन युनिटों का अपेक्षतया अपर्याप्त कार्यनिष्पादन शामिल है ।

औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों का समाप्त किया जाना

2107. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व शुरू की गई अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने बड़ी संख्या में आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेन्स रद्द कर दिए थे ;

(ख) क्या आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेन्सों को रद्द करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को विस्तृत अनुदेश दिए गए थे ; और

(ग) क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है ?

उद्योगमंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (ग) : जी, हां। औद्योगिक लाइसेन्सों और आशय-पत्रों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक मंत्रालयों का है। औद्योगिक विकास विभाग उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर और खास तौर से मई और सितम्बर, 1977 में प्रशासनिक

मंत्रालयों को निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने के फलस्वरूप रद्द किए गए, प्रतिसंहृत किए गए औद्योगिक लाइसेन्सों की 1974 की संख्या 10 से बढ़कर 1975 में 56, 1976 की 122 से जनवरी-अक्टूबर, 1977 की अवधि में 115 रह गई है। इसी प्रकार रद्द/प्रतिसंहृत किए गए आशयपत्रों की 1974 की संख्या 87 से 1975 में 348, 1976 में 352 और जनवरी-अक्तूबर 1977 को अवधि में 240 हो गई। औद्योगिक लाइसेन्सों/आशयपत्रों को रद्द करने के लिए जारी किए गए पत्रों की प्रतियां सूचना और रिकार्ड के लिए नियमित रूप से प्राप्त की जाती हैं।

बदरपुर तापीय बिजली घर

2108. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर तापीय बिजली घर स्थित 100 मेगावाट यूनिट नं० 2 को पुनः चालू करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यूनिट को इस वर्ष अनेक बार बन्द करना पड़ा था ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : यूनिट-दो 8 जनवरी, 1977 से जबरन बन्द है। निरीक्षण करने पर टरबाइन का हाई प्रेशर रोटर क्षतिग्रस्त पाया गया था। हाई प्रेशर रोटर की मरम्मत भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, हरिद्वार द्वारा कर दी गई है और टरबाइन का पुनः संयोजन किया जा रहा है। इसके पुनः चालू करने की तारीख में संशोधन करना पड़ा और अब जनवरी, 1978 के मध्य तक इसके पुनः चालू हो जाने की सम्भावना है।

राज्यों के सूचना तथा प्रसारण मंत्रियों का सम्मेलन

2109. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1977 में राज्यों के सूचना तथा प्रसारण मन्त्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई ;

(ग) क्या निर्णय किये गये ; और

(घ) क्या सरकार ने सूचित किया है कि स्मारिकाओं के लिए अब कोई सरकारी विज्ञापन नहीं दिए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। राज्यों के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन 4 नवम्बर, 1977 को नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा हुई थी उनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट-1)। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1214/77.]

(ग) सम्मेलन द्वारा जो सिफारिशें की गई वे संलग्न विवरण में दी हुई है (परिशिष्ट–2) [**ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1214/77.**]

(घ) जी, हां।

बीमार एककों की सहायता के उपाय

2110. **डा० हेनरी आस्टिन :**
श्री पी० राजगोपाल नायडू :
श्री के० ए० राजन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों के उद्योग मंत्रियों से कहा है कि वे अपने–अपने राज्य में बीमार एककों को सहायता के शीघ्र उपाय करें;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन बीमार एककों को राहत देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या औद्योगिक अशान्ति एवं उद्योगपतियों के रवैये के कारण बीमार एकको की संख्या में फिर वृद्धि हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस समय (नवम्बर, 1977 तक) बीमार एककों की राज्य-वार संख्या क्या है?

(ङ) गत 6 मास में कितने बीमार एककों को राहत दी गई; और

(च) क्या किसी बीमार एकक का स्वस्थ, एकक के साथ विलय किया गया है, यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क), (ख) और (ग) : हाल ही में राज्यों के उद्योग मंत्रियों के साथ] जो विचार-विमर्श हुआ है उसमें प्रारम्भिक स्तर पर ही संकटग्रस्तता का पता लगाने के लिए एक मानिटरिंग तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। जिन एककों को संकटग्रस्त घोषित किया जा चुका है उनके बारे में इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी थी कि सम्बन्धित राज्य सरकारों, संबधित श्रमिक संघो तथा प्रबंध संस्था से कहा जाना चाहिए कि वे उन्हें पुनरुजीवित करने के लिये संयुक्त रुप से एक समयबद्ध योजना बनाये तथा संकटग्रस्त एकको की सरकारी वित्तीय संस्थानों तथा भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण कारपोरेशन लिमिटेड के जरिए वित्तीय राहत पहुंचायें। केन्द्र सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क तथा 18कक के अधीन उनके प्रबंध को हाथ में लेकर संकटग्रस्त एकको को राहत दे सकतो है। केन्द्र सरकार ने 1 मई, 1977 से सात एकको के प्रबंध को हाथ में लिया तथा आठ एकको को अधिकार में लेने को अवधि बढ़ा दी। केन्द्र सरकार के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन यह भी संभव है कि वह प्रबंध के हाथ में लिये जाने वाले एककों के दायित्व को अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिये समाप्त कर दे ताकि वे स्थिर रूप से स्वस्थ हो सकें। केन्द्र सरकार ने 1 मई, 1977 से 3 एककों के दायित्वों को समाप्त करने के आदेश जारो किये थे। इसके अलावा इसी अवधि में 11 एककों के मामलों में दायित्वों को समाप्त करने के आदेशों की वैधता बढ़ा दी गयी है।

(घ) और (ङ) : केवल एक ही कारण से औद्योगिक संकटग्रस्त नहीं होती है अपितु कई मिले जुले तथ्य तथा श्रमिक अशान्ति, कुप्रबंध, कच्चे माल की कमी; बिजली की कमी पुरानी मशीनें आदि हैं। इस समय (नवम्बर, 1977 तक) कुल संकटग्रस्त एकको की संख्या के बारे में राज्यवार सूचना एकट्ठी की जा रही है जो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(च) अभी तक ऐसा कोई विलय नहीं किया गया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जांच के लिये पड़े हुए मामले

2111. **डा० हेनरी आस्टिन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास अनेक मामले जांच करने के लिए पड़े हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल जुलाई, 1977 में ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास 56 अधिकारियों के मामले विचाराधीन पड़े थे ;

(ग) उनमें से कितने मामलों को निपटा दिया गया है ;

(घ) क्या इन मामलों को निपटाने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है ; और

(ङ) उन्होने चालू वर्ष में कितने मामले निपटाये हैं ? और प्रत्येक मामले में क्या कायवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) 1-11-1977 को, केन्द्रीय अन्वेषण द्वारा 802 मामलों की जांच की जा रही थी।

(ख) तथा (ग) : जुलाई, 1977 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए नए मामलों में 56 राजपत्रित अधिकारी अन्तर्गस्त हैं, और इन मामलों में अभी भी जांच चल रही है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) 1977 के दौरान (31-10-1977 तक), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में 1694 मामलों में जांच की और 892 मामलों में जांच पूरी कर ली। इन 892 मामलों में की गई कार्यवाही निम्नलिखित है :—

(i) विचारण के लिए न्यायालयों में भेजे गए मामलों की संख्या . .	297
(ii) नियमित विभागीय कार्यवाही किए जाने के लिए विभागों को भेजे गए मामलों की संख्या	465
(iii) ऐसे मामलो की संख्या जिन्हें उन पर उचित समझी जाने वाली कार्रवाई किए जाने के लिए विभागों को भेजा गया . . .	52
(iv) जांच के बाद बंद किए गए मामलों की संख्या . . .	78
कुलयोग .	892

कर्नाटक सरकार का लघु उद्योगों के विकास के बारे में सुझाव

2112. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कोई सुझाव दिया है कि कर्नाटक स्थित केन्द्रीय सरकार ने उपक्रम लघु उद्योगों के विकास के लिए लघु तथा सहायक यूनिटों से अपनी आवश्यकता का 50 प्रतिशत माल खरीदें ;

(ख) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े यूनिटों से भी ऐसा करने को कहा जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला क्रेताओं के पास पड़ी बकाया राशि की वसूली

2113. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के बड़े बड़े क्रेताओं के पास पड़ी बकाया राशि को वसूल करने के लिए कोई विशिष्ट अभियान चलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : जी, हां । कोल इण्डिया लिमिटेड ने अपने उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) विवादास्पद बकाया धनराशि की जांच और निपटारे के लिए वरिष्ठ अधिकारीयों की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं ।

(ii) की गई कोयले को सप्लाई के लिए भुगतान की शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत की गई है ।

(iii) बड़े बाकीदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि भुगतान में देर की गई तो कोयले की सप्लाई बन्द कर दी जाएगी ।

(iv) वरिष्ठ अधिकारियों ने बड़े उपभोक्ताओं से बकाया धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए वैयक्तिक सम्पर्क किया है ।

कोयले के लिये नई परियोजनाएं

2114. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री सुरेंद्र विक्रम :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नई कोयला परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

9—350 LSS/ND/77

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

विवरण

सरकार द्वारा 1977 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्थिति	वार्षिक क्षमता	निवेश करोड़ रु० में	कोयले का ग्रेड	अपेक्षित जनशक्ति
1	झिंगुर्दा (विस्तार)	सिंगरौली मध्य प्रदेश	1978–79 तक 1.8 मि०ट० से 3 मि० टन तक	24.87	बिना ग्रेड	1810
2	गोलुकडीह ओ/का	झरिया बिहार	1980 तक 0.72 मि० टन	7.68	एचएच	617
3	धेमोमेन (पुनर्गठन)	रानीगंज पश्चिम बंगाल	1.00 मि०टन 1980—81 तक	11.95	I, II तथा चुनींदा 'बी'	2677
4	निगा (पुनर्गठन)	वही	1.00 मि० टन 1982—83 तक	15.25	I व चुनींदा "ए"	4084
5	रतीबाती (पुनर्गठन)	वही	0.90 मि० टन 1985—86 तक	9.94	I	4304
6	कोट्टाडीह (पुनर्गठन)	वही	0.87 मि० टन 1979 तक	7.66	I व II	2532
7	रामगढ़ वाशरी	हजारीबाग बिहार	3 मि० टन 1981—82 तक	25.77		663
8	रामगढ़ खान	वही	3 मि० टन 1981—82 तक	41.86	एचएच	1902
9	गोदावरी खानी 8 व 8 ए इन्क्लाइन	रामगुंडम आन्ध्र प्रदेश	0.825 मि० टन	6.47	बिना ग्रेड	2591

कागज के मूल्यों में वृद्धि

2115. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री श्याम सुन्दर सोमानी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के कागज के मूल्यों में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो, क्या सरकार ने मूल्यों को कम करने के कोई प्रयास किए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) प्रमुख गुणवत्ता वाले कागज के मूल्यों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है किन्तु कुछ बढ़िया किस्म के कागज के मूल्यों में गूदड़ जो इस प्रकार कागजों के लिए कच्ची सामग्री का काम देता है, के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण मामूली सी वृद्धि की गई है। छपाई का सफेद कागज जो कागज की एकमात्र नियन्त्रित किस्म है, के मूल्य को 2,750 रुपये प्रति मी० टन की दर पर स्थिर रखा गया है।

(ख) उद्योग से मूल्य स्तर बनाए रखने तथा जहां कहीं भी मिलों द्वारा मूल्य वृद्धि की गई है उन्हें घटा कर वर्ष के प्रारम्भ के मूल्य स्तर पर लाने के लिए आग्रह किया गया है।

उद्यमियों की समस्या हल करने के लिये एक 'महिला सैल' की स्थापना

2116. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला उद्यमियों की समस्याएं हल करने के लिए और ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, जहां औरतें काम पर लगाई जा सकें, उनके मंत्रालय में एक "महिला सेल" बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

उत्तरी बंगाल में अखबारी कागज उद्योग स्थापित करने की मांग

2117. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से उत्तरी बंगाल में अखबारी कागज उद्योग स्थापित करने की बहुत समय से मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने ऐसा उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाली एक अखबारी कागज परियोजना की स्थापना करने के लिये 31 जुलाई 1974 को एक आशय पत्र जारी किया गया है। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन कच्चे माल की उपलब्धि, बागानों का विकास, संचालन लागत तथा अन्य सम्बन्धित मामलों का विस्तृत अध्ययन करने के लिये राज्य सरकार की सहायता कर रही है।

हाइड्रोजन बम

2118. **डॉ सुशिला नायर** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाइड्रोजन बम अवशिष्ट रेडियो धर्मिता की दृष्टि से सबसे कम हानिकारक है ;

(ख) यदि हां, तो हाइड्रोजन अणु को तोड़ने की प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या हाईड्रोजन अणु को तोड़ने की प्रक्रिया को विद्युत उत्पादन के काम में लाया जा सकता है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विखंडन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों की वर्षा की मात्रा को घटने की दृष्टि से, खुदाई करने या मिट्टी हटाने के काम में ताप-न्यूक्लीय विस्फोटकों को अधिक उपयुक्त समझा जाता है ।

(ख) और (ग) : नियंत्रित ताप-न्यूक्लीय संलयन की प्रक्रिया में ऊर्जा के उन्मुक्त होने का कारण हाइड्रोजन के ड्यूटीरियम और ट्रिशियम जैसे आयसोटोपों के नाभिकों का संयोजन होता है, न कि उनका विभाजन । संलयन की प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिए चुम्बकीय परिरोध, लेसर किरण-पुंजों द्वारा किए गए अन्तः विस्फोट आदि जैसी विभिन्न विधियों के विकास के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे अनुसंधानों में अच्छी प्रगति हुई है । लेकिन बिजली के उत्पादन के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य संलयन-रिऐक्टरों का विकास करने में काफी समय लग जायेगा । संलयन के क्षेत्र में अनुसंधान करना एक बहुत ही खर्चीला काम है । बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपेक्षाकृत बड़े कार्यक्रमों को हाथ में लेने से पहले, हम इस क्षेत्र में हो रहे विकास-कार्यों का अध्ययन बारोकी से करें । साथ ही साथ, हम इस क्षेत्र में हो रही प्रगति से अपने को अवगत रख रहे हैं ।

Concessional Passes to Students

†2119. **Shri Daya Ram Shakya**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Delhi Transport Corporation propose to authorise educational institutions to issue concessional passes to the students;

(b) whether there is a proposal to issue quarterly, half-yearly and annual passes, besides monthly passes, to the students and the common man; and

(c) if so, since when the facility will be given and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) Educational institutions interested to make their own arrangements for issuing all route concessional passes to their students have already been allowed to do so on a commission of 2% on the sale proceeds of the passes.

(b) & (c): The facility of all route quarterly passes, besides monthly passes, is available only to the students at present. There is at present no proposal to issue half yearly and yearly passes to students and the general public or to issue even quarterly passes to the general public, on administrative grounds.

Amendment of Cinematography Act

2120. **Shri Daya Ram Shakya**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to amend the Cinematography Act; and

(b) if so, when a final decision is likely to be taken in this regard?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Lal Krishan Advani): (a) & (b): It is proposed that the Cinematography Act may be amended and a bill to this effect is being formulated.

गोहाटी में अखबारी कागज का रक्षित भंडार

2121. **श्री शेनेन भट्टाचार्य :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ तथा अन्य विपदाओं के दौरान कमी पर काबू पाने के लिए गोहाटी में अखबारी कागज का रक्षित भंडार बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) : (क) और (ख) : गोहाटी में अखबारी कागज का डिपो खोलने की संभावना पर राज्य व्यापार निगम द्वारा विचार किया गया था, किन्तु उसको घाटे का काम पाया गया। तथापि, उसको राज्य सरकारों को यह सुझाव देने की योजना है कि राज्य लघु उद्योग या मार्केटिंग निगम छोटे और मझोले दर्जे के समाचारपत्रों की आवश्यकताओं का अखबारी कागज राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्राप्त कर उसको संबंधित क्षेत्रों में पुनर्वितरित कर।

Revenue earned for A.I.R. from Advertisements

2122. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the amount of the revenue earned from advertisements broadcast from All India Radio during 1976-77?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Lal Krishan Advani): The gross revenue earned by A.I.R. from advertisements during 1976-77 was Rs. 6,80,07,832/- approximately.

Assam-Nagaland Boundary Dispute

2123. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a boundary dispute between Assam and Nagaland for a long time;

(b) whether it is also a fact that both the State Governments have further precipitated the dispute in their efforts to rehabilitate landless people in the disputed area; and

(c) the action taken by Central Government to settle the dispute?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) Yes, Sir.

(b) There have been complaints of encroachment from both State Governments.

(c) The effort of the Government of India has all along been to get the State Governments to come to an agreed settlement. With the return of the popular Government in Nagaland, it is to be hoped that the two Governments will move towards evolving a satisfactory solution.

ग्राम विकास के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम

2124. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम विकास और जनता को नगरों से गांवों में भेजने के लिए अभियान चलाने हेतु सरकार द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक प्रभावशाली साधन बनाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की है ; और

(ख) केन्द्र तथा राज्यों में ग्रामीण प्रसारणों के लिए पहले की अपेक्षा अब कितने प्रतिशत अधिक समय दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आकाशवाणी

आकाशवाणी के 49 केन्द्रों पर कृषि और गृह यूनिटें स्थापित की हुई हैं। कृषि और गृह यूनिट का मुख्य कार्य वैज्ञानिक कृषि, पशु पालन, मछली पालन, बागवानी और पोषण आहार, आदि के सम्बन्ध में जानकारी देना है। ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम उद्योग, सहकारिता, ग्रामीण संस्थानों और अन्य विकास गतिविधियों पर चर्चाएं नियमित रुप से प्रसारित की जाती है। इसके अलावा, ग्रामीण तथा कृषि कार्यक्रम तथा ऐसे अन्य अनेक कार्यक्रम जो, देहाती लोगों के दैनिक जीवन के उपयोग के होते हैं, भी आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा प्रसारित किये जाते हैं।

2. समाचार और संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के कार्यक्रमों का 61.5 प्रतिशत होते हैं। ये कार्यक्रम भी ग्रामीण श्रोताओं की उतनी ही रुचि के होते हैं जितनी कि ये शहरी श्रोताओं की रुचि के होते हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार, लगभग 71.5 प्रतिशत कार्यक्रम, जिनमें समाचार और संगीत कायक्रम भी सम्मिलित हैं ग्रामीण श्रोताओं के लिए होते हैं।

दूरदर्शन

"साइट" क्षेत्रों के सभी दूरदर्शन केन्द्र मुख्य रुप से ऐसे कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं जो ग्रामीण उर्वरकों को सम्बोन्धित होते हैं और उनमें ग्रामीण विकास के बारे में ब्यौरा दिया जाता है। यह जयपुर, रायपुर, हैदराबाद, गुलबर्ग और पिज (अहमदाबाद के निकट) केन्द्रों पर लागू होता है और निकट भविष्य में जब सम्बलपुर तथा मुजफ्फरपुर के केन्द्र चालू हो जाएंगे तो यह उनपर भी लागू होगा। शेष दूरदर्शन केन्द्र भी ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जो ग्रामीण दर्शकों को सम्बोधित होते हैं। इसके अलावा उनको यह सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा मूल रुप से प्रस्तुत किए जाने वाले कम से कम 50 प्रतिशत कार्यक्रम ग्रामीणोन्मुख हों।

2. ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए दिए जाने वाले समय की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

जयपुर रायपुर हैदराबाद गुलबर्ग पिज (अहमदाबाद के निकट)	100 प्रतिशत

(जब सम्बलपुर और मुजफ्फरपुर केन्द्र चालू हो जायेंगे तो यह उनपर भी लागू होगा)

दिल्ली कलकत्ता बम्बई मद्रास लखनऊ श्रीनगर अमृतसर	विशेष रूप से ग्रामीण दर्शकों को सम्बोधित कार्यक्रमों के अलावा, मूल रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले 50 प्रतिशत कार्यक्रम ग्रामीणोन्मुख होते हैं।

बीस लाख घड़ियों के पुर्जों के निर्माण के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की योजना

2125. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने प्रतिवर्ष 20 लाख घड़ियों के पुर्जों का निर्माण करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने की एक योजना सरकार को प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की स्थापना किस तारीख को तथा किस स्थान पर करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या पंजाब के होशियारपुर जिले में जो एक पिछड़ा जिला है, एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) : सरकार ने प्रतिवर्ष 20 लाख अतिरिक्त घड़ियों का निर्माण करने के लिए एच० एम० टी० की परियोजना को हाल ही में मंजूर किया है। परियोजना का एकक जिसमें घड़ियों के विशिष्ट हिस्से पुर्जों का निर्माण होगा कर्नाटक में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले तुमकुर में स्थापित किया जायेगा। पुर्जे जोड़ कर घड़ियां बनाने का काम जिसमें अधिक श्रमिक लगेंगे, देश में 14 केप्टिव असेम्बली यूनिटों में किया जायेगा। इनमें से एक एकक पंजाब में स्थापित किया जायेगा। पंजाब में इस कारखाने की स्थापना के लिए जिले का चयन एच० एम० टी० के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाना है।

भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध आरोप

2126. **श्री वयालार रवी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों पर मामले दर्ज किये गये हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) ऐसे भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके मकानों की इस संबंध में तलाशी ली गई थी और इन तलाशियों के दौरान एकत्र की गई जानकारी का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के विचाराधीन मामले वर्तमान सरकारों द्वारा वापस ले लिये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : मार्च, 1977 के पश्चात्, किसी भी केन्द्रीय अन्वेषण एजेन्सी द्वारा किसी भी भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध उसके मुख्य मंत्री के रूप में अपने पद पर कार्य करने से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार को भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के ऐसे किन्ही लम्बित मामलों की जानकारी नही हैं जिन्हें वर्तमान राज्य सरकारों द्वारा वापस ले लिया गया हो ।

Shortage of Power to Industries in Bihar and U.P.

2127. **Shri Mani Ram Bagri :** Will the Minister of **Industry** be **pleased to** to state :

(a) whether production in industries of Uttar Pradesh has considerably gone down because of the shortage of power;

(b) if so, the extent to which the production has gone down; and

(c) the action being taken by Government to remove the power shortage so that the production of those industries may increase?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) & (b) : The production trends in selected industries in Uttar Pradesh indicate that there is increase in production in certain industries e.g. Agricultural Tractors, Bicycles, Giant Tyres, Soda Ash, Matches and Baby Food but, on the other hand, the production has declined in other industries such as Aluminium, Dry Batteries. Storage Batteries, Soaps, Cement, Paper and Paper Board, Nitrogenous Fertilizers, Phosphatic Fertilizers, Caustic Soda, Oxygen Gas, Dissolved Acetylene Gas and Scooters. It is very difficult to assess precisely the estimated loss in industrial production due to power shortage alone as production losses are also due to a number of other constraints such as shortage of imported and indigenous raw materials, non-availability of adequate fuel, lack of finance, slackness in demand, labour disputes etc.

(c) The following steps have been initiated in the direction of reducing the affects of power shortage:

(i) Guidelines for energy conservation have been formulated and forwarded to the State Governments for adoption,

(ii) In a number of industrial units, diesel generating sets are being used to make up the shortage of electrical energy,

(iii) Power generation through gas turbine sets has been recommended,

(iv) Power supply from surplus States to adjacent deficit areas is being arranged to the extent possible,

(v) Hastening the installation and commissioning of the projects in hand.

Places Manufacturing Oil Engines

2128. **Shri Dharmasinbhai Patel :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the names of the places in which oil engines are manufactured indicating the number of engines manufactured there during the last three years; and

(b) the number of oil engines exported already from Gujarat during the last three years?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) Statements I and II are laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. L.T.—1215/77].**

(b) Export statistics are compiled for the industry as a whole. The value of export of Diesel Engines and Parts during the last three financial years are as follows:—

	(Rs. in lakhs)
1974-75	1,910.92
1975-76	2,111.17
1976-77 (Provisional)	3,241.00

However, the value of the Diesel Engines and Parts exported from Gujarat is estimated to be as under:—

	(Rs. in lakhs)
1973-74	246.88
1974-75	535.35
1975-76	681.42

Production and prices of T. V. Sets

2129. **Shri Dharmasinbhai Patel :** Will the Minister of **Electronics** be pleased to state :

(a) the year-wise number of Television Sets produced in the country during the past three years;

(b) the number thereof to be produced during 1977-78; and

(c) whether the prices of television sets are fixed by Government and if so, the details thereof?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) Production of TV sets during the last three years is as follows:

Calendar year	Number
1974	75,744
1975	96,908
1976	1,43,777

(b) According to present estimates, about 2,30,000 TV sets are likely to be produced during the Calendar year, 1977.

(c) No, Sir.

Industrial Licences Granted in Gujarat District-wise

2130. **Shri Dharmasinbhai Patel :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of industrial licences granted in Gujarat, district-wise, during 1976-77 and in 1977-78;

(b) the number of applications pending at present and the reasons therefor;

(c) the names of applicants whose applications are pending together with their details; and

(d) when a decision thereon is likely to be taken?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) 85 Industrial Licences and 73 Letters of Intent were issued during 1976-77 (April '76—March '77) and 27 Industrial Licences and 45 Letters of Intent were issued during April-September '77 for Gujarat State.

(b) to (d): 68 applications for Industrial Licences for Gujarat State out of the licensing applications for received in the Secretariat for Industrial Approval till 30-10-1977, are pending. Details of pending applications are not normally disclosed. Important considerations such as availability of infrastructure, raw materials, know-how demand, capacity installed etc. are kept in view while taking decisions on Industrial Licensing applications. However, every effort is being made to dispose of pending applications as expeditiously as possible.

ऊषा बाजार, अगरतला में सीमा सुरक्षा बल द्वारा गोली चलाया जाना

2131. **श्री के० लकप्पा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मछली व्यापारियों और सीमा सुरक्षा बल के कुछ व्यक्तियों के बीच संघर्ष होने पर सीमा सुरक्षा बल ने अगरताला के ऊषा बाजार में 3 अक्तूबर, 1977 को गोली चलाई थी, जिसमें दो व्यक्ति घायल हो गये थे और चार व्यक्ति मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गोली चलाने के लिए सीमा सुरक्षा बल के व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या किसी जांच का आदेश दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क), (ख), (ग), तथा (घ) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

लाइसेंसों और आशय-पत्रों का रद्द किया जाना

2132. **श्री के० लकप्पा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सरकार द्वारा जारी किये गये बहुत से औद्योगिक लाइसेंस और आशय-पत्र रद्द किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1977 तक ऐसे कितने लाइसेंस और आशय-पत्र रद्द किये ;

(ग) किन पार्टियों के लाइसेंस और आशय-पत्र रद्द किये ;

(घ) प्रत्येक मामले में लाइसेंस रद्द करने के क्या आधार हैं ; और

(ङ) क्या उनके स्थान पर नये लाइसेंस जारी किये गये हैं और यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें लाइसेंस दिये गये है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : अप्रैल से अक्टूबर, 1977 की अवधि में 67 औद्योगिक लाइसेंस और 173 आशयपत्र रद्द/प्रतिसंहृत किए गए/व्यपगत हुए।

(ग) रद्द/प्रतिसंहृत/व्यपगत औद्योगिक लाइसेंसो/आशयपत्रों के पार्टियों के नामों आदि के साथ विवरण "आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की मासिक सूची में" प्रकाशित किए जाते हैं। जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) औद्योगिक लाइसेंसों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 12 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन लाइसेंसधारियों द्वारा वैद्यता की अवधि के भीतर औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये प्रभावी कदम उठाने में असफल होने के कारण रद्द/प्रतिसंहृत किया गया। आशयपत्रों में उल्लिखित शर्तें उद्यमियों द्वारा वैद्तावधि के भीतर पूरी न की जा सकने के फलस्वरूप आशयपत्र वैद्यता की अवधि समाप्त होने के साथ ही व्यपगत हो गए।

(ङ) औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र रद्द कर दिए जाने के बाद उद्यमी को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नया आवेदन पत्र देना होता है।

रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री द्वारा वायु सेना के विमानों के उपयोग के बारे में 6-4-1977 के अतारांकित प्रश्नसंख्या 80 के उत्तर में शुद्धि करनेवाला विवरण

CORRECTING STATEMENT TO USQ 80 DT. 6-4-1977 TO USE OF IAF PLANES BY FORMER MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE

6 अप्रैल 1977 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 80 में यह सूचना मांगी गई थी कि रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री जानकी वल्लभ पटनायक ने जनवरी, 1976 से 15 मार्च, 1977 तक कितनी बार भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग किया और उनकी यात्रा का क्या प्रयोजन था तथा उन्होने किन-किन स्थानों की यात्रा की।

2. उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में जो विवरण संलग्न किया गया था, उसमें अन्य बातो के साथ-साथ क्रम संख्या 56 में यह बताया गया था कि राज्य मंत्रीजी ने 15-12-76 को दिल्ली से चारबतिया तक विमान से यात्रा की थी। यह सूचना गलत थी।

3. इस बारे में सही स्थिति यह कि यद्यपि 15-12-76 को मंत्री जी की विमान यात्रा का कार्यक्रम दिल्ली से चारबतिया के लिए था परन्तु यह यात्रा वस्तुतः 16-12-76 को दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए की गई थी। इसलिए दिनांक 6-4-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर में दिए गये विवरण की क्रम संख्या 56 के सामने की प्रविष्टि में निम्नलिखित रूप से संशोधन किए जाने की आवश्यकता है :—

"56. 16-12-76 — दिल्ली—भुवनेश्वर"

4. अतः इस अवसर पर मैं पहले दिए गए उत्तर को उपर पेरा 3 के अनुसार सही करता हूं।

5. अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर में गलती का पता जब चला जब 27 जुलाई 1977 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5061 का उत्तर तैयार किया जा रहा था। इस बारे में सही स्थिति 27 जुलाई 1977 के उत्तर में दे दी गई थी। परन्तु प्रस्तुत उत्तर को सही करने का विवरण

पिछले सत्र में सदन पटल पर रखने का समय नहीं रह गया था। इसलिए यह विवरण अब सदन-पटल पर रखा जा रहा है।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकीट): अधीन कार्य की एक मद पर विचार पूरा कर लिया गया है और इससे पहले कि आप दूसरी मद लेते हैं, मैं नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। गत कुछ दिनों से सभा का सत्र चल रहा है और हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं तथा रेल मंत्री प्रो० दंडवते ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उन्हें संगठित तोड-फोड़ करने वालों का संदेह है और इस विषय पर चर्चा कल समाप्त होगी। इस बीच गृह मंत्री रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कुछ तत्वों तथा लोकतंत्र विरोधी शक्तियों की ओर संकेत भी किया है। क्या आप इसे उचित समझते हैं कि गृहमंत्री ऐसे समय में सभा के बाहर कोई वक्तव्य दें जबकि मामला सभा के विचाराधीन हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले के औचित्य पर निर्णय करने नहीं जा रहा हूं।

श्री वयालार रवि : मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि जब सभा इस मामले पर विचार कर रही है तो मंत्री महोदय को ऐसा नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद पर विचार करते समय हम इस मामले पर विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : मैंने परसों स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। कल आपने आश्वासन दिया था कि इसे 1 दिसम्बर को लिया जायेगा। दस मिनट पहले ही आपके कर्मचारी आये और कहा कि उस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने किस अधिकार से ऐसा कहा? क्या आप इसी ढंग से लोक सभा चलाना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सहयोग देंगे तो मैं बेहत्तर ढंग से संचालन कर सकूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : मैंने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी-अभी उत्तर मिला है।

श्री० सी० एम० स्टीफन : दूसरी बात यह है कि मैं श्री वयालार रवि द्वारा उठाये गये प्रश्न पर विनिर्णय चाहता हूं। कम से कम आप कल अपना सुविचारित विनिर्णय दें।

श्री ओ० बी० अलगेशन (अरकोणम) : समुद्री-तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में हमारे स्थगन प्रस्ताव पर आपने आश्वासन दिया है कि इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसे कब लिया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : इसे कल लिया जायेगा।

श्री ओ० बी० अलगेशन: परन्तु कल के लिये आपने श्री बसु को उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कल दोनों ही प्रस्ताव विचारार्थ लिये जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब मैं अपने प्रस्ताव के लिये परसों तक प्रतीक्षा करने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : परसों काश्मीर का मामला है, उस अवस्था में परसों भी दो प्रस्ताव हो जायेंगे। आप इसे या तो कल या परसों रख सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परसों। इसके अतिरिक्त मैंने नियम 377 के अधीन आपको महत्वपूर्ण मामले के बारे में लिखा है क्योंकि देश में खाद्य तेल के घोटाले का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे यह मामला सभा के समक्ष उठाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले पर दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की अनुमति दी है। आगामी दो दिनों के लिये 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और नियम 377 के अधीन 4 मदों की अनुमति दी है।

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : मैंने भाषाओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लंदन में दिये गये वक्तव्यों के बारे में गृह मंत्री का ध्यान दिलाने के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में भी मैंने जानकारी मांगी है।

श्री के० राममूर्ति : मैंने इसे 16 तारीख को दिया था और 19 को मैं आपसे मिला। मुझे नहीं मालूम कि अब क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे पास आइये, हम इस बारे में बातचीत करेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

समाचार एजेंसियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : मैं समाचार एजेंसियों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटलपर रखता हूं।
[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1201/77]

नारियल जटा उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत पत्र तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नारियल जटा बोर्ड के वर्ष 1975-76 के कार्यकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) नारियल जटा बोर्ड के 1 अप्रैल, 1976 से 30 सितम्बर, 1976 की अवधि के कार्यकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण सम्बन्धी अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 1202/77]

(3) (एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा सांख्यिकीय विवरण।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1203/77]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1394 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1395 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1977, जो दिनांक 12 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1534 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 12 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1535 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1977, जो दिनांक 12 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1536 में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम 1977, जो दिनांक 12 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1537 में प्रकाशित हुए थे।

(7) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या [illegible]ण) सोलहवां संशोधन विनियम, 1977, जो दिनांक 12 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1538 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल० टी० संख्या 12 77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान देना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPOR TANCE

Sabotage of Vital Installations

Shri Shiv Sampati Ram (Roberts ganj): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon: "the recent wave of incidents of sabotage in the country directed against vital installations like Railways, A.I.R., Power Plants, etc., causing heavy loss of life and extensive damage to property."

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : संदेहयुक्त तोड़-फोड़ की हाल की घटनाओं के कारण हमें बड़ी चिन्ता हुइ है और इससे जनता के मन में स्वभावतः शंकायें उत्पन्न हुई है। केवल इसी महीने में 25 तारीख तक 4 रेलवे दुर्घटनायें हुई है जिनमें परिस्थितियों के कारण तोड़-फोड़ का पक्का संदेह है–सबसे अधिक खराब दुर्घटना हरियाणा में अजरका और बावल के बीच 23 नवम्बर, 1977 को दिल्ली-अहमदाबाद मेल का पटरी से उतरना था जिस के कारण राज्य सभा के एक माननीय सदस्य समेत 19 व्यक्तियों की जाने गई। अन्य तीन दुर्घटनायें, 7 नवम्बर, 1977 को उत्तर प्रदेश में हकीमपुर और कैलसा स्टेशनों के बीच 375 अप बरेली-दिल्ली पैसेंजर, 19 नवम्बर को महाराष्ट्र में माना और मुरतीजापुर के बीच 30 अप माल गाड़ी के पटरी से उतरने, जिसमें 16 डिब्ब उलट गये थे और 24 नवम्बर, 1977 को महाराष्ट्र में संकीहोल केबिन और खांडला स्टेशनो के बीच 25 डाउन माल गाड़ी के इंजन और 12 डिब्बों के पटरी से उतरने से संबंधित हैं। सौभाग्यवश इन तीन दुर्घटनाओं में जान हानि और जख्मी होने का कोई मामला नहीं हुआ। रेलवे की उपयुक्त दुर्घटनाओं के अलावा 20 नवम्बर को उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज पावर प्लांट के गैस टर्बाइन में दुर्घटना के कारण उस राज्य में पावर जनरेशन के गंभीर रूप से अस्त व्यस्त हो जाने के अतिरिक्त लगभग 6 करोड़ रुपये की अनुमानित क्षति हुई। 25 नवम्बर 1977 को आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में आगजनी की दुर्घटना के कारण सभी टेपों, रिकार्डों, फर्नीचर और कार्यालय उपकरणों समेत कमरा नं० 53 पूर्णतः भस्म हो गया। इन घटनाओं से ऐसी शंकायें बढ़ गई है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई षड्यंत्र है।

2. ऐसी आशंकाओं को समझा जा सकता है। इसलिय संबंधित राज्य सरकारों तथा दिल्ली पुलिस से आग्रह किया गया है कि इन सभी घटनाओं को पूरी तरह तथा व्यापक रूप से जांच-पड़ताल करने में कोई कसर बाकी न रखी जायें। सभी महत्वपूर्ण संस्थानो की अधिक निगरानी करने तथा संरक्षण के उपाय भी आरम्भ कर दिये गये है। जांच-पड़ताल पूरे करने में तथा दोषी के विरूद्ध कानून के अनुसार सभी कार्रवाईयां करने में संबंधित कानून, प्रवर्तन एजेंसियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा भी पूरी सहायता दी जाएगी। तदनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरों जैसी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किये गये है कि उनके अधिकारी संबंधित सरकारों के साथ पूरी तरह सम्पर्क बनाये रखें, संबंधित क्षेत्रों का दौरा करें और सभी अपेक्षित विशेषज्ञ सहायता प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि सबंधित राज्य सरकारें इन घटनाओं के पीछे सभी तथ्यों का पता लगाने में कोई कसर नहीं रखेंगी।

Shri Shiv Sampati Ram (Roberts ganj) : May I know from the Government whether the situation can only be changed by consultations? Will any concrete action have to be taken for it? Whether any person or persons have been arrested so far? If so, the number thereof?

May I know whether the Government is aware of the threats given by the Anand Marg in the country and outside? If not, whether this may precipitate their activities?

What is the reaction of the Government to the reported conference of the Anand Marg to be held in London as also to the threat to kill people?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : Mr. Speaker, Sir, inquiry is going on, no person has been arrested so far. Inquiry is also going on into the activities of the Anand Marg. It cannot be said now as to whose hand is there in these activities. Only suspicion is there which can be about anyone. We shall get the London activities of the Anand Marg inquired.

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि देश में तथा विदेशों में हमारे दूतावासों तथा देश में कार्यालयों में आतंककारी घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं सबसे पहले बम्बई में जापान एयरलाइन्स के विमान के अपहरण की घटना से प्रारम्भ हुई। फ्रान्स में फ्रांसीसी सुरक्षा पुलिस ने अपने पत्रों में प्रकाशित किया है कि युरोप में आतंक कार्यों का एक संगठन है जो समूचे विश्व में आतंक फैलाता है और जिसके मुख्यालय में इन और बेडेन रोफ में हैं। कुछ शक्तियां राजनीतिक उद्देश्यों से जनता पार्टी को बदनाम करने और देश में अस्थिरता लाने के लिये आतंककारी गतिविधियों को साथ दे रही हैं। इन्हें बाहर से धन भी मिलता है। मैं नाम नहीं बताना चाहता परन्तु कुछ देश हैं जो यहां फासिस्ट प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या सरकार को इन सब बातों की जानकारी है और वह इन गतिविधियों का पूर्णतया दमन करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : सरकार माननीय सदस्य की भावना के साथ पूर्णतया सहमत है। जैसा कि हमने विवरण में कहा है कि हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चौकस हैं और सभी संभव उपाय कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य के पास विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी है और यदि वह उसे सरकार को देना चाहें तो हमें प्रसन्नता होगी।

Shri Shanker Singh Vaghela (Kapadvanj) : I would like to know from the Hon. Minister of Home Affairs as to what step the Government are going to take to check the rail-accidents?

Secondly, the persons from Employees Union of Hardwarganj Thermal Power Station have said that the accident could have been averted. I would like to know from the Hon'ble Home Minister as to how it was possible and whether full details been collected in this matter?

Thirdly, efforts were made to burn the tape in All India Radio which was about emergency excesses, such incidents may occur in Parliament House also. Is the Government worried about this? The Government should consider the demands of the representatives of the worker's union seriously.

Shri Charan Singh : The hon. Member has reiterated what Shri Yadvendra Dutta has said. Inquiry is going on. All concerned have been made alert. A few arrests in connection with rail accidents have been made in Moradabad and Maharashtra.

The views expressed by both the Hon. Members are right. We calculate that some persons want to create disorder in the country and thereby they want to prove that law and order can be maintained only by promulgating emergency.

It is our efforts that our country should progress and law and order should be maintained without interfering with the individual freedom and law of the land. Some people might be having their vested interests, but at the moment Government is not prepared to pin point those people and organisations. It would not be possible to make definite statement on the basis of suspicion only.

So far as Anand Margis are concerned, their threat is continuing for long. We had taken all possible steps. But despite all sorts of efforts, accidents and crimes have never vanished in the world, they could be minimised. Even in this task the governmental machinery cannot succeed without co-operation and assistance of the people. If any person see any individual moving near railway track in suspicious circumstances, he should be arrested and the authorities should be informed about it. Similarly persons in suspicious circumstances near electric installations, bridges, military installations and A.I.R. stations should also be apprehended.

We have come to the conclusion that the preparations are going on an organised scale to create disorder in the country. But the Government is vigilant in the matter.

I would not like to explain the steps which have been taken by the Government, the officers are implementing those steps and I have full confidence in the integrity of the officers, our Police, R.P.F. and other officials.

श्री समर गुह (कन्टाई) : इन दुर्घटनाओं के ये इक्के दुक्के मामले नहीं हैं। ये दुर्घटनायें सुनियोजित षड़यंत्र का परिणाम हैं।

समाचार पत्रों में अनेक तरह की बातें प्रकाशित हो रही हैं। आकाशवाणी में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैं इसे सौभाग्यपूर्ण समझता हूं, क्योंकि इससे गृह मन्त्री को षड़यंत्रकारियों के नेता और उनके उद्देश्यों का पता लगाने में सुविधा रहेगी। जिन लोगोंने आकाशवाणी केन्द्र में आग लगाई उन्होंने आकाशवाणी की इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास नही किया, बल्कि उस विभाग में आग लगाई, जहां आपातकाल के दौरान अपराधी व्यक्तियों के टेप रिकार्ड और भाषण रखे थे। इन षड़यंत्रकारियों का उद्देश्य यह था कि सभी दस्तावेजों और सबूतों को नष्ट कर दिया जाय, जिससे आपातस्थिति के अपराधी व्यक्तियों को शाह आयोग और अन्य आयोगों तथा न्यायालयों के निर्णयों से बचाया जा सके।

इन षड़यंत्रकारियों का उद्देश्य राजनैतिक था। वे देश में चिन्ता, भय, अनिश्चय और आतंक का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। वे सरकार के उन सभी प्रयासों को विफल कर देना चाहते हैं, जो लोकतान्त्रिक मूल्यों को पुर्नस्थापित करने के लिए यत्नशील है। ये व्यक्ति आपातकाल के पापों के दण्ड से बचना चाहते हैं।

आनन्दमार्गीयों को आकाशवाणी में तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि टेप रिकार्डों और दस्तावेजों को नष्ट करना उनका उद्देश्य नहीं हो सकता। यह कार्य राजनैतिक

10—350 L. S. S.(ND)/77

षड़यन्त्रकारियों का है। इसलिए इस मामले की गहराई से छानबीन किये जाने की आवश्यकता है। देश के सभी राष्ट्रभक्त नागरिकों को इन षड़यन्त्रकारियों की कोशिशों को असफल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रक्षा विभाग, गृह विभाग और केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को सजग कर दिया गया है जिससे अधिकारियों और सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

तीसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तोड़फोड़ विरोधी और जासूसी-विरोधी कार्यों में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों के एक सैल की स्थापना की जायेगी जिससे तोड़फोड़ करने वाले गिरोह का पता लगाया जा सके।

श्री चरण सिंह : मैं माननीय सदस्य और सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा प्रयास तोड़फोड़ करने वाले वास्तविक गिरोह और सही अपराधियों का पता लगाने का है। सरकार और उसकी एजेन्सियों अभी वास्तविक अपराधियों का सही पता नहीं लगा सकी है। आनन्दमार्गी धमकियां दे रहे हैं और अन्य सहयोगी संगठन कह रहे हैं कि वे निरपराध है और उनका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सही अपराधियों का पता लगाने में हम कोई और कारण नहीं छोड़ेंगे।

डा० वसन्तकुमार पण्डित (राजगढ़) : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि उन्होंने सभी केन्द्रीय संगठनों और राज्य पुलिस तथा रेलवे एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय करने के लिए जांच पड़ताल करने और उन्हें निर्देश देने के लिए किसी पृथक सैल की स्थापना की जा रही है? क्या विभिन्न राज्य सरकारों के पुलिस महानिरिक्षकों की बैठक आयोजित करने के बारे में उन्होंने सोचा है?

मैं गृह मन्त्री से यह भी जानना चाहता हूं कि कितने आनन्द मार्गी देश छोड़कर विदेश चले गये हैं? विदेशों में बढ़ रही आतंक की घटनाओं से यह पता चलता है कि आनन्द मार्ग और प्राउटिस्ट ब्लाक का इन घटनाओं से सीधा सम्बन्ध है। गृह मंत्री यह सत्र समाप्त होने से पूर्व सदन को यह बताने कि अभी जो कार्यवाही की गई है उसके क्या परिणाम निकले हैं और भविष्य में क्या कार्यवाही की जाने वाली है?

श्री चरण सिंह : 27 तारीख को हमने उच्च अधिकारियों की बैठक आयोजित की थी और हमने एक सैल की स्थापना की है जो जांच पड़ताल के कार्य की निगरानी करेगा। मैं सभी सदस्यों के सुझाओं का स्वागत करूंगा और मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सत्र समाप्त होने से पहले ही मैं वक्तव्य देने का प्रयास करूंगा।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
आठवां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : मैं भारत के नियंत्रण तथा महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खण्ड I, अप्रत्यक्ष कर के संघ उत्पाद शुल्कों सम्बन्धी पैरीग्राफों पर लोक लेखा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

आठवां प्रतिवेदन

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपूर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संल्कपों सम्बन्धी समिति का आठवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामलें
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) उत्तरी बिहार में सूखे एवं भूखमदी की स्थिति।

(दो) पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खां की गिरफदारी के बारे में समाचार।

(तीन) 8.33 प्रतिशत बोनस की मांग को लेकर, रेलवे, रक्षा उपक्रमों आदि के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन।

(चार) ग्रामीण क्षेत्रों में सरसों के तेल और तोरियां के तेल जैसे खाद्य तेलों में भारी कमी, मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों पर नियंत्रित कपड़े का उपलब्ध न होना।

Shri Lakhan Lal Kapoor (Purnea): Sir, I had given notice to raise this matter on 13th instant, but I am sorry to say that I have been allowed to raise this matter after 17 days when millions of people are facing starvation in North Bihar.

Due to drought and untimely rains, crores of people have become unemployed. Due to pitiable economic condition and for want of purchasing power they have nothing to eat. I have visited hundreds of villages and I have found that despite thirty years of freedom, our Harijans and tribals are eating snails since July. The tribals in Chhota-Nagpur area are eating forest roots and non-edible items and as a result they are suffering from various diseases.

On 10th of October in the meeting of D.D.C., I had said that such unemployed persons should be given work under "Food for work" scheme but D.M. replied that F.C.I. was not supplying the foodgrains. Some arrangements should be made to save these people from starvation.

श्री समर गुह (कंटाइ) : एक बार पहले भी मैंने खान अब्दुल गफ्फार खाँ की बीमारी के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँ जो इस समय 95 वर्ष के हैं, की गिरफ्तारी के समाचार से हमें गहरा धक्का लगा है। वह इस समय पाकिस्तान के नागरिक हैं, लेकिन अपने देश के स्वाधीनता संग्राम में उनके महान योगदान को हम कभी भी नहीं भुल सकते हैं। भारतीय उप महाद्वीप में प्यार से उन्हें बादशाह खान और सीमान्त गान्धी कहा जाता है। हम पाकिस्तान सरकार से अपील करते हैं कि मानवीय आधार पर उन्हें रिहा कर दिया जाय और अपनी इच्छानुसार वे जहां भी जाना चाहें

[श्री समर गुह]

उन्हें जाने दिया जाय जिससे अपने जीवन के अन्तिम दिन वे शान्ति पूर्वक गुजार सकें। मुझे आशा है कि संकीर्ण तकनो की राजनयिक भावना में पाकिस्तान सरकार इसे अपने आन्तरिक मामलों में दखल नहीं समझेगी।

श्री सौगत राय (बैरकपूर) : श्रीमन् जी, कल इन्टक से सम्बद्ध रेलवे रक्षा उपक्रमों डाक तार और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने 8.33 प्रतिशत बोनस की माँग के समर्थन में बोट क्लब पर प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने अपनी माँगों के बारे में आपको एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था और यह मामला सदन में उठाने की अनुमति भी मांगी थी।

8 अगस्त, 1977 की एक सरकारी अध्यादेश द्वारा औद्योगिक संस्थानो और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस देय कर दिया गया है, लेकिन रेल कर्मचारियों को इससे वंचित किया गया है जिससे उनमें काफी असन्तोष व्याप्त है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों, डाक-तार और अन्य विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों के बारे में सरकार चुप्पी साधे बैठी है। इन्टक से सम्बद्ध रक्षा कर्मचारियों के फेडरेशन का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं। सबसे बड़ा आयुध कारखाना अर्थात् इच्छापुर आयुध कारखाना मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें 18,000 रक्षा कर्मचारी कार्यरत हैं। रक्षा कर्मचारियों को बोनस से वंचित किये जाने से उनकी आशाओं पर तुषारापात हुआ है। यही नहीं, रक्षा कर्मचारियों की अनेक समस्यायें सरकार के समक्ष काफी समय से विचाराधीन हैं।

विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों में व्याप्त घोर असन्तोष की भावना से मैं आपको अवगत करना चाहता हूं। इन कर्मचारियों की उन नेताओं से बड़ी बड़ी आशायें हैं, जो मजदूर आन्दोलन में उनके साथ थे और अब सरकार में मंत्री है। जब कांग्रेस सरकार ने बोनस की दर में कटौती की थी, तब मजदूर नेता होने के नाते हमने उसका विरोध किया था। अब हम पुनः माँग करते हैं कि इस माँग पर विचार किया जाय।

अगर सरकार के पास बोनस देने के लिए धन की कमी है, तो कम से कम सरकार को उनकी माँग तो स्वीकार कर लेनी चाहिए। रेलवे कर्मचारियों ने कहा है कि यदि उन्हें एक समय भी बोनस दिया जाता तो वे यह समझते कि सरकार ने उनकी बोनस की माँग को स्वीकार कर लिया है। सरकार के रवैये ने रेलवे, रक्षा और डाक तथा तार विभाग जैसे उपक्रमों के कर्मचारियों को निराश किया है। मैं बोनस और इन उपक्रमों को होने वाले लाभ का उचित भाग उन्हें देने के संबंध में इन कर्मचारियों का ज्ञापन अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करता हूं।

Shri Yuvraj (Katihar): About 82 percent people live in villages and they are very backward. The distribution of consumer goods among them is wholly unsatisfactory. The mustard oil, rapeseed oil and controlled cloth are not available to them. The villagers have to purchase them at high rates. The Government have opened fair price shops to distribute controlled cloth but the cloth is of very inferior quality.

Oil, controlled cloth etc. are not available in the fair price shops in the villages but one can purchase them at higher prices. The purchasing power of the villagers have dwindled and they cannot purchase these items.

Everywhere corruption is rampant. The distribution system is highly unsatisfactory and insufficient. Bihar is a most backward State. Our Minister Shri Mohan Dharia had assured that any shortage of oil will be compensated immediately but nothing has been done on my letter which I wrote him regarding shortage of oil there. The unorganised agricultural labourers cannot raise their voices. I hope the Government will give attention to their problems.

'समाचार' के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re : STATEMENT ON SAMACHAR BY THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING

अध्यक्ष महोदय : यह सभा श्री समर गुह के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 'समाचार' के बारे में 14 नवम्बर, 1977 को सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

अध्यक्ष महोदय : इस पर मध्याह्न 2 बजे विचार किया जायेगा।

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर नौ मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at nine minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष **महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह

श्री **समर गुह** (कन्टाई) : सरकार ने आपातस्थिति के दौरान अनगिनत बर्बर जुल्म ढाये। उसने समाचार एजेंसियों की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास किया। लोकतंत्र तब ही सुचारू रूप से चल सकता है, जब प्रचार माध्यमों विशेषकर संवाद अभिकरणों और समाचारपत्रों को आजादी उपलब्ध हो।

तानाशाही अथवा निरंकुश शासन में प्रचार माध्यमों को सर्वप्रथम दबाया जाता है। आपात स्थिति के दौरान ऐसा ही प्रयास किया गया और चार संवाद अभिकरणों को जबरन एक समाचार एजेंसी अर्थात् 'समाचार' के अन्तर्गत लाया गया।

'समाचार' का उद्भव गलत तरीके से हुआ। यह एक अलोकतंत्री व्यवस्था है जनता पार्टी का सर्वप्रथम कर्तव्य इसे समाप्त करना देना चाहिए। किसी देश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समाचारपत्रों की स्वतंत्रता सर्वप्रथम आवश्यक है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस दिशा में पहला कदम उठाया है और भारतीय समचार एजेंसी को दासता से मुक्त किया है।

[श्री समर गुह]

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, यूनाइटिड न्यूज आफ इंडिया, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार को उनकी पूर्व स्थिति प्राप्त हो गई है। अब यह निर्णय करना उनका कार्य है कि वे किस प्रकार मुक्त वातावरण में अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित करते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम सही है क्योंकि इससे समाचार एजेंसियां भविष्य में स्वतंत्र वातावरण में कार्य कर सकेंगी।

'समाचार' के विघटन की कुछ आलोचना हुई हैं। लेकिन इस संबंध में नियुक्त समिति के किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि 'समाचार' को इसके वर्तमान रूप में रखा जाना चाहिए परन्तु इसमें बहुमत यह था कि पहले के समान चार के स्थान पर तीन एजेंसियां यथा वार्ता संदेश और न्यूज इंडिया (जो अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को देखे) होनी चाहिए। यह निर्णय करना प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, यूनाइटिड न्यूज आफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती पर है कि वे क्या कदम उठाना चाहेंगे यदि सरकार निर्णय लेती है कि 'समाचार' को तीन समाचार एजेन्सियों में विभक्त किया जाये तो ऐसा करना एक एकाधिकारी एजेंसी को तीन एकाधिकारी एजेंसियों में विभक्त करना होगा।

दूसरा, यदि सरकार 'समाचार' को अपनी इच्छानुसार विभिन्न समाचार एजेंसियों में विभक्त करती है तो उस पर वही आरोप लगाया जायेगा जो पिछली सरकार पर लगाया गया था। इसलिए सरकार का स्वयं पहल करना एक गलत कदम होगा।

सरकार द्वारा नियुक्त समिति का एक विचारार्थ विषय 'समाचार' के भावी ढांचे पर विचार ... ोने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि समाचार का विघटन करके कुछ अन्य एजेंसियां बनाई जानी चाहिये जिस पर सरकार का नियन्त्रण हो। ऐसा करना गलत होगा।

इस समिति ने एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति की है। इसने अनेक प्रसिद्ध पत्रकारों से विचार विमर्श किया है। ऐसा करना न केवल सरकार अपितु, एजेंसियों के लिए भी लाभदायक है। यह निर्णय करना एजेंसियों पर है कि वे अपना विकास किस प्रकार करना चाहेंगे।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का समर्थन करता हूं कि हमें आपात स्थिति के पूर्व की स्वतंत्रता बहाल करनी चाहिए तथा पत्रकारों को उनकी स्वतंत्रता दिलानी चाहिए ताकि वे निर्भय होकर सोच विचार कर सकें। सरकार का यह निर्णय है कि उन्हें समाचार एजेंसी का निर्माण नहीं करना चाहिए अथवा किसी समाचार एजेंसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं।

इस समय जनता सरकार लोकतंत्री पद्धति तथा मूल्यों के अनुसार कार्य कर रही है परन्तु आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जनता पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी इन मूल्य में आस्था न हो या कल दूसरा दल सत्ता में आ सकता है। इसलिए एक एकाधिकारी समाचार एजेंसी बनाने का प्रयास हो सकता है जो सत्तारुढ़ दल के उद्देश्य की पूर्ति करे।

इस संबंध में एक सांविधिक चार्टर की सिफारिश की गई है। सांविधिक चार्टर के अन्तर्गत एक समाचार एजेंसी बनाना उद्देश्य है। इसके लिए सरकार को एक कानून बनाना पड़ेगा जिसमें समाचार पत्र को स्वतंत्रता व निष्पक्षता प्रदान की जा सके। परन्तु कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा। आपात-स्थिति के दौरान जितने अत्याचार किए गए वे सब कानून की सहायता लेकर किए गए अतएव संविधान में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि भविष्य में कोई भी राजनैतिक दल अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु समाचारपत्रों की स्वन्तंत्रता को समाप्त न कर सके।

समाचार पत्रों को सभी प्रकार के निहित स्वार्थों, सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनैतिक और शासकीय प्रभाव से मुक्त करना चाहिए। मैं इस सिफारिश का भी समर्थन करता हूं।

एक अन्तर्राष्ट्रीय समाचार सेवा का निर्माण करने की सिफारिश की गई है। आपातस्थिति के दौरान गुटनिरपेक्ष देशों की एक न्यूज एजेन्सी बनाई गई थी पर उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा। 'समाचार' द्वारा दिए गए समाचार पक्षपातपूर्ण होते थे और उनको तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता था। जब अन्य देशों की समाचार एजेंसियों ने 'समाचार' द्वारा दिए गए समाचारों को प्रमुखता नहीं दी तो तत्कालीन सरकार ने गुटनिरपेक्ष देशों की न्यूज एजन्सी बनाइ। समाचार को अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों से अपना समझौता रद्द करने के लिए कहा गया। मैं गुटनिरपेक्ष देशों की न्यूज एजन्सी के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु इसका उपयोग दलीय और निजी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस न्यूज एजन्सी को अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के साथ सहयोग काम करना चाहिए।

कुलदीप नायर समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि 'समाचार' के समाचार देने के मामले में जो गलत बातें हुइ हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए। अनेक संवाददाताओ ने अतिउत्साह में आकर आपातस्थिति का समर्थन किया। मेरा स्थानापन्न प्रस्ताव यह है कि संवाददाताओं को स्वयं जांच करके संवाददाताओं पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। प्रेस परिषद को यह देखना चाहिए कि किस प्रकार समाचार एजेंसियो को निर्भीक, निष्पक्ष और इमानदार बनाया जा सकता है। उसे उन संवाददाताओं का पता लगाना चाहिए जिन्होंने आपातस्थिति के दौरान समाचार देने के मामले में अनियमितताएं बरती हैं। मेरा स्थानापन्न प्रस्ताव यह है कि तीन प्रमुख सेवानिवृत्त संवाददाताओं की एक समिति बनाइ जानी चाहिए जो आपातस्थिति के दौराम संवाददाताओं द्वारा भूतपूर्व प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के उल्लघंन के मामलो की जांच करे।

यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों ने अपने वेतन आदि के बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं। मंत्री महोदय ने उनको आश्वासन दिया है कि तीन वर्षों तक उनके वेतन-आदि वही रहेंगे। उसके बाद समाचारपत्रों के मालिकों का यह कर्यव्य हो जाता है कि वे उनके वेतन आदि के मामले में कोई नुकसान न होने दें। यदि कर्मचारियों की आशंका कही निकलती हैं तो सरकार उन पर पुनर्विचार करेगी।

'समाचार' का उपयोग आपातस्थिति के दौरान गलत तरीके से किया गया। उन्हें कोइ स्वतंत्रता नही थी और वे एक भय तथा आतंक के वातावरण में कार्यकर रहे थे। अब उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। वे अब अपनी भावी नीति निर्धारित कर सकते हैं और अपना ढाचा या संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, सरकार को ओर से उन्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : म अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Yuvraj : I beg to move my amendment No. 2.

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव सं० 4 प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) द्वार स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा के सम्मुख हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : मैं इसका विरोध करता हूं। देश में स्वतंत्र समाचार एजेंसी बनाने का बहुत पहले भी प्रयास किया गया था। हम स्वतंत्रता से पूर्व से ही अन्तर्राष्ट्रीय संगठन रायटर से सम्बद्ध है। स्वतन्त्रता के बाद भारत की एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने का सुनियोजित प्रयास किया गया। अन्त में चार समाचार एजेंसियां बनाई गई। इस अवस्था में 'समाचार' का विकास हुआ। इस बारे में हमें देश के समाचारपत्रों की समस्याओं, वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना होगा। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि क्या देश मे कार्यरत एजेंसियां जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।

मुझे विदित हुआ है कि कुल 500 जिलों में से उक्त चार एजेंसिया केवल 50 अथवा इससे कुछ अधिक जिलों से सम्बन्धित समाचार एकत्र करती हैं। समस्त ग्रामीण क्षत्रों की उपेक्षा की गई है। पी० टी० आई० और यू० एन० आई० दोनों ही एजेंसियों से केवल 18 समाचार पत्रों को समाचार प्राप्त होते हैं।

समाचार एजेंसियों के संसाधन सीमित हैं अत: वे पूरे देश के समाचार देने में असमर्थ हैं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, हम केवल वही ले रहे हैं जो हम अन्तराष्ट्रीय एजेंयों ने दिया है। हमारी समाचार एजेंसीयों का अपना कोई प्रतिनिधि वहां नहीं है हमें केवल वही समाचार प्राप्त होते हैं जो हमें अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों से मिलते हैं। पहले चार समाचार एजेंसियां की जो दिवालिया हो गई थीं। उनकी वित्तीय क्षमता नहीं थी। उन्हें राज सहायता के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। शेष एजेंसियों को केवल वही समाचार मिलते थे जो बड़े समाचारपत्रों के मालिक उन्हें अपने औद्योगिक हित में देते थे। प्रश्न केवल श्रमजीवी पत्रकारों का नही है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवर्य नहीं है कि देश के लोगों को पूरी तथा सही जानकारी मिले। 'समाचार' एजेंसी के स्रोत से जानकारी उपलब्ध की जा सकती है। समाचार-पत्र एक ऐसा साधन है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। समाचार प्राप्त करने के अन्य साधन दुरदर्शन और आकाशवाणी हैं। साधन चाहे जो भी हो उद्द्श्य 'समाचार' एजेंसियों को जानकारी उपलब्ध कराना है। श्री समर गह को आपात् स्थिति का भूत सवार होने . . . (अंतर्बाधाएं)

श्री समर गुह (कन्टाई): उन्हें 'भूत सवार' है शब्द वापिस लेना चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन : देश में उक्त चार समाचार एजेंसियों की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी हम वास्तव में चाहते हैं। उनमें से प्रत्येक दिवालियां होतीं जा रही थी। एजेंसियों ने अपना उद्देश्य पूरा किया है। समिति द्वारा प्रस्तुत खातों की जांच से यह विदित हुआ था कि समाचार एजेंसियां अपनी वैध फीस का भी भुगतान नहीं कर रही थी। पत्रकारों को कम वेतन दिया जा रहा था और वह भी बकाया रह जाता था।

स्थिति में परिवर्तन हो गया है और उन्हें एकत्र करने का प्रयास किया गया था। सरकार ने उन्हें यह बताया है कि उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन से कोई चन्दा नहीं मिलेगा। वे स्वयं को आत्म-निर्भर बनायें। एजेंसियां हमें तब ही अति उत्तम सेवा प्रदान कर सकती हैं जब वे सभी स्त्रोतों को एक साथ जुटायें। यदि सरकार यह समझती है कि समाचार एजेंसियां ठीक सेवाएं प्रदान नहीं कर रही हैं तो वह उनकी सहायता में कमी कर सकती है।

'समाचार' आज संसाधनों को जुटाने को समर्थ है। आज अधिक क्षेत्र इसके अन्तर्गत आते हैं। क्या यह 'समाचार' का विकास नहीं है ?

आंध्र में समुद्री तूफान आने पर 'समाचार' ने वास्तव में सराहनीय कार्य किया था। प्रश्न यह है कि 'समाचार' का गठन उचित तथा तर्कसंगत है अथवा नहीं ? चाहे उक्त कार्यवाही दबाव में आकर करनी पड़ी हो लेकिन यह उचित दिशा में कार्यवाही थी। सब संसाधनों को पूल करने की यह प्राकृतिक कार्यवाही थी। आपात् स्थिति की देन समझकर इसको समाप्त कर देना उचित नहीं होगा। इसके लिये यह तर्क देना उचित नहीं होगा। हमें यह देखना है कि क्या यह देश की सेवा कर सकती है। समिति के तीन प्रसिद्ध सदस्यों ने 'समाचार' को समाप्त करने का विरोध किया है। अनेक प्रमुख पत्रकारों ने भी इसका विरोध किया है। सरकार द्वारा नियुक्त कुलदीप नायर समिति ने भी पहले वाली स्थिति बनाये रखने का सुझाव नहीं दिया है। तब सरकार ऐसा क्यों कर रही है ?

सरकार एजेंसियों की स्वतंत्रता की बात करती है। वास्तव में उनकी सदस्यता कम की जा रही है और उन्हें कमजोर किया जा रहा है जिससे वे सरकार पर और अधिक निर्भर हों और सरकार की इच्छानुसार काम करें।

'समाचार' को एक सुदृढ़ संगठन बनाया जाना चाहिये। ग्राहकों, श्रमजीवी पत्रकारों, कर्मचारियों और संसद के प्रतिनिधियों द्वारा एक निदेशक बोर्ड निर्वाचित किया जाना चाहिये। वह बोर्ड 'समाचार' पर नियंत्रण रख सकता है और वह स्वतंत्र होगा। सरकार को दरें वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित करनी चाहिये तदर्थ आधार पर नहीं।

'समाचार' को किसी भी सरकार के इशारे पर नाचने से तब ही रोका जा सकता है जब इसको समाप्त करने की बजाय इसके ढांचे का पुनर्गठन किया जाये। इसके ढांचे का पुनर्गठन उचित तरीके से किया जाना चाहिये ताकि यह देश की सेवा कर सके। यदि 'समाचार' को समाप्त किया जाता है तो यह दुःख की बात होगी।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : In a Statement given by eight members of Congress Party, including Shri Bedabrata Barua, it has been demanded *status quo ante* may be resorted to in regard to Samachar. Samachar is an emergency product. Janata Government gave full liberty to those agencies and it did not interfere in their affairs. In case the Government spends 6½ lakhs rupees on Samachar, it will naturally be influenced by the Government. The Government has taken a very bold step. The Government is returning Janata power to Janata. Now all the four agencies are free and they can consolidate themselves into two or three agencies or they may remain separate. The main problem in this matter is this that these agencies should not come under the influence of the Government. The Government has taken this step to do away with this practice. I want to congratulate the Government for this step.

The worst thing that happened in emergency was the full control of the Government on Press. I feel amused when some congressmen expressed views against the abolition of Samachar. We want that the Press should be independent. Not only this but Janta Party is committed to make A.I.R. and T.V. also

[Shri Kanwar Lal Gupta]

free in addition to the Press. On the one hand Government has declared that they will constitute autonomous body for A.I.R. and T.V. and on the other hand the 'Samachar' has been divided into different news agencies. Government deserve our congratulations for this. In so far as Janta Pary is concerned, it believes in a free and independent press.

During emergency period the B.B.C. did great service for us and our country. During those dark days it was next to impossible to know as to what is happening in foreign countries as well as in our own country. Even during such time B.B.C. was the only source of correct information. Therefore, I would like to suggest that like non-aligned news pool, we should have a linkage with B.B.C. also. B.B.C. did not yield to the pressures put on it by Indira Gandhi regime and it continued to give correct news at that time also. It deserves our praise for such a role.

Some Members are opposing the division of 'Samachar' into different news agencies and they are recommending for restructuring the 'Samachar' instead of its division into different units. I would like to ask them whether there will be no competition after dividing 'Samachar' into four news agencies. This step will encourage competitive spirit and objectivity among the different news agencies in reporting the events. It will eliminate the sole dependence on one news media. The functioning of many news agencies is essential from the point of view of proper news coverage.

Each news agency is expected to tell us objectively as to what is taking place in our own country as well as in the world. The press should put merits and demerits of Government before the people. At the same time, I would like to lay emphasis on the fact that the newspapers should give publicity to the developments and activities taking place in rural areas also, as the modern trend is to reflect urban activities more than the rural activities. Government should ensure that the developments and the constructive activities of the rural sector are properly reported in the press.

I agree with recommendation given in the Report of Kuldip Nayar Committee that gross professional misdemeanour in the Samachar during emergency should be enquired into and responsibility fixed. But I am of the view that this work should not be done by the Press Council but it should be done by a Parliamentary Committee, the members of which should be nominated by the Speaker. I request the Minister to accept this suggestion of mine.

As regards the supply of newsprint to the newspapers, I would like to say that the present practice of supplying newsprint through STC to the news papers should be stopped forthwith as it encourages blackmarket to newsprint and its prices go up. I suggest that it should be distributed to the newspapers according to their requirements on the basis of licence.

The Government have done a very good thing by giving a guarantee of 6 years for the employees of these news agencies. I congratulate the Minister for taking these steps.

Shri Ramji Lal Suman (Firozabad) : I Congratulate the Minister of Information and Broadcasting for bringing forth this measure to wind up the institution of 'Samachar' and to revive the four news agencies—P.T.I., U.N.I., Hindustan Samachar and Samachar Bharati.

Hon'ble Member Shri Stephen has said that the 'Samachar' was constituted voluntarily by the news agencies. In that context I want to say that the Managers of some newspapers did raise their objections to it. Not only this but the P.T.I. and the U.N.I. agencies were pressurised to merge in the Samachar by giving them a threat that Government would be no more their customer from 1st February 1976. It is well known that the Indian Express was put to great harassment by the then Government for expressing the views which were not in time with the Government views. It is therefore, wrong to say that all Managers expressed the view that 'Samachar' should be constituted.

It was on 13th July 1975 that an order was issued to the effect that no news item should be printed till it is cleared by an authorised officer. The Chief Censor issued an order to the effect that the articles opposing the Government measures or expressing disagreement about such measures should not be printed; no news item about any agitation should find place in the newspapers.

Under the democratic set up the Newspapers and News Agencies must be free while the previous government gave an abnormal shape to the 'Samachar' to achieve their selfish motives ignoring all democratic values.

A direction was issued on the 19th September 1975 to the effect that news regarding Bangla desh, petition of Shrimati Indira Gandhi in the Supreme Court and the proceedings of the Parliament etc. must be shown to the Samachar before publishing them in the Newspapers. It is, therefore, quite clear that that Government was exercising unnecessary control over the newspapers.

Press correspondents have been deprived of accommodation facilities. They were not allowed to visit foreign countries. Shri Mohammad Yunus, who was special representative of Shrimati Indira Gandhi was appointed in the Managing Committee of the Samachar resulting in direct interference of Shrimati Gandhi in the affairs of Samachar.

It is equally important to mention that the news regarding the arrest of Shrimati Indira Gandhi was covered by All India Radio. It shows that we want to give equal rights to all. But it is a matter of regret that the news regarding Shri Jay Prakash Narayan's refusal to accept the money sent by Shrimati Gandhi for his dyalasis was not covered either by Radio or the newspapers. It shows that at that time only those news items which were cleared by the 'Samachar' were published in the newspapers. The previous Government, thus, killed the freedom of Press totally.

I want to give some suggestions. Feelings and problems of the rural population should get expression and the newspapers should be published in the language of masses. Newspapers should be given maximum help and facilities to bring about social economic and political transformation so that the newspapers may present before the Government the views of both sides.

India should have a news service at international level to propagate and clarify India's view point and democratic values in the world.

In India there is a wide gap between the rich and the poor. Newspapers give full coverage to the ordinary utterings of big leaders but they never pay heed to the sufferings of lakhs of people in the country. I request that before

[Shri Ramji Lal Suman]

bringing any Bill before the legislature, the views of the people for whom the particular enactment is proposed to be made must be taken into account.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : 'समाचार' के विघटन के बारे में भारत सरकार के विरोध पर भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये गये है। यह कदम हमारे देश की एकता पर बुरा प्रभाव डालेगा। जनता पार्टी के कुछ सदस्यों ने भूतपूर्व सरकार तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर दोष लगाये हैं। किन्तु विशेषज्ञों और पत्रकारों ने कुलदीप नायर समिति के समक्ष इस निर्णय के विरुद्ध विचार व्यक्त किये हैं। वास्तव में यह कार्यवाही राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। कुलदीप नायर समिति के प्रतिवेदन का महत्व ही क्या है जब उसका सभापति स्वयं जनता पार्टी का समर्थक है।

शाह आयोग भी श्वेतपत्र की जांच कर रहा है। इनका कहना है कि प्रैस को स्वतंत्रता होनी चाहिये। किन्तु जब सरकार की आलोचना की जाती है या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसकी खबर अखबारों में नहीं आती। क्या इसे प्रैस की स्वतंत्रता कहा जा सकता है ?

अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि समाचार एजेंसियां देश और विदेशों से समाचार प्राप्त करती हैं। किन्तु क्या वे समाचार घटनाओं का सही रूप चित्रित करती हैं, नहीं। 'समाचार' की स्थापना के बाद श्रमजीवी पत्रकारों-कर्मचारीयों को 'समाचार' ने अपने अधीन कर लिया है जो पहले चार एजेंसियों के अधीन थे। अब सरकार पुनः उन कर्मचारियों को उन्हीं एजेंसियों को सोपना चाहती है। किन्तु इन व्यक्तियों को समाचार एजेंसियों की कृपा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

इससे स्पष्ट हो गया है कि जनता पार्टी की सरकार इन बड़े व्यापार गृहों के सहारे के बिना नहीं चल सकती है। यदि सरकार कुलदीप नायर समिति नियुक्त करने के बजाय कोई विधेयक लाती अथवा इस बारे में विशेषज्ञों की राय प्राप्त करती तो अधिक उपयुक्त होता। मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि सात प्रसिद्ध पत्रकारों ने समाचार को समाप्त करने की बजाय उसको पुनर्गठित करने का अनुरोध किया है।

उनका कहना है कि :

> "विलय से पूर्व चारों एजेंसियां आर्थिक कठिनाई में थी जिससे वे देश-विदेश के पूरे समाचार प्राप्त करने से वंचित रह जाती थी। यह भी सर्व विदित है कि समाचार भी भारी घाटे के बजट पर चल रहा है।"
>
> "इन परिस्थितियों में पूर्व स्थिति लाना अव्यवहार्य है तथा देश के हितों के विरुद्ध है।"

अतः पुनः बहु एजेंसी व्यवस्था लाने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को बल मिलेगा तथा देश की स्वतंत्रता को धक्का लगेगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि मंत्री महोदय स्वयं इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तथा मंत्रिमण्डल में एकता नहीं है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एल० के० अडवाणी) : यह सब झूठ है।

श्री के० लकप्पा : देश के श्रमजीवी पत्रकार भी उससे संतुष्ट नहीं हैं। अतः मेरा निवेदन है कि देश में प्रैस की स्वतंत्रता को बनाये रखने तथा प्रैस को बड़े एकाधिकार गृहों के नियंत्रण से बचाने के लिये सरकार इस बारे में पुनर्विचार करे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर): हम 'समाचार' के विघटन का स्वागत करते हैं। 'समाचार' की स्थापना समाचारों के बेहतर प्रसार, समाचार एजेंसियों के बेहतर कार्यकरण अथवा उन्हें अधिक सक्षम बनाने के लिये नहीं की गई थी और न ही पत्रकारों के हितों की रक्षा करने के लिये। हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी स्थापना सेंसरशिप को सख्ती से लागू करने के साधन के रूप में समाचार एजेंसियों पर नियंत्रण करने के लिये की गई थी। इसका वास्तविक उद्देश्य यही था।

इस लिये हमारे विचार में इसका विघटन होना ही चाहिये। परन्तु हमें इसके विकल्प के सम्बन्ध में अवश्य विचार करना चाहिये। इस बारे में काफी मतभेद है। हम इससे पहले की स्थिति को कोई आदर्श समाधान नहीं मानते। हमें सर्वप्रथम इसको समाप्त करना चाहिये और फिर इस बात पर विचार करना चाहिये कि इसके स्थान पर कोई सांविधिक निगम बनाया जाये अथवा तीन एजेंसियां बनाई जायें अथवा समाचार एजेंसियों को ही पूर्ण स्वतंत्रता दी जाये अर्थात एकाधिकार गृह जो समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों पर नियंत्रण रखते रहे है, वे इस सम्बन्ध में निर्णय करें। हमें एक ऐसी समाचार एजेंसी व्यवस्था कायम करनी चाहिये जो सबको स्वीकार्य हो। हम जानते है कि वर्ष 1967-69 में, जब संयुक्त मोर्चा सरकारे बनी थी तब किस प्रकार तथ्यों को तोड-मरोड कर समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाता था। हम एक ऐसी समाचार एजेंसी चाहते है जिसपर न सरकार का नियंत्रण हो और न ही किसी एकाधिकार गृह का नियंत्रण हो। हम सदा समाचार-पत्रों के स्वामित्व के फैलाव की मांग करते रहे है। वर्तमान ढांचे की पुनर्व्यवस्था का अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि किसी एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति बिठा दिया जाये बल्कि हम चाहते है कि समाचार-एजेंसी ऐसी हो जिसमें जनता की आकांक्षाएं परिलक्षित हो और जो समाचार सम्बन्धी सेवाओं में देश की वास्तविक समस्याओं को उचित महत्व दे। मेरे विचार में सरकार का इरादा यह है कि समाचार एजेंसियां स्वयं अपना निर्णय करें। परन्तु समस्या सक्षमता की है। समाचार एजेंसियों को राजसहायता भी देनी होगी। अब प्रश्न यह भी है कि समाचार-पत्रों और सरकार के बीच क्या सम्बन्ध होगा क्या उन बोर्डों में, जो अब स्थापित किये जायेंगे, श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि रखे जायेंगे ? हम मंत्री महोदय से अनुरोध करते है कि यदि आवश्यक हो तो एक संसदीय समिति का गठन किया जाये जो इस बात पर विचार करे कि पूरे देश में एक ऐसी समाचार एजेंसी सेवा किस प्रकार स्थापित की जा सकती है जो सब को स्वीकार्य हो।

इस समय क्षेत्री भाषाओं के और छोटे समाचार-पत्रों को समाचार भेजने के लिये कोई समाचार एजेंसियां नहीं हैं। इन सब बातों पर गहराई से विचार करना चाहिये। बड़े समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को जिन्होंने, 1, सफदरजंग रोड के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिये थे, केवल उन्हें ही विज्ञापनों का लाभ मिलता रहा है जन सम्पर्क के सभी साधन एक व्यक्ति और एक परिवार की सेवा करते रहे है। अब शाह आयोग के समक्ष ढोल की पोल खुल रही है और जनता को पता चल रहा कि उस समय कितना दूषित वातावरण था।

हमारे विचार में किसी देश के लोकतंत्रात्मक ढांचे में समाचार-पत्रों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, अतः 'समाचार' का विघटन को पहला कदम है परन्तु हम चाहते है कि मंत्री महोदय विभिन्न हितों से परामर्श करके अच्छी प्रभावशाली और स्वतंत्र तथा सक्षम समाचार एजेंसियों का

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

आधार तैयार करे। उन्हें सरकार के अधीन नहीं होना चाहिये क्योंकि किसी के अधीन होने से निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया जा सकता।

इन शब्दों के साथ मैं 'समाचार' के विघटन सम्बन्धी सरकार के निर्णय का समर्थन करता हूं।

Shri Yuv Raj (Katihar): The Hon'ble Minister has declared dissolution of 'Samachar' and removed injustice done during the emergency in this manner. The merger of four News Agencies was done with a view to control Press, judiciary and crush oppositions, I agree with the recommendations of Kuldip Nayar Committee and I may state that it is the fundamental principle of democracy that News Agencies and Press remain independent, they should neither be under the Government nor under the control of any other vested interests. I would suggest that 'Samachar Bharati' and 'Hindustan Samachar' should work hand in hand so that national and international news services could run in Hindi and other Indian languages. Besides this English news services will also continue. I may mention here that Israel started all the work in Hibru inspite of all difficulties from the date of its creation. It is my firm belief that news services of India can be developed in Hindi and other Indian languages and unless it is done, the aspirations of the people will not be fulfilled. Two News Agencies have been proposed and there will be healthy competition among them and they will work in right earnest independently.

The Government has proved that they believe in democratic set up. The employees of 'Samachar' need not worry. There interests will be protected. But Hindi is our national language. Varta news agency must work in Hindi otherwise aspirations of the down trodden will not be fulfilled.

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad): It is strange that hon'ble Members of Congress Party have not made up their mind to justify emergency or not. Shri Stephen has pleaded that all the news Agencies were facing financial crises and they were on verge of collapsing. Events of foreign countries were not being reported properly. They were working in haphazard manner in India as well as in foreign countries. In view of this 'Samachar' was set up by the then Government with good intension. In this connection I may state that the House is aware of the proceedings of Shah Commission and the report submitted by Kuldip Nayar Committee. It is quite clear that 'Samachar' was set up for propoganda of party in power at that time. Police officers used to set in the 'Samachar Bhavan' and keep watch on the correspondents and other employees. Janata Government has now decided to undo the injustice done in the emergency era.

This argument cannot be justified that if there will be one Agency, it will be more viable because we have seen that congressmen themselves allege that Janta Government is following same time of action as was done by previous Government. So their argument is self contradictory. Janta Government is giving an apportunity to all the news agencies to work independently without any restriction in a healthy atmosphere.

. It is true that a group of elite people has been running news-paper industry in this country with their worked intension during the last thirty years and as a result thereof most of our daily news-papers are published in English whereas step motherly treatment is given to Indian languages. There

used to the monopoly of big industrial houses especially in case of big newspapers. They themselves were directors in the PTI and UNI news agencies and the then Government used to give protection to them.

In view of above it has now been stated that news agency of Hindi and other Indian languages should be set up. The Government should pay special attention towards this aspect.

We hope that PTI, UNI, 'Hindustan Samachar' and 'Samachar Bhavan' will work earnestly and there will be healthy competition among them. They will create confidence among the people of this country. I would like to suggest that help of the Directors should be representatives of the employees. Government should not bring in all the representatives of Monoply Houses otherwise same old situation would arise. We should establish honest and independent news agencies which is pivot of democracy. There should be representation of employees, correspondents, distinguished people, members of Parliament. For this purpose Government should bring a legislation before the Parliament.

I want to make a suggestion that there should not be any difference in the emoluments of the employees. These agencies should be given two to three years' period to settle and they should be given grants during that period so that they may work honestly and efficiently.

I welcome the suggestion of imposing cess on the newsprint. The income derived therefrom will be distributed amongs the agencies and thus they will not be dependent on any individual or the Government. The Government should not place such persons on important posts who change their colours from time to time. Such persons will not implement the schemes of the Government honestly and they may deceive the Government at any time. The Government should remain vigilant in this matter and should make efforts for the flourishment of these agencies.

With these words I support the Government's decision.

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : सत्ताधारी दल के सदस्यों ने यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के लिये जो तर्क दिये हैं वे सन्तोषपूर्ण नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसे चार संगठनों में विभाजित करके क्या उद्देश्य सिद्ध होगा। सरकार का विश्वास है कि ऐसा करने से एजेंसियों स्वतंत्र हो जायेंगी और उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होगी। 'समाचार' पहले ही घाटे में चल रही है। समाचारों के अनुसार वर्ष 1978 तक यह घाटा लगभग 90 लाख रुपये का हो जायेगा। जब 'समाचार' स्वयं ही घाटे में चल रही है और वह सरकार की सहायता के बिना नही चल सकती तो यह कैसे आशा की जा सकती है कि ये चारों एजेंसियां ठीक प्रकार से कार्य कर पायेंगी। अतः ये चारों एजेंसियां भी सरकार की सहायता के बिना कार्य नही कर पायेंगी। कुलदीप नायर समिति ने यथापूर्व स्थिति लाने को सिफारिश नही की है। प्रत्येक पत्रकार ने इसका विरोध किया है। कुलदीप नायर समिति भी यह चाहती है कि 'समाचार' को दो एजेंसियों—वार्ता और संदेश में विभाजित किया जायें। एक देश के भीतर समाचार एकत्र करें और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एकत्र करे। सरकार ने उक्त प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया है बल्कि वह इस बारे में अपना निर्णय लागू करने का प्रयास कर रही है।

[श्री वयालार रवि]

'समाचार' के चार एजेंसियों में विभाजित होने पर सरकार को न केवल एक एजेंसी बल्कि चार एजेंसियों को सहायता देनी होगी। अतः समाचार पत्रों के स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धात्मक होने का तर्क उचित नहीं बैठता क्योंकि ये सब समाचार एजेंसियां सरकार पर निर्भर होंगी।

भाषाई समाचार पत्रों का भी उल्लेख किया गया है। 'समाचार' कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है और उक्त भाषाई समाचार पत्रों को सहायता दे रहा है। भाषाई समाचार पत्रों को सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है। सरकार ने इन क्षेत्रीय समाचार पत्रों की, जिनकी बिक्री 165 लाख तक पहुंच गई है, घोर उपेक्षा की है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। सरकार का आशय है कि हिन्दी भाषा का अन्य सभी भाषाओं पर अधिपत्य हो। इस सम्बन्ध में सरकार की कोई ठोस धारणा नहीं हैं। केवल विभाजन मात्र और यथापूर्व स्थिति लाना 'समाचार' से बेहतर नहीं होगा। इससे बेहतर और प्रतिस्पर्धात्मक समाचार नही आयेंगे। यदि सरकार कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करे तो उक्त प्रस्ताव निःसन्देह ही सदन में स्वीकार होंगे। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले का गहन अध्ययन करें। इन शब्दों के साथ मैं सरकार के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल): 'समाचार' को समाप्त नहीं करना चाहिये बल्कि इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिये। 'समाचार' में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमजीवी पत्रकारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये।

इस सरकार ने सत्ता में आते ही बिना विचार किये 'समाचार' को समाप्त करने का निर्णय किया था। इसी उद्देश्य से कुलदीप नायर समिति का गठन किया गया था। समिति ने इस मामले में न्यायिक ढंग से कार्य नही किया है और नही इस मामले का गुण-दोष के आधार पर अध्ययन किया है। समिति अपने कार्य में असफल रही है। प्रसिद्ध पत्रकारों और कार्मिक संघों ने इसका परिसमापन अथवा विभाजन न करने की अपील की है। 'समाचार' में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी इसका विरोध किया है। लेकिन उनके विरोध की अवहेलना की गई है। ये सब एजेंसिया मात्र चार पूंजीवादी' ग्रुप हैं। अतः इनका पुनर्गठन करते समय सरकार को सोच-विचार कर कार्य करना चाहिये। यदि पिछली सरकार ने इसके गठन में कोई त्रुटि की थी तो उसे दूर किया जाना चाहिये।

मैं समिति का सिफारिशों को अस्वीकार करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।

कुलदीप नायर समिति 'समाचार' को विभाजित करने के मामले में कोई उचित कारण बताने में असमर्थ रही है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आदि के बारे में बहुत बातें करते है यह निर्णय लेकर सरकार हजारों कर्मचारियों के अधिकार छीन रही है और चार एकाधिकार प्राप्त समाचार एजेंसियों के अधिकारों की रक्षा कर रही है। एकाधिकारवादी चार समाचार एजेंसियों की तुलना में हजारों कर्मचारियों के अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है।

सरकार के निर्णय से कर्मचारियों के हितों को कोई संरक्षण नहीं मिला है क्योंकि उनके वेतनमानों को संरक्षण नही दिया गया है। सरकार को सदन में इस बात का पूरा आश्वासन देना चाहिये कि 'समाचार' के कर्मचारियों को उनके वेतनमान तथा अन्य भत्ते मिलते रहेंगे।

समाचार एजेंसियां के कर्मचारियों की मजुरी ढांचे की मजूरीबोर्ड द्वारा जांच की जा रही हैं तथा इस बोर्ड ने उनके लिये अंतरीय राहत की घोषणा की है। यह राहत समाचार के कर्मचारियों को भी मिल रही है।

दूसरे यह मामला शाह आयोग के विचाराधीन है। मान लीजिये शाह आयोग इस निर्णय पर पहुंचता है कि समाचार के बहुत से अधिकारी दोषी हैं, तो उन्हें किस प्रकार दण्डित किया जायेगा? यदि उनको दण्ड दिया जाता है तो क्या यह न्यायालय की अवमानता का प्रश्न नहीं होता। मेरे विचार से अवश्य होगा क्योंकि शाह आयोग अभी इस मामले पर विचार कर रहा है। अतः समिति की रिपोर्ट और कर्मचारियों की यूनियनों और फैडरेशनों के विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह विचार अवश्य त्याग देना चाहिये।

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : The decision taken by the Government regarding Samachar is commendable because of the fact that it is in the interest of democratic set up. The members of the congress party should support this decision. During the congress administration particularly in the emergency three wings of democracy that is the judiciary, legislature and the press were strangulated. Now the new Government have revived them for which all of us should be grateful to this Government.

It is a well known fact that the creation of Samachar as a single monopolised news agency is not in this interest of the democracy even if the four news agencies were willing to merge themselves in Samachar. If there are more than one news agency than there is every likelihood that divergent views get expression through the various news-papers. If there is a only one news agency in the country their independent views will not get expression which can not be said to be a free press in the country.

The idea of freedom of press can not be translated into practice without competition in this field. If there is no competition people are unable to judge as to which newspaper is publishing correct news.

I am grateful to the Hon. Minister who have made the news agencies free from the influence of the Government by deciding to dissolve the Samachar and to bring *status quo*. I would like to suggest that certain news-papers which are under the influence of certain capitalists and do not report correctly should also be made free from this unhealthy influence.

I would like to bring to the notice of the Hon. Minister, the fact that two language agencies that is the 'Hindustan Samachar' and 'Samachar Bharti' are likely be to affected adversely by the dissolution of Samachar because of their critical financial position. I request that the Government should provide these news agencies more and more financial help. These two agencies have a limited circulation in the Hindi speaking states in the country. The Government should reorganise these news agencies in this way that they may serve the entire country. To achieve this goal Government should provide them co-operation of other news agencies to make them viable.

I am thankful to the Prime Minister for imposing cess on the newsprint. Such cess should also be imposed on the advertisements for giving help to poor news agencies.

[Shri Om Prakash Tyagi]

It is a matter of concern that there is a proposal to exercise wage freeze in respect of the employees of news agencies. It will not be a right step. I suggest that the proposed period of six years in which the difference between the old pay scales and the new pay scales of the employees are to be adjusted should be increased to ten years so that they may not feel the pinch with these words. I again thank the Government for taking this decision.

प्रो० पी० पी० मावलंकर (गांधीनगर) : सभापति महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार स्वतंत्र प्रेस के बारे में अपने वायदे के प्रति ईमानदार है।

किन्तु सरकार के पूर्व स्थिति लाने के कथन से मैं समझता हूं कि सरकार का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि वह समाचारपत्रों को समाचार के मालिकों की मर्जी पर छोड़ना चाहती है। आशा है सरकार ऐसा नहीं होने देगी। आशा है सरकार इस बातकी भी अनुमति नहीं देगी कि समाचारपत्रों को महत्व भाषा के आधार पर दिया जाये। मेरा सुझाव है कि सरकार समाचारपत्रों को सहायता दे तथा उन्हें उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयत्न करे।

मैं मानता हूं कि समाचार आपात स्थिति की देन है और उसको समाप्त करके वास्तव में आपात स्थिति को समाप्त किया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि समाचार-पत्र क्षेत्र में प्रतियोगिता लाने से प्रैस स्वतंत्र हो जायेगी। वास्तव में असमान व्यक्तियों में प्रतियोगिता होना असम्भव है। अत: कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे समाचापत्रों को सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़े।

भारत एक विशाल देश है तथा उसमें अनेक समस्याएं होना स्वाभाविक है। आज की परिस्थिति में समाचार के बारे में यह निर्णय उपयुक्त अवश्य है किन्तु इसे पूर्ण रुप से सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाये कि विभिन्न समाचार एजेंसियां सही दिशामें तथा स्वतंत्र रुप से कार्य करें तब तक पूर्व स्थिति लाने का कोई लाभ नहीं होगा।

इस प्रकार मुख्य प्रश्न आर्थिक स्थिति का है। सरकार का कहना है कि वह समाचार एजेंसियों को आर्थिक सहायता देगी। मैं समझता हूं कि इस से उसका यह आशय भी है कि वह समाचरपत्रों पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रखेगी तथा उनके कार्य में कोई हस्त-क्षप नहीं करेगो। मेरा सुझाव है कि प्रैस की स्वतंत्रता के नाम पर अखबारों की कीमत में दो-तीन पैसे को वृद्धि कर दी जाये जिससे समाचारपत्रों को आर्थिक सहायता भी मिल जाये तथा उन्हें सरकार के अनुदानोंपर आश्रित न रहना पड़े तथा सरकार भी उनके कार्य में हस्तक्षेप न कर सके।

यह सच है कि अखबारों पर आपात स्थिति जैसा सैंसर नहीं है किन्तु है भी। अभी भी यह देखा जाता है कि किस के विचार प्रकाशित करने हैं किसके नहीं करने। इसके अनेक उदारहण हैं। लोक सभा की कार्यवाही के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि मंत्री के विचारों को पूर्णत: प्रकाशित किया जाता है जब कि विपक्ष के सदस्यों के विचार अत्यंत संक्षेप में प्रकाशित किये जाते हैं। अत: किसी न किसी रुप में सैंसर अब भी विद्यमान है। अत: मेरा निवेदन है कि प्रेसकी स्वतंत्रता के लिये हम सभी को तथा सरकार को मिलकर प्रयत्न करना चाहिये।

दिल्ली की आवास समस्या के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : HOUSING PROBLEM IN DELHI

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): The housing problem in Delhi is a complicated one. Master Plan were completed in 1962 and D.D.A. was constituted in 1958. It is mentioned in the Master Plan that by 1982 Delhi would be a model capital in the world. But the reality is that Delhi is the place where even ghosts will not like to live.

Despite taking over 57,000 acres of land for planned development, the result is that 361 new unauthorised colonies have come into existence during the period of 21 years. Millions of people live there. There are 2 lakh Jhuggis in which 2 lakh families reside. There are one lakh unauthorised constructions. Seventy per cent of the people in Delhi live in inhuman conditions without civic facilities.

The Government had acquired seventy thousand acres of land in 1956-57, but it did not have enough money to pay as compensation. The Government did not allow private development and it did not do rapid development. There are 250 co-operative societies, but only 150 of them are effective. Only 20 or 25 of the societies have been allotted land. Even in those societies, there is wide-spread corruption.

There are about ten agencies dealing with the land in Delhi where one has to go for his layout plans etc.

The master plan was very un-practical. The persons who formulated the Master Plan were not fully aware of the conditions in India.

The population in Delhi increases by about 1,75,000 every year. Even if old backlog is not touched, 35,000 dwelling units are required every year. The density of population is the highest in Delhi in the whole world. During the last 20 years, D.D.A. has built only 32,908 dwelling units and 40,000 plots in all have been developed. Almost 17,000 dwelling units are added in the backlog every year and the shortage of houses continue to grow. As a result the rents in Delhi are sky-rocketing.

D.D.A. uprooted almost one million people in Delhi and they had spent 25 crores of rupees on their resettlement. A sum of 150 crores of rupees would be required for their proper rehabitation. If the housing requirement in Delhi is to be fully met, a huge amount of 2000 crores of rupees would be required.

D.D.A. is in complete mess. Its activities have came to a stand still. In reply to my question, the Minister for Works and Housing had admitted that the schemes which were proposed to be taken up during the current financial year, could not be taken up on account of acute financial stringency in the D.D.A. 54 schemes have been shelved. Total payment of salaries to Engineers is Rs. 50 lakhs. D.D.A. has no money to pay to the contractors. D.D.A. has totally failed in achieving the objective for which it was formed. A committee comprising of public men should be formed to look into the affairs of D.D.A. It is indulging in large scale profiteering. Since 1962, only 54 zonal places out of 139 places have been finalised and only 38 have been notified. The slum clearance work should be taken from D.D.A. and handed over back to Delhi Municipal Corporation.

[Shri Kanwar Lal Gupta]

The problem of housing shortage should be solved on war footing. An annual target should be fixed for D.D.A., central Govt. and Delhi Administration for the construction of tenements. Land should be allotted to co-operative societies on liberal conditions. This would bring down the rents in the capital.

There should be integrated planning so that one has not to go to eight or ten places. The population of Delhi should be decentralised and some of the offices should be shifted from Delhi. There should be a statutory authority for the National Capital Region so that small towns around Delhi could be developed.

The unauthorised colonies should be regularised at the earliest. There should be a target for regularisation of colonies.

The Master Plan for Delhi has to be reviewed. A second Master Plan would have to be formulated after 1982.

The evacuee properties are under the control of D.D.A. There are about 30-35 thousand properties in which mostly lower middle class people are residing. These properties should be handed over to the occupants so that basic amenities could be provided there.

The residents in J. J. colonies have been provided a plot of 25 square yards each, but for a family of 6.7 persons, this space is insufficient. Now onwards, they should be allotted a plot of land at least of the size of 50 square yards. I hope the Honourable Minister would consider these matters sympathetically.

Shri Ram Devi Ram (Palaman): I would like to know from the Honourable Minister whether the Govt. has issued any such order that Govt. employees or M. Ps. or other persons owning houses in Delhi would also be provided house.

श्री वयालार रवि (चिरअंकिल): मैं श्री कंवर लाल गुप्त को इस अत्याधिक महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए बधाई देता हूं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को नियमित ध्यान देने की आवश्यकता है।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों को वास्तविक समस्या का सामना करना पड रहा है। यह समस्या दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे अन्य नगरों में भी है। संविधान में आवास प्राप्त करने को भौतिक अधिकार नहीं माना गया है। आवास समाज की दया पर निर्भर है।

"हुडको" जैसा राष्ट्रीय आवास बोर्ड तो है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि अब तक राष्ट्रीय आवास नीति नहीं बनाई गई हैं। जब तक ऐसी नीति नहीं बनाई जाती और विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता तब तक देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवास की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

केरल सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार और व्यक्तियों की स्वैच्छिक सहायता से विशेष रुप से हरिजनों और निर्धन व्यक्तियों को एक लाख मकान दिये है। अन्य राज्यों को भी इसी प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। आवास तथा नगरीय विकास निगम के अपने कार्यक्रम हैं। हमें अपने कार्यक्रम उनके मापदंड के अनुसार बनाने होते हैं अन्यथा वे न हमारी सहायता करेंगे और न धन देंगे। इस निगम को वहां की भूमी की स्थिति अथवा महुआएं की हालातों के बारे में कुछ पता नहीं है और मकानों का निर्माण इन महुआएं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए परन्तु आवास तथा नगरीय विकास निगम अपनी सुविधा चाहता है। इस नीति को बदला जाना चाहिए।

आज सरकारी कर्मचारी को अपने वेतन का अधिकांश भाग मकान पर खर्च करना पड़ता है। सरकार को मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई जैसे बड़े नगरों में आवास समस्या हल करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए नहीं तो सरकारी कर्मचारी को परेशानी उठानी पड़ेगी। संसदीय सौफ के निर्माण पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किए गए परन्तु इसमें कर्मचारियों के लिए मकान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने दिल्ली में फस्बार से उजड़े और यमुना पार की बस्तियों में बसाये गए लोगों के बारे में जोर शोर से भाषण दिया है। क्या इन कालोनियों में सफाई व्यवस्था है? क्या आप उन्हें वापिस यहां लायेंगे? उन कालोनियों का विकास करके वहां जरूरी सुविधाएं उपलब्ध को जानी चाहिए। मंत्री महोदय को संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को आवास का अधिकार होना चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस दिशा में कार्यक्रम बनाना चाहिए। उनका दिल्ली को सुंदर बनाने का कार्यक्रम है पर साथ में निर्धन लोगों की आवास समस्या को भी हल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री जगन्नाथन।

***श्री एस० जगन्नाथन (श्रीपेरम्बदूर) :** 1957 में दिल्ली की जनसंख्या लगभग 7 लाख थी और 1977 में यह लगभग 77 लाख हो गई। दिल्ली प्रशासन के प्रतिवेदन के अनुसार 75 प्रतिशत लोग अस्वास्थकर स्थिति में रह रहे हैं। तमिलनाडु के लगभग 2 लाख लोग दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। उन्हें दिल्ली स्तर पर आने के लिए 2 रुपये रोज खर्च करने होते हैं। ऐसे लोगों को दिल्ली में बसाया जाना चाहिए ताकि वे परिवहन पर होने वाला धन बचा सकें।

मद्रास में गंदी बस्ती उन्मूलन बोर्ड और आवास बोर्ड ने बड़ा अच्छा काम किया है संयुक्त राष्ट्र संघ के एक दल ने मद्रास शहर का निरीक्षण करके उसके कार्य की सराहना की है। दिल्ली से एक दल को वहां जाकर उनके कार्य को देखना चाहिए ताकि वे वैसा कार्यक्रम यहां भी लागू कर सकें।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summerised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

[श्री एस० जगन्नाथन]

स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में अब तक केवल 30 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को मकान मिले हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण मध्यम आय वर्ग समूह के लिए जो मकान बना रहा है उसका मूल्य 80,000 या 90,000 रुपये है जिसे खरीदना उस वर्ग के लोगों की क्षमता से बाहर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को मकान का मूल्य कम करना चाहिए ताकि गरीब लोग भी उसे खरीद सकें। दिल्ली एक महत्वपूर्ण नगर है अतएव यहां के प्रत्येक निवासी के पास रहने के लिए एक सुन्दर मकान होना चाहिए।

श्री विजय कुमार एन० पाटिल (धुलिया) : आज दिल्ली में मकान की समस्या बड़ी बिकट है। अब समय आ गया है जब कि यहां बहुमंजिली इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। डी० डी० ए० को पांच मंजिले मकानों का निर्माण करना चाहिए।

दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों से दिल्ली में कार्यालयों में काम करने के लिए आने के लिए कर्मचारियों का बहुत समय खराब होता है। मेरा सुझाव है कि राष्ट्रपति भवन के आसपास मंत्रियों, सनिक अफसरों तथा अन्य विशिष्ट लोगों के जो बड़े-बड़े बंगले हैं उनको गिरा कर बहुमंजिली इमारतें बनाई जानी चाहिए और उनमें सरकारी कर्मचारियों को स्थान दिया जाना चाहिए। पूसा इन्स्टिट्यूट को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए ताकि वहां रिक्त स्थानों पर मकानों का निर्माण किया जा सके। दिल्ली में यातायात की समस्या हल करने के लिए स्थानीय रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए। हजरत निजामुद्दीन के आस पास जो गंदगी है उसको हटाया जाना चाहिए।

Shri Ram Murthy (Dharmapuri) : The way the population has increased in Delhi during the last 30 years is such as the Government has adopted the policy of indifference towards solving the problems of the increased population.

As Shri Kanwar Lal Gupta has said that upto 15 years no work took shape, only the committee was constituted. After 5 years of the enactment of an Act in 1957 the Master Plan was formulated and work on that plan began too late.

It was said that municipal services would be provided to the co-operative Societies for developing colonies. But no municipal services have been provided.

With the Revolving Fund to the tune of Rs. 12-13 crores, such massive problem cannot be solved.

Even after as many as 15 years, no houses have been allotted to the poor government employees so far for which the responsibility had been taken by the Government.

As has been said that 200-250 colonies have sprung up in proportionately but no attention has ever been paid to the increasing population. There were proposals of construction of 35,000 dwelling units every years. But only 5 to 7 thousand units are hardly constructed. To solve this problem action should be taken on war-footing and financial assistance of the order of Rs. 500 to 1000 crores should be obtained from any Agency or World Bank. Before developing a colony the Government officers should go to the site and survey the situation.

I have felt pain to know one thing that the work Shri Sanjay Gandhi used to do is being done in the period of the hon. Minister too. Several shops were demolished in Kalkaji Colony on the 17th November by the Officers having no authority to do so.

Six ring towns were developed under the Master Plan but the population is growing every year to the line of one and a half taken to two lakh person. These six towns cannot cope with the increasing population.

The Government should constitute a Committee of Members of Parliament to go into the problems of the colonies and also to formulate a programme in a co-ordinated way.

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Chairman, Sir, I beg to move that the time of the House may be extended by half an hour.

An. Hon. Member : May be extended by 20 minutes.

Chairman : If the hon. Members so wish, the time of the House is extended by 20 minutes.

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : The problems are a challange to the Janata Party and being a Member of the Party I gladly accept the challenge

My friend Shri Ravi mentioned the Turkman Gate incident. It is better he does not raise these issues any more. In brief I want to request that the plans to rehabilitate the displaced persons there are almost complete. The Prime Minister is to lay the formation stone of the houses next week which are to be constructed to rehabilitate them. A few of the displaced persons have already been rehabilitate there temporarily.

Shri Kanwar Lal has mentioned a number of items. I would like to reply in brief. He mentioned the Master Plan. It was not only ill-conceived but has fallen prey to the agencies of the Government. Now the word 'Master Plan' is used only there where there is intention of obstructing the construction. My Ministry would not initiate any such action as may diplace persons from their dwellings.

Reference has been made to decentralisation of offices. That means it was decided that a number of Government Offices be shifted to other cities.

They were there in large number in the beginning, now they have reduced to five and are still in Delhi. Let us see what shape takes place.

He had mentioned the concept of N. C. R. and held that there should be a unitary and administrative set-up for that. Other states are doing strange things, for example, the concept of "NOIDA" is there. People will work there but live in Delhi. A unified administration should come into force and the states, falling within the purview of N. C. R. should decide that they would not take any such step as may increase the population of Delhi.

Encroachment of land has also been referred to. My friend has just said that what was going on in the period of Shri Sanjay Gandhi is also taking place now. I shall request that now encroachment will be removed. It is better to nip in the bud than to demolish the fully developed colonies because it relates with human aspect.

[Shri Sikander Bakht]

The prices of land have also been mentioned. The exhorbitant rules of land are really beyond our conception.

Now I want to say something as a suggestions. It has been said that work should be done on war-footing. The rate of construction of Houses by the D. D. A., which was 2300 in 1974-75 has increased to 4890 in 1976-77.

An. Hon. Member has said that houses have not been allotted to the Government Servants. In 1972, it was the commitment of the Government to allot 30,000 houses to the Govt. Servants. By 1978 we shall be able to allot more than 9000 houses and during the period of two years, we shall be able to allot 20,000 more houses.

It has been decided that 40 small bungalows will be constructed in the premises of Rashtrapati Bhawan which lies alongwith Willingdon Cracent.

Now I want so say something about the housing problems of Delhi. We have not yet reached the final stage. We want to involve more and more agencies in construction work of houses as also want to assign housing activities to 'HUDCO'.

We want to involve private builders also. We shall develop "Sites and Service" plots. We would like to involve House Building Co-operative Societies and Banks in this work.

Efforts are being made to involve P. W. D., N. D. M. C., and M. C. D. in housing activities also. The Planing Commission has expressed desire for the construction of 40,000 houses. It is a big order but we are preparing ourselves for it.

Delhi Administration has decided for the creation of a Housing Board which may take up construction work on its own level. A number of things have been envisaged and implementation thereon has been started.

Guidelines have been formulated with regard to urban land ceiling. They have been decided as to how work can be done without injuring the original aspect under which the Act was enacted.

Hon. Members have said that the Master Plan should be reviewed. think the existing plan is to terminate in 1981. We have engaged ourselves in the exercise of its review.

A reference has been made about the transfer of Slum Clearance Department. It is being looked into.

Hon. Members have mentioned about evacuees' property. We are thinking whether it is possible to give the evacuee property to the persons living in them on easy instalments?

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister may tell something about plots of 25 yds. land which have been given to Jhuggi-Jhopari dwellers.

Shri Sikandar Bakht : I can say nothing at the moment. It is true that houses built on 25 yds. plots are not worth living. An ambitions plan can be formulated in view of the availability of land in Delhi.

इस के पश्चात लोकसभा गुरुवार, 1 दिसम्बर, 1977/10 अग्रहायण 1899 (शक) में ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 1, 1977 Agrahayana 10, 1899 (Saka).

GIPN--S4—350 LSS (ND)/77—23-3-78—200